C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. IX, Fourth Session, 2020/1942 (Saka)
No. 2, Tuesday, September 15, 2020/ Bhadrapada 24, 1942 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
PAPERS LAID ON THE TABLE	11-16
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Unstarred Question Nos. 231 to 460	17-660
ASSENT TO BILLS	661
STATEMENTS BY MINISTERS	
(i) Developments on our borders in Ladakh	
Shri Rajnath Singh	662-670
(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Departments of the Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance.	
Shri Anurag Singh Thakur	672
(iii) Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Demands for Grants' (2019-20) pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.	
Shri Kailash Choudhary	674

(iv) Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Demands for Grants' (2020-21) pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

Shri Narendra Singh Tomar 675

(v) Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 222nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Management of Worsening Traffic situation in Delhi' pertaining to the Ministry of Home Affairs.

Shri G. Kishan Reddy 676

(vi) Diet Chart Plan for Pregnant woman

Shrimati Smriti Zubin Irani 701-702

STANDING COMMITTEE ON LABOUR 671

8th and 9th Reports

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Developments on our borders in Ladakh 673

MOTION RE : JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT 677-678

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) National Jute Board 679

(ii) Rubber Board 680-681

MATTERS UNDER RULE 377 705-728

(i) Need to ensure full procurement of farm produce at Government procurement centres in Sikar Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Sumedhanand Saraswati 705

(ii) Need to ensure construction of solar plant by NTPC as per specified norms in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh in time bound manner

Shri Ashok Kumar Rawat 706

(iii) Need to transfer one Buddha "Asthi Kalash" on display in National Museum, Delhi to National Museum, Piparhawa in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh

Shri Jagdambika Pal 707

(iv) Need to run 15-coach local trains on Mumbai suburban railway network

Shri Manoj Kotak 708

(v) Need to extend the benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana to all the tribal families in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Arjunlal Meena 709

(vi) Need to complete construction of MDR-56 in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan from Central Road Fund.

Shri Subhash Chandra Baheria 710

(vii) Need to establish a medical college in Pratapgarh district in Chittorgarh Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri C. P.Joshi 711

(viii) Need to provide ownership rights of land to people relocated due to Tilaiya dam of Damodar Valley Corporation

Shrimati Annpurna Devi 712

(ix) Need to provide compensation to cotton and moong farmers of Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana who suffered crop loss due to scanty rain and pest attack

Shri Dharambir Singh 713

(x) Need to introduce flight from Sirohi district, Rajasthan

Shri Devaji Patel 714

(xi) Need to lay railway line between Dehradun station and Kalsi in Tehri Garhwal Parliamentary Constituency in Uttarakhand

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah 715

(xii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Maharajganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Pankaj Chowdhary 716

(xiii) Regarding construction of Deoghar-Pirpainti via Godda Railway Line

Dr. Nishikant Dubey 717-718

(xiv) Regarding privatization of Thiruvananthapuram International Airport

Shri Benny Behanan 719

(xv) Regarding internet connectivity issues in Palakkad, Kerala

Shri V.K. Sreekandan 720

(xvi) Regarding construction of tar road in Salem District, Tamil Nadu

Shri DNV Senthilkumar S. 721

(xvii) Regarding release of pending GST compensation to States

Prof. Sougata Ray 722

(xviii) Need to establish a Cotton University and a Cotton Processing Industry in Parbhani Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Sanjay Jadhav 723

(xix) Need to take flood control measures in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar

Dr. Alok Kumar Suman 724-725

(xx) Need to provide adequate financial assistance or relief package to farmers distressed due to loss of their crops caused by floods in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ram Shiromani 726

(xxi) Regarding amendment to Atrocities Act
Shri Jayadev Galla 727

(xxii) Need to protect the fishing hub of Kollam Parappu (Quilon Bank)
Shri N. K. Premachandran 728

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 729-773

AND

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 2020

Adv. Dean Kuriakose 729-733

Shri Pralhad Joshi 729, 767-770

Motion to Consider 729-730

Shri Vijay Baghel 734-736

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 737-739

Shri P.V. Midhun Reddy 740

Prof. Sougata Ray 741-742

Shri Pinaki Misra 743-744

Shri Malook Nagar 745

Shri Shrirang Appa Barne 747

Shri Nama Nageswara Rao 748

Shrimati Supriya Sadanand Sule 749-750

Adv. A.M. Ariff 751-752

Shri Jayadev Galla	753-754
Shri Thomas Chazhikadan	755
Shri Bhagwant Mann	756
Shri E.T. Mohammed Basheer	757
Shrimati Navneet Ravi Rana	758-759
Shri Syed Imtiaz Jaleel	760
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	761-762
Shri Girish Bhalchandra Bapat	763-764
Shri Ritesh Pandey	765
Sushri Mahua Moitra	766
Clauses 2, 3 and 1	772-773
Motion to Pass	773
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL, 2020	774-851
Prof. Sougata Ray	774-778
Shri Danve Raosaheb Dadarao	774, 839-843
Motion to Consider	774
Shri P.P. Chaudhary	779-786
Dr. Amar Singh	787-791
Shri Kalyan Banerjee	792-795
Shri D.M. Kathir Anand	796-800

Dr. Sanjeev Kumar Singari	801-804
Shri Rahul Ramesh Shewale	805-806
Shri Kaushalendra Kumar	808-809
Shri Bhartruhari Mahtab	810-812
Kunwar Danish Ali	814-817
Shri Kotha Prabhakar Reddy	818-819
Shri Shriniwas Dadasaheb Patil	820-821
Adv. A.M. Ariff	822-823
Shri E.T. Mohammed Basheer	824-825
Shri Sukhbir Singh Badal	827-830
Shri Bhagwant Mann	831-832
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	833-834
Shrimati Supriya Sadanand Sule	835
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	836
Shri Nishikant Dubey	837
Clauses 2, 3 and 1	845-850
Motion to Pass	851

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

---

*Available in Master copy of the Debate placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, September 15, 2020/ Bhadrapada 24, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Three Minutes past Fifteen of the Clock

[Hon. Speaker *in the Chair*]

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। मद संख्या 1 से 9 इकट्ठी ली जाती है ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, गिरिराज सिंह की ओर से, मैं वर्ष 2020-21 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No LT 2483/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनसुख मांडविया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No LT 2484/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध का वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No LT 2485/17/20]

(ख) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्ट्रयूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्ट्रयूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No LT 2486/17/20]

(ग) (एक) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2487/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम 2020 जो 18 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 125(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. बीएस/11/11/2020 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No LT 2488/17/20]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवश्यक वस्तु आदेश, 2020, जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1087 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2489/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री जी. किशन रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संघ राज्या क्षेत्र चण्डीगढ़ पर यथा लागू पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था फीस विनियमन अधिनियम, 2016 [2016 का पंजाब अधिनियम सं. (1)] की धारा 23 के अंतर्गत

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था फीस विनियमन नियम, 2019 जो 30 अगस्त , 2019 (अंग्रेजी संस्करण में) और 7 अगस्त, 2019 (हिन्दी संस्करण में) के चण्डीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीएसई-यूटी-ए4-24(8)2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2490/17/20]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2491/17/20]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 से 2013-2014 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2492/17/20]

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2018-2019 तक के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2493/17/20]

(9) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2494/17/20]

(11) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2495/17/20]

(13) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा-शर्तें) नियम, 2020, जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 473 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2496/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री परषोत्तम रूपाला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कॉन्सर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कॉन्सर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2497/17/20]

(3) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2498/17/20]

(5) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 11) के अंतर्गत कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (विवाद समाधान) नियम, 2020, जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2499/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2500/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी विषयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जून, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2501/17/20]

(2) राज्यवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूझान की अर्ध वार्षिक समीक्षा और उक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकार के दायित्वों को पूरा करने में विचलन को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2502/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री नित्यानंद राय की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (स्टाफ नर्स) समूह 'ख' (कम्बैटाइज्ड पैरा-मेडिकल पद), भर्ती नियम, 2019, जो 7 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 15(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2503/17/20]

(2) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 927 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकासी के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की अगरतला भूमि चेक पोस्ट को अभिहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ. 928 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 02.03.2020 से त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिले स्थित अगरतला भूमि आप्रवास चेक पोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ "सिविल प्राधिकारी" के रूप में वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 929 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकासी के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले की घोजदंगा भूमि चेक पोस्ट को अभिहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 930 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 02.03.2020 से पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित घोजदंगा भूमि आप्रवास चेक पोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ "सिविल प्राधिकारी" के रूप में वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No LT 2504/17/20]

3. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पुलिस बल, अपर महानिदेशक, भर्ती नियम 2020, जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No LT 2505/17/20]

____

15.03 ½ hrs

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. No. 231 to 460)

(Page No.17 to 660)

---

*Available in Master copy of the Debate placed in Library.

15.04 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY GENERAL: Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:

1. The Direct Tax Vivad se Vishwas Bill, 2020;
2. The Central Sanskrit Universities Bill, 2020;
3. The Appropriation Bill, 2020;
4. The Appropriation (No.2) Bill, 2020;
5. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2020;
6. The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2020;
7. The Jammu and Kashmir Appropriation (No.3) Bill, 2020;
8. The Jammu and Kashmir Appropriation (No. 4) Bill, 2020; and
9. The Finance Bill, 2020 passed by the Houses of Parliament during the Third Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on 3rd February, 2020.

I also lay on the Table one copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of following three Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

1. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2020;
2. The Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020; and
3. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2020.

[Placed in Library, See No LT 2506/17/20]

15.05 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS
(i) Developments on our borders in Ladakh

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-12

श्री राज नाथ सिंह जी ।

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, आज इस गरिमामयी सदन में मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर हाल में हुई गतिविधियों से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है । आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही इस सदन ने दो मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल एलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह एलाइनमेंट वेल एस्टैबलिस्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटी और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज के प्रैक्टिसेज द्वारा भी हुई है । इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं। जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग-अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परन्तु इस पर म्युचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया।

जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38000 स्क्वॉयर किलो मीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा, 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री

एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5180 स्क्वॉयर किलो मीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वॉयर किलो मीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है।

भारत तथा चाइना, दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इश्यू का फेयर, रीजनेबल और म्युचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलैटरल रिलेशन्स को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया-चाइना के बॉर्डर एरियाज में Commonly Delineated Line of Actual Control (LAC) नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग-अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं।

इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी-अपनी रेस्पेक्टिव पोजिशन्स और बाउंड्री क्वैश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलैटरल रिलेशन्स में काफी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलैटरल रिलेशन्स को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। परन्तु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलैटरल रिलेशन्स पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 एवं 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट और adhere किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों

में भारत व चाइना एलएसी के क्लेरीफिकेशन द्वारा एक कॉमन अण्डस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे । इसके आधार पर वर्ष 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अण्डरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई । इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी पर्सेप्शन में ओवरलेप है । इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आदि की स्थिति का समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम रहे । इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊँ, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और तीनों आर्म्ड फोर्सेज की इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं । टेक्नीकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेट तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म्ड फोर्सेज से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को इस साल उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत करना चाहता हूं । अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है । मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पेटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई । ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई । इनमें कोंगका ला, गोगरा और पैंगोग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है । इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है ।

अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ, status quo को यूनिलैटरली बदलने का प्रयास है। यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देख कर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून, 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमति बनी कि रेसिप्रोकल एक्शन्स के द्वारा disengagement किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे status quo बदले। किन्तु इस सहमति के वाइलैशन में चीन द्वारा एक वाइलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहा संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी, वहां शौर्य प्रदर्शित किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं बहादुरी की भूरि-भूरि प्रशंसा करने में मेरा साथ दें। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटरमिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है।

चूंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं, हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमैटिक और मिलिटरी इंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिसकशन्स में तीन की-प्रिंसिपल्स हमारी एप्रोच को तय करते हैं – एक, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। दूसरा, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और तीसरा, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया

पालन होना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल्ड किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वे भी यही कहते हैं।

जबकि ये डिसकशन्स चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस-को को बदलने का प्रयास था, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेज द्वारा टाइमली और फर्म एक्शन्स के कारण उनके ये प्रयास विफल कर दिए गए।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रूप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना, सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 एवं 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इसका पूरी तरह पालन करती हें, चाइनीज साइड की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आस-पास समय-समय पर फेस-ऑफ्स और फ्रिक्शन्स भी पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस-ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स निर्धारित हैं। तथापि, इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेज का वायलेंट कंडक्ट सभी म्युचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है।

अभी की स्थिति के अनुसार, चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला-बारूद मोबिलाइज़ किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंगका-ला और पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंट्रेस्ट्स पूरी तरह सुरक्षित रहें।

अध्यक्ष महोदय, सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलता से सामना करेंगी। साथ ही साथ, उनके द्वारा आज भी जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको अपनी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गर्व है, हमें गौरव की अनुभूति होती है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरों का खुलासा यदि करना चाहूं, तब भी नहीं कर सकता हूं, यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूं कि यह सदन इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा।

अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के चैलेंजिंग समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेज और आईटीबीपी की तेजी से डिप्लायमेंट हुई है। उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है। यह इसलिए भी संभव हुआ है, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरियाज में उनकी डिप्लायमेंट क्षमता बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना बजट काफी बढ़ाया है, जो पहले से लगभग दोगुने से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेज बने हैं। इससे न केवल लोकल पापुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। …(व्यवधान) इसके कारण वे बॉर्डर एरिया में अधिक एलर्ट रह सकते हैं। …(व्यवधान)

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): No translation is coming …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): There is no translation going on. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक मिनट रुक जाएं। सैक्रेटरी जनरल, आप देखें कि ट्रांसलेशन आ रहा है या नहीं।

महासचिव : अध्यक्ष जी, ट्रांसलेशन शुरू हो गया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चैक कर लीजिए, ट्रांसलेशन हो रहा है।

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष जी, इसके कारण वे बार्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति कमिटेड रहेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बार्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल, शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटरपार्ट से 4 सितम्बर को मास्को में मिला और उनसे हमारी इन-डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के समक्ष रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, एग्रेसिव बिहेवियर और *unilaterally status quo* बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करें। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की sovereignty और territorial integrity की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं। इसके बाद मेरे कुलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितम्बर को मास्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिनसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कम्प्लीट डिसइंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बार्डर एरियाज में शांति स्थापित हो सकती है।

जैसा कि सदस्यों को जानकारी है, बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बार्डर एरियाज में लम्बे stand-off की स्थिति कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया गया था। हालांकि, इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इनवॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन प्वाइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है, फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के

लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ-साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परम्परा रही है। महोदय, मैं दोहराना चाहता हूं कि सदन की गौरवशाली परम्परा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है, तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति अपनी पूरी एकता और भरोसा दिखाया है। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर इस सदन ने पूरा विश्वास व्यक्त किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ देशवासी जवानों के साथ हैं। उनके लिए बर्फीली ऊँचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गरम कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज्ड टेंट तथा उनके सभी अस्त्र-शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊँचाइयों पर, जहां आक्सीजन की कमी है तथा तापमान शून्य से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचीन, कारगिल आदि ऊँचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं।

मुझे इस गौरवमयी सदन के साथ यह साझा करने में कतई संकोच नहीं है कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और मैं इस सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रेजोल्यूशन पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिला कर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वे रक्षा करते हैं। यह समय है, जब यह सदन सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2507/17/20]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 11, महासचिव।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए । …(व्यवधान)

15.26 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR

8th and 9th Reports

SECRETARY GENERAL: Sir, I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour: -

(1) Eighth Report* on 'The Industrial Relations Code, 2019' relating to the Ministry of Labour and Employment.

(2) Ninth Report$ on ‘The Code on Social Security, 2019’ relating to the Ministry of Labour & Employment.

*** The Report was presented to Hon'ble Speaker (17th Lok Sabha) on 23rd April, 2020 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.**

$ The Report was presented to Hon'ble Speaker (17th Lok Sabha) on 31st July, 2020 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

15.26 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS...Contd.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Departments of the Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Hon. Speaker Sir, on behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman *ji*, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Departments of the Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance.

…(*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT -2508/17/20.

15.26 ¾ hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Developments on our boarders in Ladakh

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी ने सदन की लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम बनाए हैं। मैं आपका ध्यान नियम 372 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें आप सभी ने, सदन ने तय किया है कि लोक मत के किसी भी विषय पर अध्यक्ष की सहमति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा। जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यह सदन नियम प्रक्रिया से चलता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे संवेदनशील विषय पर, जब सारा देश सेना के साथ खड़ा है, तो सारे सदन को भी देश की सेनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दीजिए।…(व्यवधान) हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

15.27 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS….Contd.

(iii)Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Demands for Grants' (2019-20) pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति। …(व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT -2509/17/20.

15.27 ½ hrs

(iv) Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Agriculture on 'Demands for Grants' (2020-21) pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

> कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति। …(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : आप पार्लियामेंट की ….** ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सेना के साथ खड़े हैं। सभी सहमत हैं। आप यही बात बोलना चाहते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : बिल्कुल, सर।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपकी तरफ से यह बोल दिया।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए।…(व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT -2510/17/20.

** Not recorded.

15.28 hrs

(v)Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 222nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Management of Worsening Traffic situation in Delhi' pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 222nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Management of Worsening Traffic situation in Delhi' pertaining to the Ministry of Home Affairs.

माननीय अध्यक्ष : यह आइटम का काम हो जाए तो मैं व्यवस्था देता हूं ।

…(व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT -2511/17/20.

15.29 hrs

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Sir, I beg to move:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect one Member of Rajya Sabha, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote; to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Dr. K. Keshava Rao from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the member so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee."

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट के लिए रुक जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बिजनेस पूरा हो जाए, फिर मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा से डॉ. के. केशव राव की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए रिक्त स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी स्थायी समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस प्रस्ताव को पूरा कर दूं, उसके बाद आपको व्यवस्था दूंगा।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, व्यवस्था नहीं, हमें बोलने का मौका दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए रुक जाइए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा से डॉ. के. केशव राव की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए रिक्त स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी स्थायी समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

____

15.30 ½ hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) National Jute Board

माननीय अध्यक्ष : आईटम नम्बर 17, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी जी।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to move the following:-

> "That in pursuance of clause (b) of sub-section 4 of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, read with Rule 5 of the National Jute Board Rules, 2010, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

15.31 hrs

(At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhary and some other hon. Members left the House.)

(ii) RUBBER BOARD

माननीय अध्यक्ष : आईटम नम्बर 18, श्री हरदीप सिंह पुरी जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to move the following:-

> "That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947, read with rule 4 (1) of the Rubber Rules, 1955, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा

उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर जी।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): श्री बाबा साहेब ने वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश का आकलन करते हुए कि लोग 22 करोड़ हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटने की शुरुआत की थी। वर्ष 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए, उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने के लिए सेंट्रल गवर्मेंट को प्रस्ताव भेजा था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों के हित के लिए और लोगों को हाई कोर्ट तथा अन्य सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश को चार टुकड़ों में बांटा जाए। दिल्ली सरकार ने वर्ष 1953 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ग्रेटर दिल्ली में मिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। उस समय श्री ब्रह्म प्रकाश चौधरी जी मुख्यमंत्री थे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटा जाए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए, जिससे दलितों, पिछड़ों और अकलियतों को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। पिछले दिनों राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछड़ी जातियों खासकर गुर्जर समाज के साथ अन्याय किया है, अगर आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बन जाए, तो पिछड़े वर्ग में से खासकर गुर्जर समाज का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकेगा। आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने की मेहरबानी की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती संगीता आज़ाद और श्री संजय काका पाटील को श्री मलूक नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती डॉ. भारती प्रवीण पवार जी।

माननीय सदस्यगण, जहां भी बैठे हुए हों, चाहे राज्य सभा या गैलरी में कहीं भी बैठे हों, वे वहीं से हाथ उठा कर बोल दें, ताकि वे ध्यान में आ जाएं।

***DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI):** During this Corona pandemic for the last 4 to 5 months, our famers are facing hardships. They are not getting remunerative and fair prices for their agriculture produces. Yesterday, Government declared ban on export of onions. That is why the prices of onions have come down drastically and the farmers have landed in trouble. A good quality of onions are grown not only in Nasik district but, everywhere in Maharashtra. The economy here is largely based on onion crop and as of now, farmers have a huge crop of onion in storage. Asia's largest onion market is situated in Nasik district. Hon'ble Speaker Sir, through you, I would like to request Hon'ble Agriculture Minister to lift the ban on export of onion and give a relief to farmers immediately. The onion containers waiting for clearance at Bangladesh border and different ports should be cleared at once. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुजय विखे पाटील, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल और श्री देवजी एम. पटेल को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभी माननीय सदस्यगण से मेरा आग्रह है कि समय कम है, इसलिए अपनी बात को एक मिनट में कंक्लूड कर दें।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख रहा हूँ।

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

*History was created on 29th of May 1953, when Tenzing Norgay Sherpa and Edmund Hillary climbed the top of the Mount Everest (Sagarmatha). In recognition of his extraordinaire feat, he was awarded with George Medal in 1953 itself. Special Olympic Medal, Iran Shah Medal, USSR Special Medal Nepal Tara and numerous other medals were bestowed upon him. In 1999, he was declared one of the Most Influential Person of the World by Time Magazine. In 2000, he was recognized as one of the 10 Best Athletes of the world by Life Magazine. NASA has honoured him by naming one of Pluto's mountains as "Tenzing Montes". Our nation has honoured him with Padma Bhusan and named the Highest Adventure Sports Award after him.

Despite being the most deserving of the highest honours our nation can bestow on anyone – Bharat Ratna, he has not been awarded with that honour. On behalf of the people from Darjeeling hills, Terai and Dooars where he lived, and adventure lovers from across our nation and the world, I request our Government to kindly honour Tenzing Norgay Sherpa ji by bestowing upon him Bharat Ratna award. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे और श्री सुधीर गुप्ता को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* English translation of the speech originally delivered in Nepali.

वास्तव में, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा किसानों की, अन्नदाता की चिन्ता करते हुए महत्वाकांक्षी 'किसान सम्मान निधि' योजना लाई गई। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाए और एक प्रकार से वहाँ 'उलटा चोर कोतवाल को डाँटे' जैसी स्थिति है। प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता में अड़ंगे लगा रही है। राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा किसानों के दस्तावेज़, बैंक दस्तावेज़, आधार कार्ड के साथ घोषणा पत्र भरवाकर कृषि विभाग में जमा किया जाना था। लेकिन लापरवाही पूर्वक उनके आधार कार्ड, बैंक के आइएफएससी कोड और खाता क्रमांक में त्रुटि की गई। एक बार पोर्टल में इंदराज करने के बाद किसानों से संबंधित जानकारी के सुधार आदि का पासवर्ड पटवारी के पास होता है। उसे सुधरवाने के लिए किसान आवेदन दे-देकर थक गए। कांग्रेस सरकार किसानों से *...* * कर रही है। इस प्रकार से, शासन की लचरता ही नहीं, बल्कि साज़िश के साथ उन्हें वंचित किया गया है। तत्संबंधी, पात्र किसानों का ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हेतु मेरे द्वारा लिखित में भी पत्र दिया गया था, जिसमें किसानों के नामज़द आवेदन को संलग्न किया गया था। लेकिन पत्र पर कार्रवाई तो दूर पत्रोत्तर भी आज तक अप्राप्त है। शासन की उदासीनता से किसानों में आक्रोश और असंतोष है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बनावटी और कृत्रिम समस्या को दूर करवाएँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल और श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन को श्री संतोष पान्डेय द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance of my constituency in this august House.

---

* Not recorded.

Maoist problem is a big problem in the country. Along with other States, West Bengal, specially my Lok Sabha area, Jhargram, also is one of them. From 2008 to 2010, the area was very badly affected. In that period, about 700 people were killed; 500 plus people were missing. After coming to power of the TMC Government, many Maoists were arrested and some had surrendered. The most tragic incident is that in the name of rehabilitation, many arrested Maoists were given jobs and compensation. But those who lost their kith and kin and those who were missing, their families are still wandering from pillar to post for justice and compensation.

Due to the presence of the paramilitary forces till 2019, the area was calm and cool. Presently, most of the forces have been withdrawn from the area. A few days ago, a leader of that horrible period was released from jail and again some Maoist activities are surfacing.

In these circumstances, I urge upon the department concerned to look into the matter seriously, redeploy paramilitary forces immediately and take necessary steps. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता को श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री एस. जोतिमणि – उपस्थित नहीं।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया। देश के सभी केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में वर्ष 2020 से शुरू होने वाले सत्र में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई है, जिससे केन्द्रीय विद्यालय के कक्षा-1 में 30,416 तथा नवोदय विद्यालय के कक्षा-6 में

12,852, कुल 43,287 छात्रों को पहली बार प्रवेश में जो विशेष अवसर मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोगों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह मांग लंबे समय से पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा की जाती रही है। संसद की अन्य पिछड़े वर्ग की संसदीय समिति ने राज्य सभा में अपना प्रतिवेदन दिनांक 13 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत किया था तथा दिनांक 5 फरवरी, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया था। इस पर मंत्रालय से दिनांक 30 मार्च, 2020 को स्वीकृति आदेश जारी किए गए और छात्रों के प्रवेश का रास्ता प्रशस्त हो गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी से रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल तथा अन्य स्कूलों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री उदय प्रताप सिंह, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रवि किशन एवं श्री मलूक नागर को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Thank you very much, Sir. I invite the attention of this House to a matter concerning murder of two youths in Venjaramoodu in my Parliamentary constituency, Attingal, Kerala on 30th August, 2020. The ... *is taking this as an opportunity to divert public attention from the ongoing allegation and corruption charges against the ... *.

There was widespread violence at the Congress offices across the State. Instead of conducting proper investigation, even the ... * are making

* Expunged as ordered by the Chair.

baseless comments aiming at political gains. The conspiracy behind this case cannot be revealed in the inquiry by the State police. The ... *in this case is known for his association with the ... * and he had faced disciplinary action many times for serious misconducts.

It is clear from the CCTV footages that 12 persons were involved in the attack but the police is inquiring about nine persons only. This has raised many doubts and an inquiry by the central agency can only reveal the conspiracy behind the murder. I would request that the investigation in this case should be handed over to the CBI.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, Shri Kodikunnil Suresh, Shri K. Muraleedharan, Shrimati Ramya Haridas, Shri T.N. Prathapan, Shri Hibi Eden, Shri V.K. Sreekandan, Shri Rajmohan Unnithan and Shri M.K. Raghavan are permitted to associate with the issue raised by Adv. Adoor Prakash.

माननीय अध्यक्ष: सभी को एसोसिएट कर लिया है, जो भी इस विषय के लिए बोल रहे हैं।

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां अच्छी रोड कनेक्टिविटी न होने के कारण इन दोनों जिलों में कोई अच्छे उद्योग-धन्धे नहीं हैं। मैंने वर्ष 2014 से ही लगातार मांग की है कि गोरखपुर से सलेमपुर, देवरिया होते हुए, बेल्थरा रोड, सिकन्दपुर, बाँसडीह, मनियर, रेवती, मांझी घाट, बिहार बॉर्डर तक लगभग 200 किलोमीटर की सड़क को एनएचएआई के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके बनाया जाए।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

हमें खुशी है कि गोरखपुर से सलेमपुर तक रोड फोर लेन में हो गई है, लेकिन दूसरे चरण में सलेमपुर से लेकर बेल्थरा रोड, सिकंदरपुर, बाँसडीह, रेवती तक, बिहार बॉर्डर तक उस सड़क को बढ़ाने के लिए मैंने लगातार मांग की है। मैं आज सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि उस सड़क को बनाया जाये, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए और वहां के लोग मुख्य धारा में जुड़कर विकास के मामले में आगे बढ़ें। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Malook Nagar, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kushwaha.

***SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. NEET is a deadly weapon. Surrounded with the deep sorrow after the demise of more 12 children starting from Anitha to Jothi Sridurga of my constituency, when will you give up the National Eligibility cum Entrance Test (NEET)? NEET is like a trident which has three prongs. One prong is having a negative impact on the education system in the State by taking away the rights State Government. Another prong supports coaching and opposes teaching. Finally the third prong affects the psychology of the students forcing them to commit suicides. When will you drop this deadly weapon? Is it after the death of so many children.? The unanimous resolution passed by the State Assembly of Tamil Nadu regarding the Admission of Students to UG Medical Courses was returned by Hon. President of India. If the Bill is returned under Article 201 of the

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Constitution of India, the reason for return should be specified. But till date no reason has been provided. Legal luminaries do not question such issues. But these legal luminaries respond immediately if Actor Surya says something. Justice and Examination should not be as a part or on the basis of the Laws of Manu. That is why we request that NEET should be withdrawn or given up. Thank you.

HON. SPEAKER: Dr. DNV Senthil Kumar and Shrimati Kanimozhi Karunanidhi are permitted to associate with the issue raised by Shri S. Venkatesan.

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य पोडियम पर खड़े होकर बोलते हैं, वे लम्बा बोलते हैं।

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I would like to request the Government, through you Sir, to speed up the execution of National Highways announced earlier and as a first step, allot NH numbers to the said routes. I am speaking about the newly declared National Highway from the junction of ORR at Gowrelly Junction on NH-38 Kothagudem which is encountering inordinate delay due to non-allotment of NH number, even though the DPRs were submitted way back. As it has been declared as a new National Highway, the maintenance of the existing road is not being taken up by the State Government. The State Government seems oblivious to the number of accidents taking place along this road and the loss of lives and limbs owing to the deplorable conditions of the roads. What prompts me to think is that the repeated reminders from various quarters have fallen on deaf ears of the State Government.

This new national highway reduces the distance between Vizag Port, the State of Chhattisgarh and Hyderabad by nearly 100 kilometres. This road passes through the tribal areas and two district headquarters, that is, Mahabubabad and Kothagudem. It also passes through the famous Sita Ramachandraswamy Temple at Bhadrachalam, on the shores of Godavari River visited by thousands of pilgrims. This new national highway is also aligning this road. A national highway work of such importance needs to be executed on a priority basis.

Lastly, I request the Government, through you, to allot the NH number to the newly declared national highway from the junction of ORR to Gowrelly junction on NH 38, Kothagudem to complete the work as early as possible, to prevent further accidents and loss of lives.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, today I would like to speak about the tourism potential in my place and the need to set up a water aerodrome in Rajahmundry.

The Ministry of Civil Aviation has planned for water aerodromes near the locations of tourist and religious importance with the twin objectives of promoting tourism and also providing air connectivity under the UDAN scheme. I welcome this, as this also helps to achieve the third objective of generating more and more employment opportunities and also promoting tourism.

I also welcome the move of the Government of India which has identified some routes for this purpose in some States. In my constituency near Papikondalu, there is a scenic river with stunning views of surrounding hills

with lush green vegetation and also wildlife. We have a cruise service offered here by the Government of Andhra Pradesh under the leadership of our hon. Chief Minister, Y.S. Jaganmohan Reddy Ji. Kadiyapulanka is an absolute bliss of one’s visual sense. It is a flourishing hub of horticulture and floriculture. A 120-year old Havelock Bridge is one of the earliest three bridges constructed in the country. The Railways decommissioned this bridge and we are turning it as one of the finest heritage monuments. The River Godavari has its own beauty from the tourists’ point of view and also it is a river of religious importance from the point of view of devotees.

Looking at all these and the other important destinations in Rajahmundry, it is perfect to start water aerodrome in River Godavari. I appeal to the hon. Tourism and Culture Minister and also to the Civil Aviation Minister to start the aerodrome in the following routes; - Rajahmundry to Prakasam Barrage and Rajahmundry to Nagarjuna Sagar of Hyderabad. Thank you so much.

श्री देवेन्द्र सिंह ‘भोले’ (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र अकबरपुर-कानपुर, उत्तर प्रदेश में रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निर्माण कार्य में उपयोग लाए जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन के चलते खराब हुई सड़कों के पुन: निर्माण के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात एवं कानपुर नगर में रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निर्माण कार्य में निर्माता कम्पनियों के द्वारा माल ढुलाई में भारी वाहनों का प्रयोग किया जाता है। उक्त वाहनों से रेल पटरियों के लिए बालू, मिट्टी, गिट्टी आदि सामानों की ढुलाई की जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कें पूर्णतया

क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात की लगभग सभी सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण दर्जनों ग्रामों के राहगीरों एवं क्षेत्रवासियों का आवागमन दूभर हो गया है एवं विगत में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उक्त सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों से वार्ता की गयी। जिस पर जनपद कानपुर नगर एवं देहात के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सड़कों के निर्माण के लिए उक्त संबंधित एजेंसी डीएफसीसीआईएल को कई पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं एवं प्राक्कलन द्वारा धन आवंटित न किए जाने की परीक्षा की गयी, किंतु उक्त निर्माण कम्पनी द्वारा अभी तक धन आवंटित न किए जाने की कार्रवाई न किए जाने के कारण आज तक उक्त सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। जिससे राहगीरों, क्षेत्रवासियों और आम जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही है।

महोदय, इस स्थिति से मेरे लोक सभा क्षेत्र के लोग ही नहीं वरन् कई जनपदों के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। उक्त संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भी लिखित और स्वयं मिलकर के अवगत कराया है। अत: आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में निर्माणकर्ता कम्पनी को धन आवंटित करने एवं उन सड़कों का पुनर्निर्माण कराए जाने की कार्रवाई कराए जाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, बिहार में बाढ़ से लगभग 90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में महानंदा, कनकई, मेची, डोक, रतुआ, रमजान और परमान नदी के कारण कई गांवों की हजारों एकड़ जमीने और सैकड़ों घर बह गए हैं, जिसमें माली टोला, matyari, महेशबथना, निसंद्र, लौचा, तेलिभित्ता, भौल्मारा, dhariya और परसराई जैसे कई गांवों में नुकसान हुआ है। मेरी आपके माध्यम से यह अपील है कि जिनकी जमीनें कट गई हैं, या जिनको नुकसान हुआ है, उनको जमीनें उपलब्ध कराई जाएं। जिनके घरों का नुकसान हुआ है, उनको घर

दिए जाएं, जिनको कैटल का नुकसान हुआ है, उनको कैटल दिया जाए और जो लोग मर गए हैं, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, जिनका डॉक्यूमेन्ट्स का नुकसान है, उनको सरकार की तरफ से डॉक्यूमेन्ट्स मुहैया कराए जाएं। इसके साथ ही महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट नहीं बनने के कारण साल दर साल हमें नुकसान हो रहा है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगले एक-दो सालों में वह पूरा हो जाए, ताकि जो सालाना तबाही होती है, वह रुक सके।

महोदय, मुझे आपने पिछले एक साल में लगभग तीसरी बार बोलने का मौका दिया है। मैंने आज फ्लड पर बोला है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही हमारी बिहार सरकार ने इसमें कोई पहल की है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि इसमें पहल हो, जो आवाम तकलीफ में है और जो लोग बर्बाद हो गए हैं, उन तक मदद पहुंचाई जाए।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों हिमाचल की बेटी और ख्याति प्राप्त सीनियर अभिनेत्री कंगना रनौत जी के साथ जो व्यवहार महाराष्ट्र की शिव सेना सरकार ने किया है, मैं उसकी भर्त्सना करने की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

मान्यवर, इस होनहार बेटी ने बालीबुड में नशा माफियों के वर्चस्व की ओर सरकार और पुलिस का ध्यान आकर्षित कराना चाहा है। इसके बदले में उसे अशोभनीय गालियां दी गईं और उनकी अनुपस्थिति में उनका करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित ऑफिस तोड़ दिया गया।...(व्यवधान) यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से चले जाने की धमकी भी दी है। इस बहादुर बेटी ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है और गत 9 तारीख को मनाली से मुंबई पहुंची।

मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभारी हूं, जिन्होंने उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर अवांछनीय तत्वों की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस मुद्दे पर कंगना रनौत को पूरा सहयोग दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, शिव सेना पार्टी जो वास्तव में शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाली पूज्य बालासाहेब ठाकरे के संरक्षण में...(व्यवधान) बढ़ने वाली सेना नहीं रही है। वह अब कांग्रेस सेना बनकर रह गई है।...(व्यवधान) जिसने महाराष्ट्र को अपनी निजी संपत्ति बना रखा है। इस कारण कंगना रनौत जैसी मेधावी अभिनेत्री को*...* ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बी. मणिक्कम टैगोर जी – उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलना है, या नहीं बोलना है।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, the brutal sexual assault of a Dalit girl, who was a Covid-19 patient, by an ambulance driver on the way to hospital in Aranmula, Kerala is a heinous crime in which the investigation process is sluggish and justice is being denied.

The horrific rape of a Dalit girl in Kerala near Aranmula while being transported to a Covid treatment facility by the driver of an ambulance service of the State health department, which is operated by GVK EMRI Emergency Management Services, has shaken the conscience of the people of Kerala.

The diabolic nature of the attack on the helpless woman, who is also a Covid patient, shows the depraved nature of assault carried out by the

---

* Not recorded.

assailant. Such incidents have occurred not only in Kerala but throughout the country.

As you know, Sir, the Covid patients are already facing a lot of problems and these incidents show that there is no protection available to them. So, the Government and the Health and Family Welfare Department should ensure the protection of such patients.

Sir, the State of Kerala, where this incident has happened, has been a cause of shame for the country. Therefore, through you, I would request the Health and Family Welfare Ministry to ask for a detailed report of this incident, which has happened in Kerala. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि को श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

16.00 hrs

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, the medium of instruction in schools has kept the class and caste division alive in India. Even after decades since the last education policy, the new one keeps the similar tradition going. Teaching the children till class VIII in their mother tongue and then suddenly bombarding them with English at a stage where it is difficult to learn a new language, is simply depriving them of opportunities in the future.

You propose to instruct the young minds in their local language and then question their English language capabilities when they seek a government job. It is utter hypocrisy. The students from such bhasha schools are always at a disadvantage not only at international but also at the national level. If every

single government exam tests the strength of English, then it must be our duty to teach the children that language because grammatical nuances cannot be learnt suddenly as it is a long process. So, English must be made compulsory; or else, remove the section from government exams. You cannot have it both the ways.

Due to our hon. Chief Minister Mamata Banerjee's sincere efforts, since 2017 English, along with Bangla and Hindi, has been made compulsory which will actually yield fruit, and it must be made a pan-India method – English compulsory, mother tongue and one other language of choice – which will ensure their true all-round development. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*__SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):__ Hon. Speaker Sir, Vanakkam. In Tamil Nadu, irregularities amounting to the tune of Rs 1000 crore have taken place in the implementation of the PM KISAN Scheme, meant for providing financial assistance to farmers. Lakhs of eligible farmers have not been provided financial assistance under this Scheme, but more than five lakh ineligible persons have been included as beneficiaries.

The Union Government which is waiving loans amounting to several thousands of crores of rupees of the big corporates and businessmen, is not waiving the loans taken by farmers thereby leaving them in deep distress. In this scenario, it is a matter of great concern that, a small Scheme meant for providing financial assistance to farmers is not being effectively implemented.

This Scheme is full of scams. Only the officials are made the scapegoats. Without the knowledge of the State Government of Tamil Nadu, this scam could not have taken place. The BJP's State in Tamil Nadu is openly involved in capturing the flagship schemes of the Union Government. It is not at all acceptable. Government Schemes should be implemented properly benefitting the eligible beneficiaries without any political intervention. Political interventions will definitely lead to such scams.

I urge upon the Union Government to order an enquiry by CBI to look into the irregularities that have cropped up in the implementation of PM Kisan Scheme in Tamil Nadu. Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I would like to speak about the plight of jasmine farmers in Madurai District, particularly in Thirumangalam and Thirupparankundram. During the entire COVID period – during the lockdown and post-lockdown – the plight of these farmers is such that their lives have been destroyed. The Government as well as the officials are not giving any importance to them.

Hon. Prime Minister during his Independence Day Speech spoke about a district hub for export, calling it export hub. I would like to request the hon. Minister of Commerce and Industry to take care of the jasmine growers in Madurai District, particularly in Thirumangalam and Thirupparankundram, and have a special programme to make an SPV for the export of jasmine from Madurai. As per the Sangam literature, even 2,000 years earlier, the jasmine produced in Madurai was world famous and was being exported across the world. This is the case historically also, but the lives of the farmers producing it and small traders are miserable today under this Government which has completely ruined their lives by their unplanned lockdown and their sufferings have been increasing multi-fold.

Sir, I would like to request, through you, the hon. Minister of Commerce and Industry to take the announcement of hon. Prime Minister which he made on the Independence Day and make Thirumangalam and Thirupparankundram export hubs for jasmine industry.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष :श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्य सभा में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हों, उनको मैं देख रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वे बहुत नजदीक बैठे हुए हैं। वे सामाजिक दूरी की पालना करें। राज्य सभा में बैठे हुए माननीय सदस्यों को आखें यहां भी देख रही हैं।

श्री गोपाल जी ठाकुर।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए समस्त मिथिला की तरफ से आपका अभिनंदन। महोदय, 04 अगस्त, 2020 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर की टीम द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास बिहार मखाना के नाम से जीआई टैग हेतु एक आवेदन भेजा गया है। महोदय, मखाना मिथिला क्षेत्र की प्रमुख फसल है, पूरे देश के उत्पादन का 90 प्रतिशत मिथिला में होता है, जहाँ पग-पग पोखर माछ मखान के लिए प्रसिद्ध मिथिला जैसे जल ही जल वाले क्षेत्र में मखाने का उत्पादन 9.5 लाख हेक्टेयर से अधिक में होता है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को समस्त मिथिला की तरफ से मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के मार्ग को प्रशस्त करते हुए वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और दस हजार करोड़ रुपये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़ के लिए दिया गया, जिसमें मखाने को शामिल किया गया।

माननीय अध्यक्ष : गोपाल जी, धन्यवाद।

श्री गोपाल जी ठाकुर : महोदय, एक मिनट। बस हो गया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी।

16.07 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS…Contd.

(vi) Diet Chart Plan for Pregnant woman

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं और साथ ही यह कहना चाहती हूं कि इस सदन के गरिमामय इतिहास में आज पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से मैं डाइट चार्ट फॉर प्रेगनेंट वूमेन के संकल्प को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, आपको ज्ञात है कि 22 नवंबर, 2019 को प्रश्न काल के दौरान आपने स्वयं हमारे विभाग को आदेश दिया था कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सरकार यह प्रयास करे कि क्षेत्रीय परम्पराओं के आधार पर गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का संकल्प एक डाइट चार्ट के रूप में सदन के सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाए। आपके आदेशानुसार मंत्रालय में एक समिति का गठन कर इसमें राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, आईसीएमआर को सम्मिलित किया गया और उनके प्रयासों के बाद आज क्षेत्रवार गर्भवती महिलाओं के लिए एक डाइट चार्ट पहली बार इस सदन के इतिहास में मैं प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाई हूँ। अध्यक्ष जी, इस अनोखी सोच के लिए आपका धन्यवाद। मैं मात्र एक और निवेदन करना चाहूँगी। आप सब को ज्ञात है कि प्रधान मंत्री जी का राष्ट्रीय संकल्प कि भारत में कोई भी महिला और बच्चा कुपोषित न हो। इस संकल्प के साथ 08 मार्च, 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की गई। तत्पश्चात् सितम्बर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया

जाता है। मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों से निवेदन है कि सितम्बर के इस महीने में कोविड प्रोटोकॉल के चलते चाहे जितनी भी चुनौतियाँ हों, हमारे सम्मानित सांसद अपने-अपने गृह जिले में, लोक सभा क्षेत्र में पोषण अभियान में अपनी भूमिका सतत निभाएँगे, यह विश्वास व्यक्त करती हूँ।

अध्यक्ष जी, मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश की सरकारों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि 14 सितम्बर यानी कल तक देश भर में एक करोड़ 35 लाख विविध गतिविधियाँ की गईं, ताकि पोषण अभियान का यह संदेश घर-घर प्रदेश की सरकारें पहुँचा सकें। हमें आपका सान्निध्य और सांसदों का सदैव सहयोग इसमें मिलता रहेगा। इसके साथ मैं अपने निवेदन को समाप्त करती हूँ। मैं आपकी अनुमति से नियमानुसार इसको सभा पटल पर प्रस्तुत करूँगी।

[Placed in Library, See No. LT 2511A/17/20]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट। श्री कल्याण बनर्जी।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I wrote two letters dated 27th March, 2020 and 6th April, 2020 respectively. In both the letters, I sanctioned rupees one crore from MPLADS fund for medical testing, screening and other facilities required to detect and contain COVID -19.

This amount was allocated for 2019-20. Second instalment money has also been sanctioned. The District Magistrate has sent the recommendation. But, unfortunately, till this date, Sir, rupees one crore have not yet been sent by the Central Government. Since COVID -19, six months have passed. But it has not been sent. This is number one.

Secondly, I wish to tell you and I wish to point out that you take our 100 per cent salary. I will not mind. I will not mind and I think no Member will mind. But give us the full MPLAD fund so that we can work for the benefit of the poor people and for the development of the country …(*Interruptions*)

Sir, hon. Defence Minister is here. He assured us that in case of urgent things, the Ministers will also reply to that. I hope I have raised a very important thing.

*__SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR):__ Sir, a few days ago, the Central Government published a list of the official languages of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Sir, with a heavy heart, I am reporting that Punjabi language, which is widely spoken in the state, does not find a mention in this list. Dr. Farooq Abdullah ji is sitting in this august House. Dr. Abdullah himself speaks very chaste and refined Punjabi. Surprisingly, the list of languages includes English but Punjabi has been removed from the list. This entire region was part of the Sikh empire of Maharaja Ranjit Singh. From Afghanistan to Tibet and from Jammu and Kashmir to Punjab, the entire area was part of Maharaja Ranjit Singh's empire.

So, I urge upon the Central Government to include Punjabi as a language of Jammu and Kashmir. When Jammu and Kashmir enjoyed the status of a state, Punjabi was one of the official languages of the state. Dr. Farooq Abdullah ji will vouch for it.

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): I was the Chief Minister of the State. I did introduce Punjabi because it is not only spoken by the Sikhs, it is also spoken by the all the people in Kashmir because of its closeness to the Border. Sir, this should be considered.

Also, I will request the Minister to consider Pahari and Gojri languages which are also spoken by a large number of people. Please that may also be considered.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

16.14 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। माननीय सदस्य मामले का पाठ व्यक्तिगत रुप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

(i) Need to ensure full procurement of farm produce at Government procurement centres in Sikar Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर, राजस्थान में मूंगफली, बाजरा सहित विभिन्न फसलों का बहुतायत में उत्पादन होता है। सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी खरीद केन्द्रों पर किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा खरीद नहीं की जाती है, यह कहकर मना कर दिया जाता है कि लिमिट पूरी हो चुकी है। इसके अलावा अधिंकाश समय पोर्टल बंद रहते हैं, जिससे किसान रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पाते हैं। जिन किसानों से सरकारी केन्द्रों पर फसलें खरीदी जाती है, उनसे भी पूरा माल नहीं लिया जाता है। इससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि आगामी समय में पोर्टल पूरे समय खुलने के साथ साथ सभी किसानों से उनकी फसल का पूरा माल भी खरीदा जाए।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to ensure construction of solar plant by NTPC as per specified norms in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh in time bound manner

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर उ0प्र0 के अन्तर्गत डुडवा जमौली, ब्लॉक शिवराजपुर, बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए जा रहे सोलर प्लांट की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि जिस कम्पनी को यह काम सौंपा गया है,उसका कार्य संतोषजनक तरीके से नहीं चल रहा है । तथा निर्माण सामग्री भी गुणवत्ता के अनुरूप उपयोग में नहीं लायी जा रही है एवं लाईनिंग के कार्य में नौरंग की जगह डस्ट को उपयोग में लाया जा रहा है और केबिल के नीचे बालू भरने की जगह बालू व मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है एवं निचली गंगा नहर प्रखण्ड कानपुर में 241 कि0मी0 नहर की लाइनिंग के कार्य में 100 करोड़ रूपये से अधिक राशि व्यय करने के बाद लाइनिंग की स्थिति आज जीर्णशीर्ण है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित की जा रही उपरोक्त परियोजना में कथित अनियमित्ताओं की जांच केन्द्रीय मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करवाए जाने हेतु भी अनुरोध किया है । लेकिन, इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी धन का दुरूपयोग जारी है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित की जा रही उक्त परियोजना में कथित अनियमित्ताओं की जांच केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके करवाए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए जाएं और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र की उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए।

(iii) Need to transfer one Buddha 'Asthi Kalash' on display in National Museum, Delhi to National Museum, Piparhawa in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): बौद्ध धर्म को मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर आने में अपना सौभाग्य मानते हैं । कपिलवस्तु आने वाले पर्यटक वहाँ के इतिहास को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पिपरहवा कपिलवस्तु में कही है, उसके अंतर्गत कपिलवस्तु में Department of Archaeology एवं कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्त खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को उक्त संग्रहालय में रखा गया है। लेकिन यहाँ से खुदाई से प्राप्त दो अस्थिकलश वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रारम्भिक 29 वर्ष कपिलवस्तु में ही व्यतीत किये थे। इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए कपिलवस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है । यदि एक अस्थिकलश वहाँ से राष्ट्रीय संग्रहालय पिपरहवा, कपिलवस्तु में स्थानान्तरित कर दिया जाये तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर एवं श्रावास्ती के साथसाथ अस्थिकलश के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे जिससे देश एवं प्रदेश को काफी विदेशी मुद्रा से राजस्व में वृद्धि होगी एवं ध्यान लगाना बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय के पास एक ध्यान केन्द्र होना भी आवश्यक है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भगवान बुद्ध का एक अस्थिकलश राष्ट्रीय संग्रहालय कपिलवस्तु में उपलब्ध कराने हेतु भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को निर्देशित करे ओर बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक ध्यान केन्द्र की स्थापना करवाने की कृपा करे।

(iv) Need to run 15-coach local trains on Mumbai suburban railway network

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय रेल मंत्री महोदय ने एक वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि मुम्बई के सभी लोकल ट्रेन को 15 कोच वाली ट्रेन के रूप में जल्द ही परिवर्तित किया जाएगा और उन्होंने निरंतर प्रयास भी किया है जिसके लिए मैं माननीय महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ । वर्तमान में अधिकांश 12 कोच वाली लोकल ट्रेन सेन्ट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे द्वारा मुम्बई और सबअरबन में चलाई जा रही है जिसकी क्षमता 3000 यात्रियों की होती है और 5500 यात्री पीक ऑवर में सफर करते हैं। 15 कोच वाली ट्रेन की क्षमता 4200 यात्री की होती है जिसमें पीक ऑवर में लगभग 7000 यात्री सफर कर सकेंगे। इस प्रकार से 15 कोच वाली ट्रेन चलाए जाने पर लगभग 25 प्रतिशत क्षमता में वृद्धि हो जाएगी । 15 कोच वाली ट्रेनों को चलाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म को भी इसके अनुकूल बनाना होगा और प्लेटफॉर्म के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा। वर्तमान में जो प्लेटफार्म हैं वे 12 कोच वाली लोकल ट्रेन के अनुकूल हैं। सबसे पहले प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाकर 15 कोच के अनुकूल बनानी चाहिए ताकि सुगमतापूर्वक 15 कोच वाली लोकल ट्रेन चलाई जा सके।

माननीय रेल मंत्री जी के प्रयासों से इस एक वर्ष में 15 कोच वाली लोकल ट्रेनों का चलना शुरू हो गया है। परन्तु प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाकर मुम्बई के सभी लोकल स्टेशन पर 15 कोच वाली ट्रेन के रूप में ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सभी 12 कोच वाली लोकल ट्रेन को 15 कोच वाली लोकल ट्रेन में परिवर्तित करना चाहिए, ऐसी मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है।

(v)Need to extend the benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana to all the tribal families in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मैं राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले जो कि एक आरक्षित जन-जातीय सीट है, वहां से जीत कर आता हूँ।

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं नेतृत्व में प्रधान मंत्री आवास योजना को 25 जून, 2015 को शुरू किया गया जिसका लक्ष्य वर्ष 2020 तक देश में कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर, पक्का मकान उपलब्ध करवाना है।

मैं बताना चाहूंगा कि योजना के अन्तर्गत मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) में अब तक 1.5 लाख गरीब आदिवासियों को योजना से लाभ मिला और आज वह अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। यह आजादी के बाद देश में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधान मंत्री की दूरदर्शिता सबके विकास के लिए पक्के मकान के साथ-साथ बिजली, शौचालय, गैस कनेक्श्न मिल रहे हैं जिससे आज देश का गरीब . आदिवासी भी अपना जीवन अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से जी रहे हैं।

मैं बताना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में कुल 544 ग्राम पंचायते हैं जिनमें से आज भी 32 ग्राम पंचायतों में रह रहे गरीब आदिवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। वर्ष 2018 में राजस्थान की तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में संस्तुति की गयी थी परन्तु अभी तक लोगों को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है।

मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि विषय की गंभीरता को देखते हुए वंचित लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।

(vi)Need to complete construction of MDR-56 in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan from Central Road Fund

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): केन्द्रीय सड़क निधि से भारत सरकार द्वारा वर्तमान में राज्यों को धनराशि आबंटित की जाती है। पहले सीधे सड़क निर्माण कि स्वीकृतियाँ दी जाती थी। उस समय अनेक सड़कें जो सीआरएफ के अन्तर्गत स्वीकृत हुई परंतु अधूरी रह गई एंव राज्य सरकार अब उनको पूरा नहीं कर रही है, मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार राज्यों को सीआरएफ की राशि आबंटन के समय यह शर्त रखे कि जो सड़के पूर्व में स्वीकृत हुई थी, अधूरी रह गई उन्हें पूरा किया जावे इसके बाद अन्य सड़के बनाई जावे। जैसे मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाडा में एमडीआर 56 के लिए सीआरएफ से 2009 में राशि स्वीकृत हुई थी, परंतु कार्य का टेंडर 2012 में होने से 2012 की बीएसआर से कार्य पूरा नहीं हो सका कोठाज, परोली, रोपण 13.6 किमी सड़क अधूरी रह गई थी, राजस्थान सरकार को इसे सीआरएफ से पूरा करने के निर्देश प्रदान करायें।

(vii)Need to establish a medical college in Pratapgarh district in Chittorgarh Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र चितौडगढ़ के प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता है। प्रतापगढ़ जिला एक बेहद कठिन भौगोलिक संरचना वाला जिला है। यहा पर वन एंव पहाड़ों कि अधिकता होने से आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतापगढ़ में मेडिकल कालेज नहीं होने से यहाँ विशेष चिकित्सकों का भी अभाव रहता है जिसके कारण गंभीर बीमारी होने या गंभीर दुर्घटना होने पर घायल को अन्यत्र रेफर करना पड़ता है।

यदि प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना होती है तो जनजातीय क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पायेगा।

प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कालेज की स्वीकृति प्रदान कराई जाए जिससे कंठालवासियों को बेहतर चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ मिल सके।

(viii)Need to provide ownership rights of land to people relocated due to Tilaiya dam of Damodar Valley Corporation

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): झारखण्ड राज्य में स्थित दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) का तिलैया डैम, जो 1953 में बनकर देश को समर्पित किया गया। इस डैम के निर्माण से 56 मौज़ा/गाँव के लोगों को अपने मूल जगहों से विस्थापन के बदले जिस जगह बसाया गया है उस स्थान का जमीन या घर का मालिकाना हक अभी तक नहीं मिल पाया है, इन 56 गावों में एक गाँव हडाही जो चौपारण प्रखण्ड में हुआ करता था, जो डैम बनने के कारण मुख्य डूब क्षेत्र में समाहित हो गया, विस्थापन के उपरांत गाँव के लोग 1953 में ही विस्थापित होकर हजारीबाग जिले के बरही प्रखण्ड के बरसोत पंचायत के श्रीनगर में रह रहे हैं। आज तक न तो दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) से अथवा राज्य स्तर से और न ही केंद्र स्तर से समस्या का समाधान निकाला गया। अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि जनहित को दृष्टिगत करते हुए दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) के तिलैया डैम के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों को उन्हें बसाए गए स्थान का मालिकाना हक दिलाये जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाने का कार्य करें।

(ix)Need to provide compensation to cotton and moong farmers of Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana who suffered crop loss due to scanty rain and pest attack

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में किसानों ने कपास और मूंग की खेती की है। पहले तो बरसात कम हुई, फिर कीटों के हमले, इन सब आपदओं से किसान की दोनों फसलें (कपास व मूंग) बिल्कुल खत्म हो गई। खेती हमेशा सक एक घाटे का व्यवसाय रहा है फिर भी एक किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर्जा लेकर खेती करता है लेकिन जब किसी आपदा से उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है, कर्जा घटने की बजाए बढ़ने लगता है तो किसान आत्महत्या जैसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है । वर्तमान में मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में भी यही हुआ है कि आपदा से दोनों फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में कपास और मूंग की फसलों की जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवा कर मुआवजा दिया जाए ताकि इस वैश्विक (कोविड-19) महामारी में किसान भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।

(x)Need to introduce flight from Sirohi district, Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर): सिरोही जिला में माउंट आबू और शक्ति पीठ अम्बा जी मंदिर दो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। यहां साल में लगभग देश और विदेश के 23 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। आबू में डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से बहुत संभावना है और फिल्म यूनिट के लिए भी एक आइडल लोकेशन है। जालोर का सुधामाता तीर्थ तथा 72 जिनालय जैन मंदिर तथा स्वर्णगिरि दुर्ग भी सिरोही से नजदीक है। ऐसे में कम समय में पर्यटकों का इन तीनों स्थलों पर जाना सुलभ हो जायेगा। यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ करने से माउंट आबू के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा यहां 30 मीटर विमान आसानी से उतारे जा सकते हैं। अब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ वीआईपी उडानों के लिए किया जाता रहा है। नियमित हवाई सेवा से जुडने पर सैलानियों के साथ व्यापारियों को भी बड़े शहरों से यहाँ पहुंचना आसान हो जायेगा।

(xi) Need to lay railway line between Dehradun station and Kalsi in Tehri Garhwal Parliamentary Constituency in Uttarakhand

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) के देहरादून जिले की ओर दिलाना चाहती हूँ । मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत देहरादून से कालसी तक रेल लाईन बिछाने का सर्वे दो बार हो चुका है, जिसमें कोई भी टेक्नीकल फॉल्ट नहीं है। लेकिन अभी तक देहरादून से कालसी तक रेल लाईन बिछाने के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। यह क्षेत्र पछुवादून - प्रवादून जौनसार बावर क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको अपने घर आने-जाने में भारी असुविधा होती है । इसके साथ ही साथ कालसी शिलालेख पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है । रेल लाईन न होने के कारण यहाँ के व्यापारियों तथा यहां आने-जाने वाले पर्यटकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देहरादून से कालसी तक रेल लाईन की मांग बहुत पुरानी है और समय-समय पर मुरादाबाद मंडल के देहरादून रेलवे स्टेशन से कालसी तक रेल लाईन बिछाने की मांग होती रही है।

मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मुरादाबाद मंडल के देहरादून रेलवे स्टेशन से कालसी तक रेल लाईन बिछाने के लिए तत्काल वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।

(xii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Maharajganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस जनपद में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह जनपद भारत-नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर केन्द्र सरकार के अनेकों विभागों के कर्मचारी/अधिकारी तैनात हैं। जिला प्रशासन द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के मानकों के अनुरूप नि:शुल्क भूमि तथा अस्थाई संचालन हेतु भवन व शिक्षकों के रहने हेतु आवास उपलब्ध करा दिया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति तथा उपलब्ध कराये गये भवन में केन्द्रीय विद्यालय के अस्थायी संचालन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

(xiii)Regarding construction of Deoghar-Pirpainti via Godda Railway Line.

DR. NISHIKANT DUBEY(GODDA) : I have demanded, in my capacity as the Godda Lok Sabha MP, that the crucial Deoghar-Pirpainti via Godda railway line be constructed as per the new cost share of 50-50. The state government agreed and wrote to the Railway Board that they are happily willing to contribute 50 per cent of the total cost.

In February 2014, the CCEA cleared this 127-km Deoghar Pirpainti via Godda rail project. The land acquisition has since started. However, in 2017 the Coal Ministry put up an objection saying that it has been allotted a coal block on the route between Godda to Pirpainti. This came as a surprise, especially as prior NoC had already been provided by the Coal Ministry which allowed for the land acquisition to take place. Now, the Godda to Mahagama - 32 Km land acquisition process is complete and the Railways had awarded the work to lay the railway line.

However, the 30-km section between Mahagama and Pirpainti is stuck due to the coal companies last minute objections. Due to this hitch, the state government is not willing to fund the project, as the new alignment will go through Bihar.The people of the region are suffering for the past 72 years.

It is, therefore, requested:

1. To overrule the objections of Coal India and stick to the old alignment of the proposed railway line.

2. NTPC should allow for the usage of its existing line and save costs and delays.

Anything short of it will compel the people of the region to protest and shut down the mining of coal and its transportation to NTPC. It is thus requested to the Government to intervene at the earliest and resolve this problem which is preventing the development of the region.

(xiv) Regarding Privatization of Thiruvananthapuram international Airport

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY) : I raise an important issue of worsening relations between the Centre and State of Kerala on the issue of award of privatization of Thiruvananthapuram International airport to Adani group.

I would request the Centre and Civil aviation Ministry to accept the will of the people of the State as reflected in the assembly resolution and stop the efforts to privatise the management of running the Thiruvananthapuram airport.

(xv)Regarding internet connectivity issues in Palakkad, Kerala.

SHRI V.K. SREEKANADAN (PALAKKAD) : Mobile has become an integral part of everyone's life in the country. The importance of mobile has further strengthened due to Covid 19 as everything has moved on to online from activities ranging from Panchayat to higher education and what not. However, all depends upon its connectivity. In my parliamentary constituency, Palakkad, there are connectivity problems in many places. I had brought this to the notice of the Hon'ble Minister. In the absence of electricity and its intermittent supply and poor signal or mobile connectivity, the students were not able to cope up with online classes and worst hit were more than 6,000 tribal students living in Attappadi which is one of the largest tribal settlements in Kerala. Therefore, I urge upon the government to direct the concerned to put up more mobile towers in the entire district of Palakkad to tide over mobile connectivity problems.

(xvi) Regarding construction of tar road in Salem District, Tamil Nadu

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARAMAPURI) : I wish to draw the attention of the Government towards the formation of tar road from mud road to a distance of 10 kilometres in Palamalai Panchayat kolathur Union, mettur taluk, Salem District,Tamil Nadu, which comes in my Dharmapuri Parliamentary Constituency.

The history of the case is detailed below:

The above mentioned village is village panchayat having the strength of president, Panchayat councillors which is a very backward area. The total area of the panchayat is above 1395 hectares. More than 1360 families are living with nearly the population of 4000. The main occupation of the public is only agriculture. This village is having government sub primary health care, government high school up to 10th standard with adequate electricity facilities.

The thrust of this issue is the formation of tar road from mud road from kannamuchi area to the said village in question—the road covers palamalai village, the forest area of 4 kilometres and 6 Kilometres from Panchayat road.

During rainy season it is a hard task for the agriculturists to transport the produced agriculture goods to the market and to the public. Hence it is highly essential to construct the road from Kannamuchi village to Palamalal panchayat.

(xvii) Regarding release of pending GST compensation to States.

PROF. SAUGATA RAY (DUM DUM) : Full compensation to the States for loss of revenue on account of GST implementation is getting delayed unduly. The Centre and non-BJP ruled states are facing continued face off over the mechanism to meet the compensation deficit. The Centre's stand is against the letter and spirit of the constitutional amendment by which the States had given up their right to levy certain taxes as well as the understanding reached in the meetings of GST Council. The quantum of compensation to be paid to the States was not an executive decision of the Central government or the GST Council, but was a legal obligation on the Centre under the GST (Compensation to States) Act. The government is unlikely to cede to the state's demand that the borrowing should be done by the Central Government. The committed expenditure (salaries, pensions and interest payments) of States are very high. On top of this, revenues have taken drastic fall due to the pandemic. The Centre and States are in conflict over the financing of GST shortfall amounting to Rs. 2.35 lath crore in the current fiscal. Out of this, as per the Centre's calculation, about Rs. 97,000 crores is on account of GST implementation and the remaining Rs. 1.38 lakh crore is due to the impact of Covid-19 on states' revenues. Further, State governments had raised concerns that denying compensation of revenue loss for GST implementation is unconstitutional. I urge upon the Government to release pending GST Compensation to states at the earliest.

(xviii) Need to establish a Cotton University and a Cotton Processing Industry in Parbhani Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री संजय जाधव (परभणी): महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के किसानों की जीविका चलाने का मुख्य साधन कपास उत्पादन है । कपास की खेती कर किसान अपने परिवार का भरण-पोषण और अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। कपास से रूई निकाल कर कपड़े भी बनाये जाते हैं लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं होने के कारण यहाँ के कपास किसानों को तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी लागत आती है और कोई लाभ नहीं होता है। यदि मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री का निमार्ण होता है तो यहाँ के किसानों को कॉटन निर्माण के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा उनका खर्चा भी बचेगा और वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे। क्षेत्रीय जनता को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, बेरोजगारी दूर होगी। इसके साथ - साथ राज्य एवं केन्द्र सरकार को अच्छा राजस्व भी मिलेगा ।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी (महाराष्ट्र) में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री को स्थापित करने की कृपा करें जिससे कपास किसानों को फायदा मिल सके।

(xix) Need to take flood control measures in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में हुई बाढ़ की विभीषिका एवं उससे हुए जान-माल के नुकसान की ओर मैं माननीय जलशक्ति मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल में लगातार बारिश होने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और बाल्मीकि नगर बराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ देने से रातों-राज पूरा जिला जलमग्न हो जाता है। गंडक नदी के लगातार घटते-बढ़ते जलस्तर की वजह से बाँध में कटाव होता है और बाँध टूट जाता है। इससे करीब एक सौ पच्चास (150) गाँव के लोग प्रभावित होते हैं तथा हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हो जाते हैं। पिछले कई सालों में लाखों लोगों के घर नदी के कटाव के कारण समाप्त हो गए। कल तक जहाँ गाँव हुआ करता था आज वहाँ कई किलोमीटर तक नदी की धारा बह रही है। वर्ष 2017 में 300 परिवार वाला टिहरी टोला गंडक की उग्र धारा में बह गया था। कई स्कूल एवं सरकारी भवन भी बह गए। हमारे गोपालगंज में 72 किलोमीटर की दूरी में गंडक नदी बहती है, जिसमें 8 जगहों पर डेंजर प्वाइंट हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र के 6 प्रखण्ड जिसमें बरौली, सिधौलिया, बैकुण्ठपुर, कुचायकोट एवं गोपालगंज ब्लाक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

इसका समाधान यह है कि अगर जलशक्ति मंत्रालय बाँध में बोल्डर लगा दें एवं किनारों को सीमेन्टेड कर दें तो कटाव को रोका जा सकता है तथा इससे बाढ़ से होने वाली बर्बादी को भी रोका जा सकता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में गंडक नदी पर सरकार ने किया है। इससे सरकार को हर साल खर्च होने वाले करोड़ों रूपये को बचाया जा सकता है साथ-साथ बाढ़ का स्थायी समाधान भी है।

अत: माननीय जलशक्ति मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ ताकि केन्द्रीय टीम को भेजकर सर्वे कराया जाए एवं स्थायी समाधान निकाला जाए । बाढ़ के स्थायी समाधान से देश का पैसा बचेगा एवं लोगों के जीवन में खुशहाली आयेगी।

(xx) Need to provide adequate financial assistance or relief package to farmers distressed due to loss of their crops caused by floods in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान लॉक-डाउन के बाद किसी भी तरह कर्ज़ लेकर धान व अन्य फसलों को तैयार कर रहे थे। ऐसे में देश के विभिन्न क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र जिला श्रावस्ती व जिला बलरामपुर जो लगभग 150 कि.मी. राप्ती नदी के किनारे बसा है, यहाँ लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गयी हैं, जनजीवन बदहाल हो गया है।

मैं सरकार से माँग करता हूँ कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए ग्राम स्तर पर सर्वे कराकर विशेष किसानों की ऋण माफी आर्थिक सहायता या राहत पैकेज दिया जाए, जिससे देश की रीढ़ की हड्डी (किसान) को बचाकर देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके।

(xxi) Regarding amendment to Atrocities Act

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR) : Are we realizing the dreams of Ambedkar? Are we even after 73 years of Independence able to provide security to Dalits? Are we really treating them as human beings? No,

This becomes clear if one looks at attacks on Dalits during recent past — be it killing boy for sitting on chair and eating food before upper caste men in UP, be it tonsuring boy, cutting moustache in East Godavari of AP for confronting a local ruling party leader, be it raping 16 year old Dalit girl for days by 10 men in Rajahmundry of AP.

Where are we going? Why are we not sensitive towards our fellow citizens?

So, I urge the Government of India to amend Atrocities Act as done in Epidemics Act and include that investigation is completed in 30 days and trial is completed in six months. I am sure this will provide protection to Dalits.

(xxii) Need to protect the fishing hub of Kollam Parappu (Quilon Bank)

SHRI N.K. PPREMACHANDRAN (KOLLAM): The new routing system of ships announced by the Ministry of Shipping takes away the important fishing hub Kollam Parappu (Quilon Bank). Quilon Bank is the one of the richest fishing grounds in the south west coast for over four decades, New shipping corridor claims good portion of it. It cannot provide huge fleet of fishing boat access to the most productive strip of Kerala. It will lead to the loss of livelihood to the fisherfolk. It is necessary to protect the Kollam Parappu to ensure the livelihood of the fisherfolk. It is pertinent to note that shipping hubs in Tamil Nadu coastal region was avoided from the shipping route considering the request of Tamil Nadu Government. Alternate shipping route is possible in Kerala region also.

Hence, I urge upon to save the Quilon Bank and find out a new shipping channel without disturbing the Quilon Bank.

____

16.15 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

AND

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 2020

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 19 और 20 एक साथ लिये जा रहे हैं।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस।

डीन कुरियाकोस जी, आप संकल्प पेश कीजिए। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जैसे ही आप बोलेंगे तो आवाज आएगी।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

> "That this House disapproves of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) promulgated by the President on 7th April, 2020."

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration. "

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

और

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

ADV. DEAN KURIAKOSE: Thank you, Sir. I heartily welcome all the positive steps that have been taken by this Government to fight against COVID-19 pandemic including the salary-cut decision of MPs. Even though, we are suffering a lot to meet the monthly expenditure, we are the first responsible persons to give a good message and give confidence to the common people in such a critical situation.

I do not think that any one of us would be reluctant to donate or share a part of our salary with the Government if the same will be useful in our country's fight against this unprecedented pandemic. Even though, the salaries and allowances of an MP are comparatively less than higher-level Government officers, we need to set an example by contributing our salaries for supporting the Government initiatives in the fight against COVID-19. We can also understand the situation that mandated promulgation of an Ordinance for this purpose as the Parliament was not in a position to hold its Session during that time. Hence, I am not here to object to the contents of this enactment.

<u>16.18 hrs</u> **(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)**

The Amendment, which is to be in effect from 1 April, 2020 to 31 March, 2021 deducts a sum of Rs. 57,000 from our salary in a month, which includes Rs. 30,000, Rs. 21,000 and Rs. 6,000 from the salary, constituency allowance and stationery allowance respectively. This total collection from salary comes to only Rs. 54 crore. In this regard, we would say that this is only a symbolic approach. This amount is nothing compared to the financial impact made in the backdrop of COVID-19 pandemic. It is less than 0.001 per cent of the Special Economic Package announced by the Central Government. It is only 0.27 per cent of the Central Vista Project. It is only 0.8 per cent of the amount that the PM CARES Fund received in its first week. At the same time, we cannot ignore the fact that we have not succeeded in preventing this disease as very soon we are going to have 50 lakh positive cases in our country. We have to find out where our policies and systems have failed. If the Government would rather reduce the unnecessary expenditure and mobilize its revenue, a far better economic package could have been procured.

Due to several reasons like these, I can say that the decision taken to freeze the MPLADS up to 2022 was wrong. It is very sad at this time that MPLADS has also been stopped without any consultation or prior information. The Government on 24 March issued one circular regarding utilisation of MPLADS fund for medical testing, screening and other facilities to fight against Covid-19. I had allocated Rs. 1.5 crore from it to various Government hospitals

in my Constituency for purchase of medical equipment including ventilators, and for infrastructure facilities.

At that time, unexpectedly the Government had taken the decision to freeze two years' MPLAD funds, that is, Rs.10 crore. After some days, the Government had withdrawn the previous year's second allotment of Rs.2.5 crore also. Totally, Rs.12.5 crore have been transferred to the Contingency Fund. The number of patients is very high in Kanahli, of my constituency, Fortunately, it is not so in Kerala. But the infrastructure facilities and medical equipment like ventilators are very less in comparison to any other district in Kerala. If the MPLADS funds are not frozen, we could have utilised this Rs.12.5 crore for purchasing medical equipment and for providing infrastructure facilities. In my strong opinion, the MPLADS must be brought back and money saved from reducing the salary cut must also be added to that. There can be a conditional clause for a certain period that this Fund should be allocated only to projects related to healthcare. With these words, I am concluding my speech. I am supporting this Ordinance but I am objecting to the wrong approach of the Government.

HON. CHAIRPERSON : I would like to draw the attention of the hon. Minister to the very important point because for 2020-21, and 2021-22, the MPLADS is frozen, but it is quite unfortunate to note that even for 2019-20, Rs.2.5 crore which has not been allocated, that has also been taken away; in respect of those works which have already been proposed, and even agreements have

been executed, Mr. Minister, kindly look into the matter. That is the suggestion the hon. Member is making.

श्री विजय बघेल (दुर्ग): सभापति महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि कोरोना महामारी के संकट से उबरने में माननीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय प्रह्लाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020 के पक्ष में बोलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है।

सभापति महोदय, लोक सभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से 17वीं लोक सभा ने अनेक इतिहास गढ़े हैं और हम सब उसके साक्षी बने हैं। चाहे हम कार्य-प्रणाली की बात करें, चाहे अनेक विधेयक पास होने की बात हो, 17वीं लोक सभा ने अनेक ऊँचाइयाँ तय की है। आज तक के लोक सभा के कार्यकाल में यह पहला कार्यकाल चल रहा है, जिसने एक साल में अनेक ऊँचाइयाँ प्राप्त की है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ।

सभापति महोदय, इसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना महामारी का संकट आ गया। इस संकट के साथ-साथ बहुत सारी अन्य चुनौतियाँ भी आई हैं। चाहे वह चीन की बुरी नज़र हो, चाहे अनेक प्रदेशों में बाढ़ की विभीषिका आई हो, इन सब चुनौतियों का हम निरंतर सामना कर रहे हैं। सभी सांसदों की एकजुटता और भारतवर्ष की जनता की बदौलत हम लोगों ने उन चुनौतियों का सामना किया है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हर चुनौती को हमें अवसर के रूप में बदलना चाहिए। आज हम सब ने मिलकर उन चुनौतियों को अवसर के रूप में बदला है।

सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से एक बार फिर से इतिहास गढ़ने का सुअवसर हम सब को प्राप्त हुआ है। देश में जब कोरोना महामारी आई, उस समय लोक सभा स्थगित कर दी गई और यह आवश्यक भी था। सभी माननीय सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर पीड़ित और प्रभावित लोगों की सेवा में लग गए। उनके साथ-साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ और व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा में लग गए। ज्यादा प्रभावित लोगों को कैसे सुविधा मुहैया करायी जाए? ऐसे अनेक परिवार थे, जो रोज कमाने-खाने वाले लोग थे,

उनके घर में चूल्हे जलने बंद हो गए। उनकी भी सुध माननीय सांसदों ने ली और उसके साथ-साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने ली और राज्य की सरकारों ने भी ली। हमारा सौभाग्य है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य को उन्होंने सहयोग प्रदान करना शुरू किया और अनेक लोगों के खाते में व्यक्तिगत रूप से भी जो योजनाएं बनी थीं, उसके माध्यम से उनके खातों तक भी पैसे पहुंचे। यह हमारा सौभाग्य है।

माननीय सभापति महोदय, आज की स्थिति में अगर हम देखें तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से जो स्थिति भारतवर्ष की है और साथ ही साथ यहां के रहन-सहन, यहां की दिनचर्या और अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी हम अन्य देशों के मुकाबले इस महामारी को रोकने में बहुत सक्षम हुए हैं। यह हम सबका मिला-जुला प्रयास है। अनेक प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों के लोग काम की खोज में जो निरंतर जाते रहे हैं, वे वहां बुरी तरह फंस गए। सभी माननीय सांसदों ने अपने संपर्क के माध्यम से वहां के माननीय सांसदों से संपर्क करके, वहां के जिला प्रशासन से संपर्क करके अपने क्षेत्र के लोगों को संरक्षण प्रदान किया। यह भी एक सराहनीय कार्य माननीय सांसदों ने किया। मैं इसके लिए सभी माननीय सांसदों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज यह बिल इसलिए आया है कि 7 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से एक अध्यादेश जारी हुआ और उस अध्यादेश के माध्यम से हम सभी माननीय सांसदों के वेतन की राशि से 30 पर्सेंट की कटौती कर इस अभियान के लिए लगी। हम सबका मानना है कि सामूहिक सहयोग और सामूहिक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। इसीलिए तो मंदिरों में हवन-पूजन सामूहिक रूप से किया जाता है, मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है, चर्चों में सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं होती हैं, गिरजाघरों में सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं और गुरुद्वारों में भी सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं। इसमें बड़ी ताकत है। यह जो सामूहिक राशि हम सब सांसदों ने दी है, वह एक ताकत बनकर, जिसकी उम्मीद हमारे क्षेत्र की जनता को थी कि सांसदगण अपना सहयोग दे रहे हैं या नहीं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा। इस सराहनीय कार्य में मेरे क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया। एक ऐसे 81 वर्षीय व्यक्ति, जो भिलाई इस्पात संयत्र से रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जमा पूंजी से 5 लाख रुपये की राशि प्रधान मंत्री केयर फंड में प्रदान की है। इसी तरह एक विधवा बहन श्रीमती प्रभा यादव ने तीन साल की विधवा पेंशन की राशि लगभग 11,111 रुपये की राशि उन्होंने प्रधान मंत्री जी के केयर फंड में योगदान की। इसी तरह दो ऐसे मासूम बच्चे सात वर्षीय आदित्येंदु माता प्रतिभा, पिता हितेंद्र यादव और कुमारी नव्या यादव, साढ़े पांच वर्षीय, पिता लोकेश और माता रश्मि यादव, इन दोनों ने अपने गुल्लक की लगभग 8,600 रुपये की राशि प्रधान मंत्री जी के केयर फंड में दी। इतनी बड़ी बात अगर छोटे से बच्चे, एक बुजुर्ग और एक विधवा बहन कर सकती है, तो अगर हम 30 पर्सेंट की राशि एक साल के लिए दे रहे हैं, तो यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है । मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब स्वेच्छा से राशि प्रदान करें और इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। यह मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me opportunity to speak on this Bill.

Sir, the previous speaker has said that 20 per cent of salary has been cut but, to the best of my knowledge, it is a 30 per cent cut.

HON. CHAIRPERSON: Yes, it is 30 per cent.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY : I think the previous speaker spoke about a 20 per cent cut. So, I would like to correct the hon. Member over there who said that it is a 20 per cent cut.

Sir, we are not bickering, or lamenting, or quarrelling about that. We also understand the situation in which this decision was taken. Having said that, I would say that there are other ways to mobilise funds for the country. I am not saying that this should not be done. In accordance with the present situation, we have to also look at all the other ways through which we can mobilise funds. There is already the proposal for construction of a new Parliament building. The Government is going ahead with that proposal where it is planning to spend Rs.20,000 crore in the next three to five years. …(*Interruptions*) This is a big disservice that the Government is doing to the people of India. Especially when the country is going through such an economic crisis, that amount can be used for combating COVID-19 and dealing with the economic crisis which has been caused by it.

The Government is saying that it is going to be cutting the salaries of MPs. I would say that even if you cut Rs.1,00,000 per MP, there are about 800 MPs. We are talking about Rs.8,00,000 per month, which amounts to less than

Rs.100 crore a year or about Rs.500 crore in five years. However, the Government is planning to spend Rs.20,000 crore for constructing a new Parliament building for which there is no urgent need at all in the present circumstances.

The other issue is that the MPLAD Fund has been cut. This is something which we have been objecting to. I feel that many BJP MPs also will stand with us when we say that we do not want the MPLAD Fund being cut. When we say MPLAD Fund, you first have to understand that it is MP Local Area Development Fund. It is not MP’s fund; it is the people’s fund. It is the people’s fund which has been provided for by the Constitution of India. The Government of India has cheated the people by depriving them of their rightful amount.

The Government is saying that it is done to combat COVID-19. The number of COVID-19 cases may be less in many constituencies. But my constituency, North Chennai, has one of the highest numbers of COVID-19 cases and deaths. There is also a huge economic fallout of COVID-19. In spite of that, if MPLAD Fund is taken away, who is going to be taking care of all these things? In fact, I think the Government should have enhanced the MPLAD Fund and should have made it Rs.10 crore per MP instead of Rs.5 crore, in order to combat the economic and health crises which are there in each and every constituency in the country.

COVID-19 may have sporadically affected people in certain Red Zones in some constituencies or States. But the economic fallout of COVID-19 has affected each and every constituency in the country. Each and every family

has been affected because of this economic fallout. I feel that this Government has failed the people in addressing the COVID-19 issue on several counts. These are issues which the Government could have very easily combated. Apart from that, there are plenty of people who have been saying that we could have handled this better by raising funds through loans and other means.

One of the biggest problems that we are facing today is the economic crisis caused not only by COVID-19. If you see the statistics, the GDP of our country has been progressively falling. When we are talking about the National Education Policy, I would like to quote the Prime Minister saying, “We can learn everything”. But we in Tamil Nadu have always believed that ‘*katrathu kaialavu*’ which means, ‘What we can learn is very limited’. If the hon. Prime Minister is under the impression that he knows everything, I would urge him to speak to economists and find out how to solve this crisis. I feel that the Finance Minister and the Prime Minister are not in a position to handle the situation.

Thank you, Sir.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, the YSR Congress Party supports this Bill to reduce the salaries but we have very strong objections and reservations against suspension of MPLAD Funds for the next two years.

Sir, we have already got sanctions for a lot of works and a lot of people are approaching us for small works which we are not able to fulfil. We had already given funds for combating COVID-19. We had promised sanctions for works in our constituencies. If you take the MPLAD Funds of 25 Lok Sabha MPs from our State, the loss to our State comes to Rs.125 crore per year and Rs.250 crore in two years.

We request the Government to rethink this decision. We want the Government to permit the MPLADS. We also want the Government to increase the MPLADS during this time of the pandemic because the MPLADS is most efficiently used when we go into the constituency. We know exactly where the problem is and we use it in the most efficient way. There are a lot of MPs in the Rajya Sabha and in the Lok Sabha from Andhra Pradesh. The amount goes to more than Rs. 350 crore. So, we request the Government to rethink and reconsider the suspension of MPLADS. However, we support this Bill for the reduction of salaries. Thank you, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, in general, I support the Bill brought by Shri Pralhad Joshi to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

In fact, I would like them to deduct even more. I have given an amendment. You will see, Sir. You also have an amendment. Instead of 30 per cent, I have proposed 35 per cent. Let them deduct more. Actually, our Party's stand is that we support their decision to take away as much money as they can from MPs because we are easy targets. They are saying that they are doing a big thing. But actually, my friend, Shri Bhartruhari Mahtab was telling me that all that we are saving is Rs. 54 crore.

I am saying that you take away all our salary but you give us MPLADS fund. You cannot deduct MPLADS fund. Why should you make MPs target? Ministers can spend any amount of money. We were doing small works in our constituency, which is the demand of the people of the constituency. You are taking that away. The Prime Minister has 303 MPs. Does it mean that MPs have no value? बीजेपी में कोई आदमी नहीं है, जो खड़ा होकर बोले कि यह अन्याय है, एमपीलैड फंड नहीं लेना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र है तो बीजेपी पार्टी के अंदर से आवाज उठनी चाहिए कि एमपीलैड फंड जारी रखना है, do not take it away, and if we possibly can increase the MPLADS amount.

I have a similar problem which Shri Kalyan Banerjee has also mentioned. I gave Rs. 50 lakh to a newly setup COVID-19 hospital in my constituency. That money has not yet gone to the District Magistrate from the Centre. They are holding back money which we had given last year also. This

is most unfortunate. I think, instead of making this token gesture, Government needs to cut down on bigger expenses.

Do you know, Sir, how much money has been allocated for creating a new vista for Parliament? It is Rs. 20,000 crore. It is being designed by an Ahmedabad architect, Bimal Patel. And you are taking petty sums from the MPs. Is this the way to show that the Government is practising frugality? I am very sorry to say it is not. How much does the Prime Minister’s personal aircraft, the Embraer Aircraft cost? This should be brought before the people. For the COVID-19 patients, whatever money you spend is good and is necessary but the Government must make big gestures and not make us poor MPs targets of their ire. Just because the BJP Members cannot speak, the voice of the Parliament cannot be stifled. The MPLADS should be kept. You take away all our money but give us MPLADS. Thank you, Sir.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Bill for reduction of salaries to MPs under the Salary, Allowances, and Pension of Members of Parliament Act, 1954. I think this House is in one voice to say that everybody supports this. This is a token gesture but it is an important token gesture on part of the MPs to show that we are prepared to be personally frugal in the time of grave need for this country. Therefore, nobody grudges the reduction by 30 per cent. Perhaps this should have been passed without discussion. The reason there is a discussion happening is because the hon. Speaker has kindly consented that we speak also about the taking away of MPLAD funds in this part of the same Bill Although the hon. Minister who is to reply, is not here, I suppose our sentiments will be conveyed by the hon. Parliamentary Affairs Minister.

India is a three-trillion-dollar economy. We aspire to be a five-trillion-dollar economy by 2022. We aspire to be a 10 trillion-dollar economy by 2030. Now what we are seeing is a cutback with these MPLAD funds being taken away. Rs. 4000 crore a year multiplied by 2 is Rs. 8000 core which is roughly a billion dollar. In a three-trillion-dollar economy, you want to take away a billion dollar of money which is not MPs' money, as one of my colleagues said earlier, but people's money which is spent by the people and for the people, people ask of it and that is how it is paid. With greatest respect, I believe this is disempowering MPs, particularly when no State has taken away MLALADs. In my State of Odisha, an MLAs get Rs. 3 crore per year which, if multiplied by seven, becomes Rs. 21 crore. An MP gets Rs. 5 crore and MLAs together get

Rs. 21 crore. As it is, it is a trifling amount. The MPLAD Committee has repeatedly said that this must be now graded according to present times. This was in 2011 when this amount of Rs. 5 crore was fixed. When we were hoping for a slight escalation upto Rs. 7 crore or Rs. 10 Crore, this has now been completely done away with. I believe this is not a token gesture. I believe the Government takes very serious reconsideration of this because this seriously disempowers MPs. We find it very difficult now to be able to accede to even the smallest request in the constituency. Therefore, I would urge the Government that while we are completely with you on reduction of salaries of MPs in one voice, I think I speak on behalf of the entire House, and I have no doubt about that when I say that MPLAD must be reinstated and certainly that Rs. 2.5 crore that you have taken away by the backdoor for this year should be reinstated at the very least. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Thank you. Maybe that is the sense of the House.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बसपा पार्टी एवं बहन कुमारी मायावती की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि एमपीज की तनख्वाह कम की जाए, बहुत अच्छी बात है और भी ज्यादा कर लेंगे, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन, एमपीज के एमपीलैड का जो पैसा है, वह जरूर जारी रखना चाहिए। जो बीजेपी के एमपीज हैं और जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है, ये चार साल वहां आगे कैसे जिन्दा रहेंगे, पब्लिक में कैसे जाएंगे? जहां से हम हम लोग आते हैं, हमारे पास पब्लिक के लिए सड़क बनाने तथा गरीबों के लिए काम करने के लिए यही एक जरिया है। जब पैसा ही बंद हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे?

दूसरे, सोचने की बात यह है कि संकेत देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छी बात है, लेकिन, सरकार में कई योजनाएं ऐसी हैं, कई जगहों पर कमियां ऐसी हैं, उन पर सरकार थोड़ा-सा भी ध्यान दे दे तो लाखों-करोड़ रुपये आ सकते हैं। मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हूं। वहां फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित विषय के बारे में मैंने एक बार कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं। इनकम टैक्स से संबंधित जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, उसमें 88 मेम्बर्स हैं, जबकि उनमें 126 होने चाहिए। करीब 38-40 मेम्बर्स कम हैं। यदि उनकी संख्या पूरी कर दी जाए और केस फटाफट निपट जाए तो लाखों-करोड़ रुपये आ सकते हैं। सरकार उन वैकेंसीज को फुल करने की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जहां से पैसा आ सकता है। इतना पैसा आ सकता है कि यदि एमपीज के एमपीलैड फंड को कई गुना बढ़ा भी दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

पूरे देश की पार्लियामेंट्री कांस्टिटुएंसीज में आम लोगों को यह भी पता नहीं है कि सरकार ने या माननीय प्रधान मंत्री जी ने एमपीलैड्स फंड बंद कर दिया है। एमपीज के पास लोगों के बहुत फोन आते है। वे लोगों को क्या जवाब दें? बीजेपी के एमपीज को इस विषय पर आगे बढ़कर बोलना चाहिए। सर, यह देशहित की बात है। गरीब के हित की बात है। अगर पूरे देश में एमपीज की तनख्वाह कटौती की बात है तो ठीक है, लेकिन पूरे देश में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वे लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है?…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: All the Members are requested to be brief because we have to take up the next Bill by 1730 hours.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, विश्वभर में कोरोना महामारी का संकट है और अपना देश भी इस संकट को झेल रहा है। मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं और यह राज्य कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने एमपीलैड्स फंड का मुद्दा उठाया है। एमपीज एमपीलैड्स फंड के माध्यम से स्थानीय लोगों के विकास का कार्य करते थे। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के दौरान मैं सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि इस महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न उद्योगपतियों और कंपनियों के द्वारा पीएम केयर फंड में कितना सीएसआर जमा हुआ, उसके बारे में कहीं से भी मालूम नहीं होता है। महाराष्ट्र में कई उद्योगपतियों और कंपनियों ने सीएसआर जमा करवाया है। वे केन्द्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड में पैसा दे सकते हैं, लेकिन जो उद्योगपति हैं या जो व्यवसाय करते हैं, वे सीएम फंड में सीएसआर फंड नहीं दे सकते। यह राज्यों के लिए हानिकारक है। जिस राज्य सरकार के माध्यम से उद्योगपति अपना उद्योग चलाते हैं, अगर वे पीएम फंड में न देकर सीएम फंड में देते तो प्रभावित राज्य कोरोना का पूरी तरह से इलाज कर पाते। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संकट को झेलते हुए राज्य का या देश का एक-एक आदमी केन्द्र सरकार के साथ है। माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र राज्यों पर अन्याय न करके उन्हें सहायता प्रदान करे।

धन्यवाद।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak. सर, हम इस बिल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बीएसी में जब डिस्कशन हो रहा था तो यह बात भी हुई थी कि इस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए और हम सभी को इसका एक आवाज में सपोर्ट करना चाहिए। डिस्कशन के लिए अलाउ करने के बाद यह बात हुई थी कि हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे। एमपीलैड्स फंड के बारे में बाकी एमपीज के बोलने की वजह से यह डिस्कशन चल रहा है। हमने जिस तरह से कोविड-19 को देखा है, पूरी दुनिया में इस वजह से दिक्कत हुई है, उसको देखते हुए एमपीज की जो 30 परसेंट सैलेरी की कटौती करने की बात है, वह कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने देशभर में जो देखा है, गरीब से गरीब आदमी ने भी अपने बगल वाले को सपोर्ट किया है। जो भीख मांगता था, भीख मांगने वाले ने भी बगल वाले भूखे आदमी को पैसे देकर मदद की है। गांव से लेकर टाउन्स तक भी बहुत से लोगों ने इसमें पूरी मदद की है। इसमें पूरा देश एक है। सभी लोगों ने अपना-अपना सपोर्ट दिया है। उस सपोर्ट के साथ, हम लोग इस डिडक्शन वाले बिल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एमपीलैड्स फण्ड के लिए अभी बहुत से लोगों ने बोला है। यह एमपीलैड्स नहीं, यह तो पब्लिक का मनी है, हम लोगों ने भी कोरोना की वजह से यह पूरा पैसा हॉस्पिटल्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए, मेडिकल के लिए, इन सभी कामों के लिए यूज करने का प्लान किया था। जो एमपीलैड्स फण्ड को दो साल के लिए रोक दिया गया है, उस पर सरकार को जरूर और एक दफा विचार करके पॉजिटिव वे में लाकर देना चाहिए।

मगर इसके साथ ही, उसे देने के टाइम में आप उसकी कंडीशन्स भी देख लीजिए। चाहे उधर का पैसा इधर हो या इधर का पैसा उधर हो, वह एमाउण्ट जिस तरह से आप लोग डिडक्ट करके स्पेंड करना चाहते हैं, उसी तरह हम लोगों को एलाऊ कर दीजिए, ताकि हम लोग अपनी कांस्टीट्वेंसी में उस एमाउण्ट को स्पेंड करें। सरकार जरूर इससे एग्री करेगी, यह बोलकर मैं इस बिल का पूरा सपोर्ट करता हूं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. I agree with the sense of the House and we are all in one voice agreeing that we are completely open and supportive to it. Our salary cut is probably a drop in the ocean. But we all want to stand united in this choice.

I would like to flag three limited points. I want to talk about the Central Vista Project. I was just calculating the cost. The cost of it is Rs. 20,000 crore. The amount of money is going to be Rs. 12.5 crore each from about 800 MPs. So, you are saving Rs. 10,000 crore from our MPLADS to build a building which we are not asking. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your microphone is off.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: You can take a vote here that whether you want a Central vista and an office or you want a ventilator, good hospital, and a school in your constituency. I think it is a given. I think it is not even rocket science. So, I urge this Government to come clean on it.

I would like to ask one more question. I do not want to repeat. I remember when Dr. Manmohan Singh Ji was the Prime Minister and the late hon. Pranab Mukherjee was the Finance Minister, we had an austerity measure drive at that time. I want to ask this Government why are they not reducing the Government's expenditure to make sure that the cost come down. What is it? The money is of the MPLADS Fund. First of all, there is a Prime Minister's National Relief Fund. Why does it need to be superseded by one PM CARES Fund? I mean I really do not know the logic. After that, you cannot even question it. So, what is the logic of it? Why is there no transparency? This

whole Government constantly talks about transparency. What do they have to hide that they needed to create one more layer and have this? They are reducing subsidies. Look at the price of crude oil. Globally, the price of crude oil is going down. But in India, the prices of petrol and diesel are going up. What is the logic? Can somebody come clean in this Government and guide us?

So, I urge that we are completely happy to give up our salaries, but MPLAD Scheme needs to be there, this entire Central Vista Project must be cancelled right now, and more ventilators must be brought for the common man in this nation.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, hon. Chairperson, Sir. I support the Bill.

I fully agree with the rationale behind the proposed amendment to reduce the salary and other allowances of the Members of Parliament by thirty per cent for a period of one year from 1st April, 2020.

As the entire country is grappling with the COVID-19 pandemic, I believe it is the responsibility of each of us to support the steps taken to find resources for stopping this unprecedented pandemic. At the same time, I oppose and strongly register my protest on the decision of the Government to suspend the MPLAD Scheme for two financial years, that is, 2020-21 and 2021-22. We are arguing for the BJP Members also since their mouth is closed with tight masks. Though the hon. Minister of Electronics and Information Technology has officially announced the decision of the Union Cabinet to suspend the MPLADS for two years only, the Government chose not to release the unreleased second instalment of Rs. 2.5 crore for the financial year 2019-20 without making it public which is nothing short of betrayal of the democracy.

It is unfortunate that only after several queries that were raised by the hon. Members, a clarification was issued in this regard which cited purely technical reasons for the non-release. We are 29 MPs from Kerala from both the Houses and the total loss for two and a half years would amount to Rs. 362.5 crore. I have already approached the hon. High Court of Kerala for the release of the second instalment of Rs. 2.5 crore for the Financial Year 2019-20. This has halted the progress of several works that we have committed to

our electorate and even 22.5 per cent of the MPLADS -- to be devoted for projects benefitting people from SC/ST categories -- has not been spared from this reduction. Even after this, taking into consideration the ground realities, almost all of us reviewed the already proposed works and committed substantial amounts to COVID-19 works. But the irony is that even after curtailing this much amount, the Government has not fulfilled the statutory obligations under the GST regime for providing compensation for the State of Kerala.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

In these unprecedented health, economic and humanitarian crises, austerity measures are being implemented worldwide not only by governments but by companies, families and households. It is very appropriate that all MPs accept the reduction in our salaries. Our Party – the Telugu Desam Party – fully supports this. But in addition to salary cuts, Government expenditure also needs to be carefully reviewed.

In the corporate sector, we classify expenditure as critical, essential, and desirable: critical being important and urgent, essential being important and not urgent, and desirable being not important and not urgent. So, I would urge that the Government should also review its capital and revenue expenditure plans and take up this classification. It should take austerity measures, delay some of the expenditures that are not critical but perhaps essential and desirable, and release precious funds for a much needed stimulus package where the country has received only 2 per cent of GDP so far. It is far lagging behind most of the big economies around the world. It needs to be, at least, 10 per cent. So, these funds can be released for the stimulus package.

I also fully support the sense of the House regarding the MPLAD funds where during this crisis, critical and important expenditure at the discretion of the MPs are being denied to the public. I think we can micro target the expenditure to far better effect and impact on the public than the Central Government can ever do. So, I would urge not only the next two years'

instalments but the second instalment of the first year should also be released. I had already allocated and given funds to the district Government hospital for COVID-19 expenditure. Even after giving the money to them, it was withdrawn which is not correct.

I fully support the sense of the House that MPLADS should not be touched, if not enhanced. During this crisis, it is very much required even compared to normal situation and classification of other Government expenditure should be taken up on critical, essential, and desirable basis and only go in with the critical expenditure.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, actually the sense of the House is in support of the Bill as well as against the withdrawal of MPLAD funds. As was mentioned earlier by all the Members, I also demand that the MPLADS should be restored. This can be utilised for the development of infrastructure in the healthcare sector. Actually, I myself have allotted almost Rs.90 lakh to a medical college for the development of infrastructure for the COVID-19 patients.

I would also request the Government to go back from its decision to construct a massive building for Parliament. Under these COVID-19 circumstances, we can hold sittings of both Rajya Sabha and Lok Sabha with the existing facilities. Then why should we have another massive structure? I would urge upon the Government to rethink about it.

I once again support this Bill and I demand that MPLADS should be restored.

श्री भगवंत मान (संगरूर) : सभापति जी, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मंत्री जी सभी सदस्यों की बात ध्यान से सुन रहे हैं और प्वाइंट्स नोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सैलरी चाहे 30 परसेंट की जगह 60 या 70 परसेंट काट ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एमपी लैड फंड पब्लिक का पैसा है। एमपी लैड फंड का पैसा रोकना उचित नहीं है। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने कहा कि आप हमें गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि इस-इस काम के लिए पैसा दे सकते हैं और एमपी लैड फंड के लिए गाइडलाइन्स पहले से ही हैं। हमारे लोक सभा क्षेत्र के लोगों ने जो टैक्स का पैसा दिया है, वह तो कम से कम लोगों को वापस मिलना चाहिए। अब सांसद कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, कोई ग्रांट भी नहीं दे सकते हैं, तो हमें किस बात के लिए लोगों ने इतनी उम्मीद से चुना है?

<u>17.00 hrs</u>

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें मिलने वाले भत्ते, सहूलियतें काट दें, खत्म कर दें। मैं चाहता हूं कि एमपीलैड फंड की राशि को 25 करोड़ रुपये कर दिए जाएं, जो अभी एक साल का पांच करोड़ रुपये है। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन साथ-साथ हाउस का सेंस यह है कि एमपी लैड जारी होना चाहिए, ताकि हम लोगों का पैसा लोगों पर ही खर्च कर सकें।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I fully endorse the views expressed by my learned friends here. As far as the salaries and allowances are concerned, the Government can go to any extent in making the cuts. We have no problem in that. We would be happy to join and contribute to mitigate the sufferings of the common people and we are bound to do it. That is why every hon. Member here has agreed to this proposal. At the same time, as has been mentioned by my learned friends, restoration of the MPLADS is the need of the hour. I once again appeal, through you, to the Government to restore the MPLADS as has also been mentioned by my learned friends here.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आज हम सभी संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 के बारे में बात कर रहे है। कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबली आई है, उसके लिए हमारी सैलरी से 30 प्रतिशत काटना है। आप वह 30 प्रतिशत नहीं, बल्कि 40 प्रतिशत ले लीजिए, 40 प्रतिशत नहीं, बल्कि पूरा ले लीजिए, पर हम माननीय एमपीज पर अन्याय नहीं कीजिए, क्योंकि इस सदन में एक भी माननीय एमपी ऐसे नहीं हैं, जिन्होंने यह नहीं कहा है कि कोरोना महामारी से संबंधित इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं, पर वे अपने भाषण के बीच में बोलते हैं कि एमपीलैड फंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, और फिर हम इसका विरोध करते हैं। मिनिस्ट्री को 100 प्रतिशत इस पर बात करनी चाहिए और फिर यह बिल वापस लाना चाहिए। हम जैसे नए लोगों पर अन्याय नहीं कीजिए, क्योंकि अपने क्षेत्रों से लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा कर हमें चुन कर यहां भेजा है। मैंने एक माननीय मंत्री जी का इंटरव्यू सुना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एक साल में 10 हजार करोड़ रुपये के काम किए हैं। हम ने सिर्फ पांच करोड़ रुपये की मांग की है। वह हमें साल भर में मिलते हैं। हमारा वह अधिकार नहीं लीजिए। उस पर हम से ज्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार है, तो उस अधिकार को खत्म न करते हुए, हमें वह दिया जाए। मुझे पता है कि कोरोना महामारी में 800 माननीय सदस्यों के 8000 करोड़ रुपये से कुछ नहीं होना है। इससे महामारी से निपटा नहीं जा सकता है। इससे बहुत ज्यादा बड़े फंड की आवश्यता है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के लोगों को हम से बहुत उम्मीदें हैं। हमें अपने क्षेत्र से फोन कॉल्स आते हैं। इस महामारी के समय में जब एम्बुलेंस देने की बारी हमारे क्षेत्र में आई, ट्राइबल एरिया में एम्बुलेंस देने की बारी आई, तो जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद, जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हुए हैं। अभी हम आपका फंड आपको नहीं दे सकते हैं। आप मुझे बताइए कि जब हम जरूरतमंद को एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे, इस महामारी में आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और काम

करने के लिए फंड देना बहुत जरूरी है। आप हमारी पूरी सैलरी ले लीजिए, पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार हम से नहीं लीजिए। मैं आपसे इतनी विनती करती हूं और इस बिल का सपोर्ट करती हूं।

श्री सैयद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, सरकार ने यह फैसला लिया गया है कि तीस प्रतिशत सैलरी काट दी जाएगी, अगर इससे पहले एक पत्र सभी माननीय सांसदों को भेजा जाता और उनसे पूछा जाता कि कितनी सैलरी काटनी है, महामारी का समय है और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि चाहे विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, सभी कहते कि हमारा 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत वेतन ले लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त के हालात वैसे ही थे। यह मेरी सैलरी है, मुझे इसे कैसे खर्च करना है। यह किसको देना है, यह मेरे हाथ में है, लेकिन एमपी लैड फंड के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फंड है। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हम दो साल आखिर क्या करेंगे? जब हम चुन कर आते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं। जब आज हम से लोग पूछते हैं कि आपने हम से वादा किया था कि स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें यह कहेंगे कि दो साल के लिए सरकार ने हम से यह कहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी करते रहो, काम कुछ नहीं होने वाला है? हम सदन से यह मांग करना चाहते है, यह उम्मीद करते हैं कि यह सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। जिस तरह से दूसरे सदस्यों ने कहा है कि हमारी सैलरी का जितना हिस्सा आप लेना चाहते हैं, वह ले लीजिएगा, लेकिन एमपी लैड फंड एरिया डेवलपमेंट का फंड है। हमें अपने एरिया के अंदर यह खर्च करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हमारा अधिकार है। हम आपसे यही गुहार लगाते हैं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। आज ऐसा लगा कि यह विधेयक सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी एमपी ने यह नहीं कहा है कि वे दो साल के लिए एमपीलैड्स फंड के कटौती का समर्थन करते हैं। एक भी एमपी सत्ता पक्ष से नहीं था। इसका मतलब यह है कि इसे सबका समर्थन है। अगर एमपीलैड्स पर सबका समर्थन है, तो आज हम क्यों न एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास कराएं कि हमें एमपीलैड्स वापस दिया जाए। मैं एक पिछड़े वर्ग जिला से आता हूं। एकदम पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, जहां हमें हर साल गरीबी और भुखमरी देखने को मिलती है। जब लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, तो हमारा एक ही भरोसा है और वह एमपीलैड्स है। हमारी जेब में ज्यादा पैसा नहीं है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास का एमपी हूं। मैं अगर चाहूं, तब भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। एक-दो रास्ते, एक-दो स्कूल्स, एक-दो कम्प्यूटर्स और कोरोना के कारण मास्क, वेंटिलेटर और एंबुलेंस आदि देने के लिए तैयार थे और दिया भी है। अचानक आपके मन में ऐसी क्या मंशा उत्पन्न हुई कि एमपीलैड्स फंड को खत्म कर दिया जाए, यह मुझे नहीं पता है। इससे क्या होगा? हमें जो एमपीलैड्स फंड मिलता था, इसमें से 15 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 7.5 प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए खर्च किया जाता था। मैं आपकी जानकारी के लिए सरकार से यह कह रहा हूं कि 83 प्रतिशत एमपीलैड के फंड्स गांव में खर्च किए जाते हैं, तो फिर क्यों इस तरह से गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।

आपने कहा कि सभी एमपीज़ की तनख्वाह से 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। यह सभी एमपीज़ ने मान लिया। फिर भी मैं क्लीयर कह रहा हूं कि यह penny-wise pound-foolish' है। 'Penny-wise pound-foolish' यह एक कहावत है। आप सैलरी काट लीजिए, लेकिन कॉर्पोरेट्स का भी टैक्स कम कर रहे हैं और वहां से पैसे बचत किए जाने का जो मौका था, आप उसे भी गंवा रहे हैं। आपने सभी एमपीज़ की तनख्वाह काट ली है, उससे आपको क्या

मिला? आपको 54 करोड़ रुपये मिले हैं। फिर भी हम सब कुछ देश और देश की जनता को देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम यहां आकर बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोधपूर्वक यह कह रहा हूं कि आप हमारे एमपीलैड्स फंड को वापस दे दें, क्योंकि पूरा सदन इसके पक्ष में है। यह कभी-कभी कहा जाता है कि एमपीलैड्स फंड का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं इसका भी एक ब्यौरा पेश करना चाहता हूं कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक एमपीलैड्स फंड के तहत 2.69 लाख करोड़ रुपये रिलीज़ हुए थे। इसमें से 2.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसका मतलब यह है कि 93 प्रतिशत पैसा एमपीलैड्स से खर्च किया गया है। यह हम एमपीज़ की पर्फार्मेंस है कि जितना भी पैसा मिलता है, हम उसमें से 93 प्रतिशत पैसा खर्च करते हैं और उसमें भी गांवों के लिए 92 प्रतिशत पैसा खर्च करते हैं। शेड्यूल कॉस्ट एरियाज़ के लिए 15 प्रतिशत, शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ के लिए 7.5 प्रतिशत पैसा खर्च होता है। इसलिए, मैं सदन में दोबारा यह गुहार लगाना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि एमपीलैड्स के फंड के बारे में बीजेपी का कोई भी सांसद कह दें कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। तब हम मान लेंगे। आप अपने क्षेत्र में जाकर बताएं कि आपको फंड नहीं चाहिए। आप दिल की बात कहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है कि मन की बात करो, लेकिन आप लोग न तो मन की बात करते हैं और न ही दिल की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप खुद श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानते हैं। महोदय, इसे रिस्टोर करना जरूरी है। I am fervently appealing to the House that the MPLADS fund should be restored as soon as possible.

With these words, I conclude my speech.

[*]**SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE) :** Hon'ble Chairman Sir, I rise to support this Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020. This Corona pandemic is a huge calamity and hence the Government, citizens and masses should come forward to share the financial burden of this situation. Through this Bill, it has been proposed to cut the salary of Members of Parliament and by bringing this Bill, we have set an ideal example. It would inspire even a Sarpanch of any Gram Panchayat to contribute his salary for this noble cause. We feel proud for Modiji that he has declared a 20 lac crore package and also announced many schemes and taken adequate measures for it. Modiji knows it very well that we will need MPLAD fund. Why are you so impatient? All the municipal corporations and local bodies will have to cut their budget. Government knows about it and it is fully prepared. We are pretty sure that Government is planning for it and hence we are fully supporting the Government.

Modiji and his Government has taken a very good decision. We should trust Government's decision. All the MPs of BJP are equally worried and hence I would like to request you to support it wholeheartedly and pass this Bill unanimously.

We will provide funds for health, education and development of SCs/STs in future. We should think and discuss about this Bill but Government has

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Marathi.

taken a very good decision. We are not worried about development works. We would get the necessary funds for development in due course of time.

Hence, I support this bill. I support this cutting of salary and allowances. I support the decision of this Government. Jai Hind, Jai Maharashtra.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, translation is not there. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : I believe there is no translation.

… (*Interruptions*)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 का बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से पुरज़ोर समर्थन करता हूँ। हमारा मानना है कि देश के इस आपातकालीन समय में सांसदों की तरफ से जो भी मदद हो सकती है, वह पूरी तरह से उचित है। लेकिन जैसा कि इस सदन का एक मत है एमपीलैड फण्ड को लेकर, इस पर मेरे मात्र दो सवाल हैं।

मुझे शासन से यह पूछने का हक़ जरूर है और सभी सांसदों को पूछने का हक़ है, यह ठीक है कि यदि आपने एमपीलैड फण्ड को खत्म किया है और एक बार के लिए उसे सही मान भी लिया जाए, लेकिन जो पाँच करोड़ रुपए हमारे क्षेत्रीय विकास निधि के लिए आते हैं, क्या वे हमारे क्षेत्र में खर्च हो रहे हैं? इन पाँच करोड़ रुपए में जो भी सुविधाएँ- अस्पताल या वेंटिलेटर की होती थीं, क्या उनके ऊपर कहीं भी ये पैसे खर्च हो रहे हैं?

हमने तमाम जगहों पर देखा है कि सरकार को फायदे भी हो रहे हैं। आप पेट्रोलियम प्राइसेस में देख लें। पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम में भारी गिरावट आती गई, लेकिन देश में इस गिरावट का फायदा हमारे किसानों और गरीबों को बिल्कुल नहीं दिया गया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह कहना है कि इन सब जगहों से जो यह छूट मिल रही है, कम से कम यह तो क्षेत्र तक जाए। सांसद विकास निधि से गांव-गांव में एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। हम लोग पूरी तरह से इसको हर क्षेत्र में देने का काम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पुन: विचार किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020. I have just got two very quick points.

This was the Government that came to power on the back of accountability and transparency. In the past six years, we have had a very little of that from the Government. I would like to point out one thing that the MPLADS is perhaps the only thing where MPs are directly accountable to their constituents. When we are voted in, we promise certain things. Each time we go back to our area, and if we do not deliver, people ask us. We get two and a half crores for the first six months, and it is only after we produce the utilisation certificates for the work done that the other two and a half crores are released. So, there is no bigger or greater example of accountability and transparency than this, and by taking this away, I think, the Government is doing the country a great disservice. It not only owes answers to us but also all the constituents of ours are owed answers by the Government.

So, I would request the House to speak in one voice, which we have already done, and I would request the Government to take heed of that voice and reinstate MPLADS. Thank you.

श्री प्रहलाद जोशी: सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं सभी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया और इस बिल को सपोर्ट किया है।

Actually, the scope of this Ordinance and Bill is regarding the reduction of 30 per cent salaries of the Members. The Bill itself is named as the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill. Though, many hon. Members have supported the Bill. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: All the Members have supported the Bill. …(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Yes, all the Members have supported the Bill. I stand corrected, Mr. Adhir Ranjan Chowdhury. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Yes, the entire House is supporting the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: I stand corrected. All the Members, who have participated, have supported this Bill, and I am thankful for that. …(*Interruptions*) Adhir Ranjan*ji,* when you were speaking, the entire Treasury Branch was listening. You should not disturb. You are a very senior Member; please listen to me. …(*Interruptions*) Then, what are you doing? Please listen to me. …(*Interruptions*)

Hon. Chairperson Sir, you have to protect me. Otherwise, without reply, let it be passed.

HON. CHAIRPERSON: Actually, he was supporting.

…(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: If they do not want to listen, how can I reply.

HON. CHAIRPERSON: Actually, he was supporting the Government, and was saying that the entire House is supporting this Bill.

श्री प्रहलाद जोशी: मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब से चर्चा शुरू हुई, उसमें कई लोगों द्वारा एक चीज़ उठाई गई कि इससे कितना पैसा मिलेगा, बहुत कम पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा? This has all been questioned. …(*Interruptions*) This is what was questioned even while moving the Statutory Resolution, and even Adhir Ranjan*ji* said that this is a very small amount. This is not a question of big amount or small amount. Charity should begin at home, and I am very happy that charity has begun from the House, that is, Lok Sabha and Rajya Sabha, and I really congratulate all the Members for this.

Not only this, many Members have said, on this occasion, that this is very unprecedented. When other things like natural calamities happen – even now there are floods in some areas – they are limited to some specific areas. Even when war takes place, it is between two countries, and mainly, our focus is on border. But this is almost for the entire world, and the entire economy is also affected because of the lockdown and other things.

When such things happen, we need to take some extraordinary decisions. That is why, I said, 'charity should begin at home'. It reminds me of one famous saying in Drona Parva of Mahabharata which says:

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम ।
कामये दु:खतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्॥

इसका अर्थ यह है कि मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं रीबर्थ से भी नहीं डरूंगा, लेकिन मेरी डिजायर यह है कि जो प्राणी है, अगर उसका दुख खत्म होता है तो that

should be my highest satisfaction. यह महाभारत से है। So, the Government has taken a decision that we should be a role model for others. You have all supported the Government's decision.

Some Members raised the issue regarding MPLAD Fund. I would like to inform that we have taken many measures under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. The Government has taken unprecedented steps to contain the spread of Covid-19 disease. Even the World Health Organisation and many other world organisations have appreciated the way in which the Government of India is dealing with this pandemic. Then, almost all the State Governments have shown concern. When the Prime Minister spoke to the Chief Ministers, उन्होंने यह नहीं कहा है कि सब कुछ हमने ही किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें भी कहा था कि जब इसका स्टेटमेंट वगैरह आप देते हैं तो आप बहुत सतर्क रहिए। यह राज्य सरकार का, केन्द्र सरकार का मामला नही हैं। इसमें पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ऐसे करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। A big economic package of Rs. 20 lakh crore has been given और 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का गरीब कल्याण योजना में नवम्बर तक फ्री राशन सब को मिल रहा है। …(व्यवधान) Almost all the poor people will get free ration up to November. उसमें गरीब लोगों को राशन मिल रहा है। हमने मनरेगा में वेजेज़ भी बढ़ा दिया है और ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमने 40 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करके लोगों को रोजगार देना आदि ये सब काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी तरह से किए हैं। जो कुछ भी एमपीलैड्स का निर्णय लिया है, this is only a temporary measure for two years; that has been made clear.

कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी को 303 एमपीज़ मिले हैं। अगर मोदी जी को 303 सीट्स मिली हैं, तो यह लोगों का समर्थन है। आप यह तो कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आप लोगों ने कितने मिथ्या आरोप किए हैं, this was a resounding victory for Shri Narendra Modi in 2019. Some harsh measures have been taken for the welfare of the people.

With these words, I am really thankful to all the Members for supporting this Bill and I, once again, request the entire House to pass this Bill unanimously.

श्री अधीर रंजन चौधरी: राजनाथ सिंह जी, आप कुछ कहिए।

HON. CHAIRPERSON : No; the Parliamentary Affairs Minister has already replied. If the Minister wants to speak, he is definitely welcome.

ADV. DEAN KURIAKOSE: Hon. Chairman, Sir, the whole House has supported this Bill. But there is only one difference of opinion regarding the stoppage of MPLAD Fund. With these words, I conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I want to make one submission.

HON. CHAIRPERSON : Yes, please.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, yesterday, when we were talking regarding the curtailment of the Question Hour and oral answers, the hon. Defence Minister categorically stated that 'although Question Hour has been taken away, yet if any question in any form is raised at the time of the speech of the hon. Minister, the answer would be given. Of course, answers should be given.'

Since the hon. Defence Minister is here, every one of us and the entire House is saying that the MPLADS should be restored. So, we want to hear from him whether it would be done or not. That is the simple thing that we all want to know.

HON. CHAIRPERSON: He has already said it

…(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आज जब बीएसी की मीटिंग हो रही थी तो मेघवाल जी, आपने यह कहा था कि एमपीलेड्स फण्ड पर चर्चा होने के बाद मैं मंत्री जी को यहां बुलाने और जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपने कहा था कि मंत्री जी को बुलाकर जवाब देने की कोशिश करूंगा।

SHRI PRALHAD JOSHI : Adhir Ranjanji, I am very clear. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने कहा था. I said that 'it is out of the scope of the Ordinance and Bill, but we will convey the feeling.' इतना ही कहा था।

HON. CHAIRPERSON : Thank you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That this House disapproves of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) promulgated by the President on 7th April, 2020."

The motion was negatived.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 3

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray, are you moving your Amendment No. 1?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Yes, Sir,

I beg to move:

'Page 2, line 2, -

for "thirty per cent."

substitute "thirty-five per cent."' (1)

This is a symbolic gesture that we are prepared to have more money cut from us provided you give the MPLADS.

Sir, let this be put to vote.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No. 1 moved by Prof. Sougata Ray to clause 2 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON CHAIRPERSON: The next Amendment Nos. 2 and 3 are listed against my name. I am not moving them …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRALHAD JOSHI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

____

17.29 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
AND
ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL, 2020

HON. CHAIRPERSON : Now, we are taking Item Nos. 21 and 22 together.

Prof. Sougata Ray to move the Statutory Resolution.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"That this House disapproves of the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 8 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020."

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

"That this House disapproves of the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 8 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020."

And

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955 be taken into consideration."

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I speak in favour of the Statutory Resolution that I have given opposing the Essential Commodities (Amendment) Ordinance.

Black marketing and hoarding were always a problem in the country ever since the Second World War. Jawaharlal Nehru had said in 1946 that we shall hang the black marketeers from the nearest lamp post. Unfortunately, that did not happen. Black marketing went on. So, ultimately the country adopted an Essential Commodities Act in 1955. The Essential Commodities Act gave power to the State Government to regulate the trade including imposing stock limits for various intermediaries. Even now, though the country is surplus in most food grains, it cannot be denied that there is hoarding and black marketing taking advantage of seasonal shortages or floods or droughts. Now the Government wants to take away the powers of the State Government to regulate, and the power to fix stock limits is being taken away.

If we look at the Essential Commodities Act, what are the essential commodities? Essential commodities are fertilizers, drugs, foodstuffs, yarn, petroleum, raw jute, seeds of food-crops and seeds of cattle fodder, etc. So far, what was the position? The position was that this will be regulated. Commodities such as cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes will be regulated. Now, what does this Ordinance do that has been brought in a hurry? I do not understand what was the hurry in bringing the Ordinance. There is a provision to deregulate commodities such as cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes. The only addition is, now the Government has specifically said that under extraordinary circumstances

which include extraordinary price rise, war, famine, natural calamity of a severe nature, it can be regulated. But, otherwise, all these items will be deregulated.

I know that this Ordinance leaves out the Public Distribution System (PDS) and the Targeted Public Distribution System (TPDS) where under these systems food grains are distributed by the Government to the eligible persons at subsidised prices. So, what is the benefit the Government seeks to get from this? I say that there is no benefit.

Now, the Government has also said that there will be no control on the stocks of food items which have been processed. The stock limit shall not apply to a processor or value chain participant of any agricultural produce if the stock limit does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing, or the demand for export in case of an exporter. So, this is also left out of this control of stock limit.

Now, does the Government feel that there is no longer any possibility of shortage because we are an exporter? Sir, you have seen the pictures and sights of immigrants scrap for a morsel of food during the Covid-19 crisis. How did they scrap for a morsel of food?

Now, the Government may say that the ED Act was not effective because the conviction rate under ED Act was abysmal. It was 3.8 per cent. So, if the Government has set up an effective food framework to ensure speedy trial and disposal of violation cases, I could have understood. But we know that even after Narendra Modi Ji became Prime Minister, the pulses scam that involved the manipulation of prices in 2015, there the investigation

by the Income Tax Department found several big multinational companies playing a major role in spiking the prices of pulses. So, it has happened during Narendra Modi's Government itself.

Sir, we have to remember that India is still dependent on the monsoon for producing sufficient foodgrains. A majority of farm holding in India is small and marginal. That is why, an Essential Commodities Act must still be in place and all regulations must not be given up and opened to the market.

Recently, there is a scare of locust attack in Rajasthan. The locust attack destroys all crops. What happens if some States have locust attacks? Will you not control the stocks at that time? The El Nino phenomenon has hit the Indian agriculture hard in the past.

Sir, given the timing of this Amendment Ordinance, it is likely to benefit big traders, big corporates and MNCs but not the farmers directly. I want to say that the three farmer related Ordinances that were brought forward by this Modi Government are all meant to help the private sector, the multinationals, the big capitalists into foodgrains trade.

<u>17.37 hrs</u> (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

Sir, Reliance is already in selling vegetables through Reliance Fresh. I anticipate that Adani's will soon enter the field and these three ordinances will actually help the big capitalists to enter into the farmers places. I will speak on the other Ordinance later.

Sir, our policies, thus, must ensure sustainable farm growth taking into consideration factors like climate change, landholdings, consumer capacity and the farmers' interests.

Sir, as I had mentioned yesterday that this Act is another example of quasi-federalism on display. Earlier, the States used to control the Essential Commodities Act. Every State had an enforcement branch which implemented the Essential Commodities. That power is being taken away. So far, India has ridden through shortages. We are happy that the farmer produces enough for our needs and even for exporting foodgrains.

But that does not mean a calamity cannot hit us. A calamity like the Covid-19 has hit us and we know the condition of the economy with a 24 per cent downslide in the economy. That is why, I am totally opposed to this Ordinance – the Essential Commodities (Amendment) Ordinance.

I think this is an effort to give benefit to big traders, corporates and MNCs so that they can enter the food trade; and the poor farmer will be left in the lurch through all this. Thank you very much.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बिल बहुत ही महत्वूर्ण है और इस बिल को मैं सपोर्ट करता हूँ। इस बिल में जो महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़ा जा रहा है, वह धारा 3(1)ए में जोड़ा जा रहा है। यह एक बहुत ही विजनरी स्टेप है। आने वाले टाइम में इससे जो बेनिफिट होंगे, देश का किसान होगा और आम कंज्यूमर होगा। हम कह सकते हैं कि यह बिल सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है, यह देश के सारे के सारे कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने वाला है।

चेयरमैन सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत की आत्मा गाँवों में है। हमारी 70 प्रतिशत पॉपुलेशन गाँवों में रहती है। हम लम्बे समय से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से गाँव और शहर में एक बहुत बड़ा डिवाइड है, एक बहुत बड़ा गैप है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे डेवलपमेंट में देख लीजिए। प्रधान मंत्री मोदी जी का, भारत सरकार का यह सोचना है कि किसानों के हाथ में मनी जानी चाहिए और किसानों की इनकम वर्ष 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए। यह भारत सरकार की और प्रधान मंत्री मोदी जी की स्टेटेड पॉलिसी है। इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल भी अपने आप में एक माइलस्टोन का रूप साबित करेगा। यही नहीं इकनॉमिक सर्वे में पूरा का पूरा चेप्टर जो आया है, उसमें लिखा है- 'Distortion of India's Agricultural Economy' आज जो जरूरत हैं, जो ओवरड्यू है, एग्री रिफॉर्म्स में, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की, उसमें यह बिल अपने आप ही रोल अदा करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक प्री-हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात है, प्री-हार्वेस्टिंग में काफी मेजर्स सरकार ने भी लिए, काफी स्कीम्स भी हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग के जो मेजर्स हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लोसेस और मैनेजमेंट जो है, वह देखने को नहीं मिल रहा है। प्री-हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग में एक जबर्दस्त बोटलनेक बना हुआ है। यह कोविड-19 जो आया है, हमारे प्रधान मंत्री जी का भी मानना है, पूरे देश का मानना है कि इस अपॉर्च्युनिटी को हमें ग्रेप करना चाहिए और इस अपॉर्च्युनिटी के साथ चलना चाहिए। यही वजह है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी को लेने

के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और उनके लोसेस खत्म किए जा सकें। उसके लिए एक लाख करोड़ रुपये प्रावधान किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले वाले जो एक्ट हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 है, वह अपने आप में कई रिस्ट्रक्शन्स होने की वजह से उसका जो उपयोग होना चाहिए, वह उपयोग नहीं हो रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव काम किया है।

अभी हाल ही में तीन बिल्स जो पार्लियामेंट के सामने आए हैं, एक बिल एसेंशियल कमोडिटीज़ का, दूसरा बिल कान्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीसरा बिल एपीएमसी के संबंध में जो अमेंडमेंट है, ये तीनों बिल अपने आप में देश के किसानों का, गाँवों का एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। जो प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और लोसेस का जो गैप है, उसको ब्रिज करने का काम करेंगे।

इसके परिणामस्वरुप, तीनों बिलों की वजह से किसानों की स्थिति सुधरेगी और कंज्यूमर को उसका फायदा होगा, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे थे कि एग्री सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है और खासकर के पोस्ट हार्वेस्टिंग में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट बना है, तो उस समय कंडीशन अलग थी, क्योंकि उसमें डी-रेग्युलेशन और स्टॉक लिमिट का जो मामला है, जो अभी रेग्युलेशन और स्टॉक लिमिट का मामला है, किसी समय रेग्युलेशन लागू हो जाता है, स्टॉक में रेग्युलेशन लागू हो जाता है, पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी पर लागू हो जाता है, यही कारण है कि कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आ रहा है और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और किसान भुगत रहा है। ऐसा लंबे समय से हो रहा है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है। प्रधान मोदी जी को इसके लिए पूरा देश धन्यवाद देता है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि एपीएमसी में जो फार्मर्स प्रोड्यूज ट्रेड एंड कॉमर्स है, क्या अब किसानों को मार्केटिंग की च्वाइस होगी, वे अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं, उसमें उनको लगभग 25 से 30 प्रतिशत आने वाले समय में फायदा होगा। जब हम किसानों की बात करते हैं तो तीनों को साथ पढ़ा जाना चाहिए।…(व्यवधान) मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, मेन तो बिल पर आऊँगा,

लेकिन जहाँ तक कान्ट्रैक्ट की बात है, हम देखते हैं कि कई बार पर्टिकुलर कमोडिटी का बफर प्रोडक्शन हो जाता है, कई बार कम होता है, लेकिन जब ये इन्वेस्टर इसमें आएंगे और किसानों के साथ यह एग्रीमेंट करेंगे। इन्वेस्टर्स के एग्रीमेंट करने से कम से कम किसानों को यह सर्टेनिटी हो जाएगी। चाहे सर्विसेज हों, चाहे उसके रेट हों, कम से कम उसका उत्पाद उस एग्रीमेंट के तहत बिक जाएगा तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो होगा, तो किसान को एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि मेरा उत्पाद इतने में बिक जाएगा और वह बार्गेनिंग पावर में आ जाएगा।

माननीय सभापति: चौधरी जी, आप कान्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के ऊपर भी बोलेंगे।

श्री पी. पी. चौधरी: नहीं-नहीं, मैं पूरा बोल रहा हूँ, तीनों पर बोल रहा हूँ। मेन एसेंशियल कमोडिटीज है, लेकिन दोंनों एक-दूसरे से संबंधित हैं। जब हम किसानों के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसे टच कर रहा हूँ, मैं मेन एसेंशियल कमोडिटी पर बोल रहा हूँ। हम अपने आपमें यह देखते हैं, तीनों को साथ मिलाया जाए, क्योंकि तीनों एक-दूसरे से संबंधित हैं। यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो बिल है, यह अपने आपमें एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। यह देश में बहुत ही जबरदस्त कृषि क्षेत्र में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। यह एक असंगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र के लोग इसमें आने की वजह से इसका सीधा-सीधा फायदा किसान और कंज्यूमर को होगा। इकोनॉमी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना है कि यह एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप में एक बिगेस्ट रिफॉर्म है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को देखें तो इसे सैक्शन 2(ए) में डिफाइन किया हुआ है और वे कमोडिटीज जो शेड्यूल में लिखी हैं, 7 कमोडिटीज उसमें लिखी हुई हैं, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय लगेगा, लेकिन उन कमोडिटीज को रेग्युलेट करने की पावर गवर्नमेंट को दे रखी है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक्सरसाइज करती हैं और हम देखते हैं कि जिस हिसाब से जगह-जगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें पावर एक्सरसाइज की है, क्योंकि यूनिफॉर्म पावर न होने की वजह से कई बार हम देखते हैं कि लाइसेंस देने में, परमिट की, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस की, बेचना-खरीदना, स्टॉक लिमिट और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड एकाउन्ट्स ये सारे के सारे पावर हैं और ये पावर एक्सरसाइज करने से जो एक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में

आना चाहिए, वह इन्वेस्टमेंट नहीं आया । अगर हम देखें कि जिस ऑब्जेक्ट से वर्ष 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, उसका ऑब्जेक्ट यह था, क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ, उस समय फूड ग्रेन्स की स्केर्सिटी और शॉर्टेज थी । उस समय ये हमारे पास नहीं थे । उस समय की सिचुएशन अलग है, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है । उस समय से हमें इसमें एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, उन्हें कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट को दी गई, क्योंकि उस समय, वर्ष 1955 में कालाबाजारी और जमाखोरी की बात थी । जब आपके पास में फूड ग्रेन्स ही पूरा नहीं है तो उस समय संभव था और उस समय इसका सिग्निफिकेंस और औचित्य था । आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो धारा जोड़ी गई है, उसका जोड़ा जाना बहुत ही जरुरी है । हम यह देखते हैं कि आज हमारे पास में पर्याप्त फूड ग्रेन्स हैं ।

धारा 3 (1)(ए) में जो कमॉडिटीज़ ली गई हैं, हमारे पास वे पर्याप्त मात्रा में हैं और उनमें हम आत्मनिर्भर हैं । ऐसी स्थिति में अगर इन्हें और भी कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट-हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वह पूरी तरह से फेल हो जाएगा । पोस्ट-हार्वेस्टिंग के सिस्टम में जितनी बॉटलनेक्स होंगी, किसान और उपभोक्ता उतने ही दुखी होंगे ।

आज हम जो प्राइस-एस्केलेशन की बात करते हैं तो एसेंशियल कमॉडिटीज़ के कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है और अब तक हम लोग प्राइस-एस्केलेशन को नहीं रोक पाएं । इसलिए इसमें जो धारा 3(ए) जोड़ी जा रही है, वह बिल्कुल वाज़िब है ।

माननीय सभापति महोदय, जब हम प्राइस रिडक्शन और प्राइस स्टैब्लिटी की बात करें तो आज की स्थिति में एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट में उसके स्टॉक को लिमिट करके और रेगुलेट करके, शेड्यूल-ए में दी गई एसेंशियल कमॉडिटीज़ में प्राइस स्टैब्लिटी नहीं ला पाए हैं । उसका कंसेक्वेन्शियल एफेक्ट यह रहा कि किसानों और उपभोक्ताओं को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है । सबसे बड़ी बात है कि आज धारा 3(1)(ए) लाई जा रही है, जिसमें डी-रेगुलेशन किया जा रहा है, स्टॉक लिमिट को हटाया जा रहा है । इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों और उपभोक्ताओं

को होने के साथ-साथ पूरे देश में एक समान कानून होगा। हमारी सोच 'वन नेशन, वन मार्केट' की है। उस हिसाब से हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।

अगर हम एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट को देखें और अगर मैं वर्ष 2019 की ही बात करूं तो इसमें करीब 76,000 रेड्स हुए। उसका परिणाम क्या निकला? उसमें कितनी मैनपावर इंवॉल्व हुई? इसका मतलब कि हमें अपने एक्ट को री-विजिट करना जरूरी था क्योंकि उनमें ऐसे-ऐसे केसेज हुए हैं, जिनकी वजह से अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ी है।

जहां तक इसमें अमेंडमेंट की बात है तो वर्ष 1955 का जो एक्ट है और अभी का जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें पहले रेगुलेशन था और अभी डी-रेगुलेशन है। अब licence, permit, control of price, inspection of books of accounts में डी-रेगुलेशन होगा। इसमें सिर्फ अपवाद यह है कि यह युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा और एक्स्ट्राऑर्डिनैरी प्राइस-राइज होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। जहां तक स्टॉक रेगुलेशन की बात है तो उसे हटा दिया गया है। वह बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन में होगा और एक्सेप्शन यही है। जहां तक प्राइस-राइज की बात है तो अगर पेरिशेबल आइटम्स की प्राइस उसकी एवरेज रिटेल प्राइस से 100 प्रतिशत बढ़ती है या नॉन-पेरिशेबल आइटम्स की प्राइस 50 प्रतिशत बढ़ती है तो उसे देखा जाएगा। पिछले एक साल की एवरेज प्राइस देखी जाएगी और पाँच सालों की एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी। उसमें जो कम हो, उसके आधार पर इसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस ऑटोमैटिक हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंवेस्टर्स का इसमें विश्वास नहीं होगा। जब तक हमारा पोस्ट-हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हम किसानों और उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं दे सकेंगे।

HON. CHAIRPERSON : Chaudhary saheb, very good. You have pleaded the case very well.

SHRI P. P. CHAUDHARY : Sir, I am the first speaker. Please give me some more time.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken thirty minutes.

श्री पी. पी. चौधरी : सर, जहां तक स्टॉक लिमिट की बात है, इसमें जहां पर प्रोसेसर और वैल्यू-चेन पार्टिसिपैन्ट्स हैं, वहां पर उनके इंस्टॉल्ड कपैसिटी तक वह चल सकता है। 'डिमांड फॉर एक्सपोर्ट' जितनी होगी, उसके लिए अगर स्टॉक लिमिट के प्रावधान लागू होते हैं तो वहां यह हो सकता है। वह तभी एक्सपोर्ट होगा। इसमें जो वैल्यू-चेन पार्टिसिपैन्ट्स हैं, जिनमें मान लीजिए कि प्रोसेसर्स हैं, पैकिंग करने वाले हैं, स्टोरेज करने वाले हैं, सप्लाई में लगे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, इन सभी को जब तक किसी कानून पर भरोसा नहीं होगा, तब तक ये लोग अपना निवेश उसमें नहीं करेंगे। इसलिए यह जो अमेंडमेंट है, वह सभी स्टेकहोल्डर्स के इंटेरेस्ट को बैलेंस करता है। इसमें जो पहले एक्सेसिव रेगुलेशन था, वह अब कम होने की वजह से उन लोगों का विश्वास सरकार में होगा, इस कानून में होगा, और तभी इसमें निवेशक सामने आकर अपने पैसे लगाएंगे।

जहाँ तक प्राइस राइज़ की बात है, अगर पेरिशेबल आइटम की प्राइस एवरेज रिटेल प्राइस से 100 परसेंट राइज़ होती है, या फिर 50 परसेंट नॉन-पेरिशेबल आइटम की होती है, पीछे की जो एवरेज प्राइस है, उसमें एक साल का देखा जाएगा, पाँच साल की एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी और उसका जो भी कम से कम प्राइस होगा, उसके आधार पर कीमत तय की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वह ऑटोमेटिक राइज़ हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका उसमें विश्वास नहीं होगा। जब तक हमारा कोर्स हार्वेस्टिंग मैनेजमेट जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हम कंज्यूमर्स और फार्मर्स को फायदा नहीं दे सकते हैं।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI P.P. CHAUDHARY : I am concluding Sir.

सर, जहाँ तक स्टॉक लिमिट की बात है, उसमें प्रॉसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेन्ट्स हैं। वहाँ उनकी कैपेसिटी तक वह चल सकता है। जो एक्सपोर्ट है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट जितना होगा, अगर उसके लिए स्टॉक लिमिट लागू होती है तो उस तक हो सकता है। जब भी एक्सपोर्ट होगा और वैल्यू चेन पार्टिसिपेन्ट्स हैं, जैसे प्रॉसेसर, आप उसको पैकिंग करने वाला मान लीजिए,

स्टोरेज ले लीजिए, सप्लाई ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, जब तक इन सब का किसी कानून पर भरोसा नहीं होगा, तब तक उसमें इन्वेस्टमेन्ट नहीं आएगा।

यह जो अमेंडमेंट है, वह सारे स्टेकहोल्डर्स के इन्ट्रेस्ट को बैलेंस करता है। चाहे जितने भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेन्ट्स हों, चाहे प्रॉसेसर हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे फार्मर हो, इसमें पहले जो एक्सेसिव रेगुलेशन था, वह रेगुलशन कम होने की वजह से सरकार और इस कानून में एक ट्रस्ट पैदा हुआ है। इससे इन्वेस्टर्स सामने आकर अपना पैसा लगाएगा।

अब जहाँ तक स्टॉक लिमिट है, मैंने आपको बताया कि 100 परसेंट पेरिशेबल और 50 परसेंट नॉन पेरिशेबल के लिए जो प्राइस ट्रिगर है, वह उस कंडीशन में होगी, जब एवरेज उससे अधिक जाएगा, लेकिन वह ऑटोमेटिक नहीं होगा। मैं यह बताना चाहूँगा कि इसमें फार्मर को एक च्वाइस होगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, फार्मर्स को अब ज्वाइस होगी कि वह अपने प्रोडक्ट को डोर स्टेप पर बेच सकता है और उसको नोटिफाइड मंडी में जाने की जरुरत नहीं होगी। इससे कम से कम यह होगा कि स्टॉक होल्डर्स उसमें जाकर भाग ले सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे जो किसान हैं, वे पहले मंडी में जाने के लिए मज़बूर होते थे। अब इस एसेन्शियल कमोडिटी एक्ट के साथ जब ये सारे फ्री होंगे, तो हमारे वूमेन, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ तथा एससी/एसटी के लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। उनको भी आय मिलेगी और काफी फायदा होगा।

आज हम देखते हैं और मंडी की बात भी हम एक बार ले लें। आज उस किसान को बोली से मुक्ति मिलेगी। जब भी वह मंडी में अपना प्रोडक्ट लेकर जाता है, हमारे गाँवों में कहा जाता है कि बोली किसकी लगती है, जो लिक्विडेशन में आ जाता है, जो दिवालिया हो जाता है। आज तक हमारा जो भी सिस्टम हो, ए.पी.एम.सी. एक्ट जब से चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर कलोनिअल टाइम से था। वर्ष 1938 का जो बिल है, उसी के आधार पर यह चल रहा है। उसी के आधार पर हम अभी भी चला रहे हैं। उसकी वज़ह से किसान का जो माल मंडी में जाता है, उस पर बोली

लगती है। उसके बायर्स कम हैं और सेलर्स ज्यादा हैं। यह मिसमैच होने की वज़ह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा था।

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRI P.P. CHAUDHARY : I am concluding within a minute. अगर इसमें सारा का सारा देखा जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, अब किसानों को सही कीमत मिलेगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अभी जो वेस्टेज होती है, जो एक साल का लॉसेज हैं, वह 96,000 करोड़ रुपये का है । चाहे प्याज़ हो और चाहे टमाटर हो, हम देखते आए हैं कि किसान उसे सड़क पर फेंकता है। जब बंपर क्रॉप हो जाती है, क्योंकि आगे बॉटलनेक है और वह बॉटलनेक एसेन्शियल कमोडिटी का है। वहाँ स्टॉक लिमिट होता है। उसमें इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। अगर इन्वेस्टर्स आ जाए तो उसको टमाटर और प्याज को सड़कों पर नहीं फेंकना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में इन्वेस्टर्स आएंगे और एक्सपोर्टर्स भी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि महिलाओं, गरीबों, एससी/एसटी सहित सभी किसानों को कैसे फायदा मिले, देश में 130 करोड़ कंज्यूमर हैं, उनको फायदा कैसे हो, इसीलिए मेरा कहना है कि यह जो बिल है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): चेयरमैन सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मेरे से पहले पी.पी.चौधरी साहब बोल रहे थे, वह मेरे से बहुत सीनियर हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कह दिया कि ये जो तीनों फार्म ऑर्डिनेन्स हैं, ये एसेन्शियल कमोडिटी, ट्रेड कॉमर्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्म वाले हैं। ये तीनों एक से एक जुड़ी हुई कड़ी हैं। इन तीनों के खिलाफ आज किसान पंजाब, हरियाणा, छतीसगढ़ सहित कई राज्यों में सड़कों पर घूम रहे हैं। इनके बारे में सारे हिन्दुस्तान में खबर है।

सर, मैं इसी एक्ट पर आता हूँ। यह एक्ट क्यों आया था? This is an Act to provide, in the interests of general public, for the control of the production, supply and distribution of, and trade and commerce in, certain commodities. मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि उतना ही पढ़कर छोड़ रहा हूँ। सेक्शन- 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेन्ट है, वह कहता है, जिसमें यह अमेंडमेंट है, If the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining or increasing supplies of any essential commodity or for securing their equitable distribution and availability at fair prices. मैं यह कहना कहना चाहता हूँ कि यह एक्ट एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। And availability at fair prices, उसकी कीमत वाज़िब रहे, इसलिए सेक्शन-3 है। अब क्या हो रहा है? अब जो अमेंडमेंट हो रहा है, वह अमेंडमेंट क्या है? वह अमेंडमेंट कह रहा है कि Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the supply of such foodstuff, including cereals, pulses, potatoes, onions, edible oil seeds and oil as the Central Government may, by Notification regulate only under extraordinary circumstances.

18.00 hrs

अब एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्कमस्टैंसेज़ कर देंगे, which may include war, famine, extraordinary price rise or natural calamity of really grave nature. Not only that Sir, उस पर यह रुक नहीं रहा है। यह अमेंडमेंट उस पर रुक जाती, नहीं रुक रही। सब सैक्शन बी में कह रहे हैं, any action on imposing stock limit shall be based on price rise and an order for regulating stock limit of any agricultural produce may be issued under this Act only if – and what is the if - if there is hundred per cent increase in the retail price of horticultural produce. हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में क्या आता है, सब्जियां और फल आते हैं, or fifty per cent increase in the retail price of non-perishable cereal and agricultural foodstuffs over the price prevailing immediately preceding twelve months या पांच साल का एवरेज। आगे एक प्रोवीजो डाल दिया कि it shall not apply to a processor or value chain participant.

वैल्यू चैन पार्टिसिपेंट की जो डेफिनिशन दी है, वह इतनी लंबी दी है कि फ्रॉम दी फील्ड टू दी फाइनल कंजंप्शन, जितने लोग आएंगे, वे सारे वैल्यू चैन में हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका कोई मतलब यहां नहीं है। कोई लिमिट हो नहीं पाएगी। अब इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट यह है कि केंद्र सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि किसान से कोई चीज अगर 100 रुपये पर ली जाती है, वह जब तक 199 रुपये पर होगी, तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कहेगी, जब 200 रुपये से ऊपर चली जाएगी, तो देखेंगे। इसका मतलब जो गरीब लोग, फार्मर्स और जो कंज्यूमर है, उसके लिए आप 100 पर्सेंट प्राइस बढ़ाना ही चाहते हैं। वह तो आपके कानून में लिखा है। 10 रुपये उनके खर्च में बढ़ जाते हैं, तो उनका सारा बजट मिसप्लेस हो जाता है और आप कह रहे हैं कि यह 100 पर्सेंट हो जाए। एग्रीकल्चर कमोडिटी पर आप 50 पर्सेंट कह रहे हैं। इसका मतलब अगर किसान ने 100 रुपये पर चीज बेची, वह जब तक 150 रुपये पर नहीं हो जाएगी, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से यह सबसे बड़ी बात है कि इतनी प्राइस राइज

तक आप इंटरवीन नहीं करेंगे। यह बिल्कुल गरीबों, किसानों के खिलाफ वाली बात है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि यह लागू किस पर होगा? हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम 67 पर्सेंट पॉपुलेशन को पीडीएस दे रहे हैं और बहुत लोगों को यह मिल रहा है। PDS is less than 50 per cent of a family's requirement. इसका मतलब 50 पर्सेंट से ज्यादा वे लोग भी बाजार में खरीदने आते हैं। जो 35-40 पर्सेंट पॉपुलेशन में आता है, वह भी आता है और 80-90 पर्सेंट किसान मार्केट में आता है, क्योंकि वह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। वह उस बेचारे का थोड़ा सा सरप्लस प्रोड्यूस होता है, वह उसी वक्त बेच देता है और जब दूसरा सीजन होता है, तो खरीदता रहता है। करीब-करीब सारी जनता इसमें आ जाएगी, जो प्राइस राइज में अब फंसेगी। आप कह रहे हैं कि वह कानूनन है।

दूसरा क्या है कि स्टेट्स कुछ नहीं कर सकतीं। आपने तो स्टेट्स की पॉवर ही निल कर दी, क्योंकि कानून में ऐसा अमेंडमेंट ला रहे हैं। यह मुल्क इतना बड़ा है, जहां 600 जिले हैं, 6 लाख गांव हैं। आप केंद्र से, दिल्ली से बैठकर 6 लाख गांवों के भावों को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब तक डबल न हो, इंटरवीन नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है कि यह बहुत बड़ी गलती है, जो केंद्र सरकार करने जा रही है। अपने मुल्क में इतनी सीजनल वैरिएशन होती है, जब मैरिज वाला सीजन आता है, जब शादियों वाला सीजन आता है, जब फेस्टिवल वाला सीजन आता है, तो डिमांड बढ़ती है, प्राइसेज़ बढ़ते हैं।

हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, यह बहुत बड़ी बात है। आप किसको फायदा देना चाहते हैं? वैसे चौधरी साहब ने बोल ही दिया, प्राइस राइज की छोटी फ्लक्चुएशन के बीच में हमें नहीं आना है। बेसिकली इसका फायदा कारपोरेट्स और मल्टी नेशनल कंपनी को होना है या जो बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि किसान तो उसी वक्त फसल बेच देता है, जो किसान फसल रख सकता है, जिसके पास रखने की कैपेसिटी है, इससे उसको फायदा होने वाला है। जब मार्केट में कमी होगी या प्राइस राइज होगा तब वह बेचेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? पंजाब और हरियाणा में मेरे

रिश्तेदार फोन कर रहे है कि वे चंडीगढ़ पहुंचना चाहते थे। उन्होंने कई रुट लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए, हरियाणा में भी वही हालत है।

आज किसान सड़कों पर क्यों है? मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूं। पंजाब गवर्नमेंट और सारी पॉलिटीकल पार्टियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, उसके बाद विधान सभा ने तीनों आर्डिनेनस और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया। हमारे दोस्त जो पार्टी के प्रधान भी हैं, यहां बैठे हुए हैं, वह एबसेंट हो गए। मैं उम्मीद करता हूं वह आज इस फामर्स एक्ट के खिलाफ बोलेंगे। पंजाब विधान सभा ने उसका विरोध किया और कहा कि यह किसानों के हितों के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

HON. CHAIRPERSON : Dr. Amar Singh, you have two more Members to speak from your Party.

… (*Interruptions*)

डॉ. अमर सिंह : सभापति महोदय, मैंने अभी एक-दो मिनट ही बोला है।

माननीय सभापति : आप करीब आठ मिनट बोल चुके हैं। आप दो मिनट में कम्पलीट कीजिए।

डॉ. अमर सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी बात जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब एनडीए गवर्नमेंट पिछली बार आई थी, वर्ष 2002 में भी एनडीए गवर्नमेंट ने यही काम किया था, स्टॉक लिमिट हटा दी थी। अल्टीमेटली देश को इतना बड़ा खामियाजा भरना पड़ा क्योंकि एक्सपोर्ट्स और बड़े लोगों ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि मिनिमम स्टॉक जितना होना चाहिए था उससे भी कम हो गया। 5.5 million tonnes of food grains were imported at a very high price. फिर हमने बहुत महंगा इम्पोर्ट किया, यह क्यों हो रहा है? हम सब समझते हैं। चौधरी साहब ने कह दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी का इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूं। हमेशा मल्टीनेशनल्स कंपनीज और मल्टीलेटरल आर्गेनाइजेशन का डेवलपिंग कंट्रीज पर प्रैशर रहता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी कम करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, स्टॉक लिमिट खत्म करो, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट मत किया करो, बहुत सारी बातें कहते हैं। यूपीए सरकार ने

इसे कभी नहीं माना। अब क्या हो रहा है? 2014 में जब से आपकी सरकार आई है, सबसे पहले आप क्या करते हैं। आप शांता कुमार कमेटी बनाते हैं, शांता कुमार कमेटी क्या सिफारिश करती है, एग्जेटली जो मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीलेटरल आर्गेनाइजेशन कह रही हैं। एफसीआई को अनबंनलडिंग करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, नेशनल फुड सिक्युरिटी एक्ट में 76 परसेंट देते हैं उसको 40 परसेंट करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में एक नई स्कीम लाना चाहते है।

मैं मंत्री जी से उस पर जवाब चाहूंगा। वर्ष 2018 में सरकार 'पीएम आशा' नाम से स्कीम लेकर आई। 'पीएम आशा' में तीन सब-स्कीम हैं, वह सारी की सारी यही थी कि इसको खत्म करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना है।

मैं विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस आर्डिनेस और एक्ट के खिलाफ है। यह लोगों के खिलाफ है, यह गरीबों के खिलाफ है, हम इसका विरोध करते हैं, यह सरकार बिल्कुल गरीबों के खिलाफ है।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I oppose the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020.

Sir, the original Essential Commodities Act was enacted in 1955.

The object was stated in the preamble. Its object was an Act to provide in the interests of the general public for the control in certain commodities. Though the preamble speaks of `certain commodities' other than those which have been enumerated as `essential commodities', in Section 2, sub-section (a) of the Act, they can come within the purview of the Act.

One of the objectives, rather the prime objectives, of the Act is to regulate the production, supply, and pricing of the essential commodities to ensure availability of the essential commodities at fair prices. The aim of the Act was curbing, hoarding, black-marketing and profiteering in such commodities. The object is to deter a person from dealing in an essential commodity and consequently impose a deterrent penalty against him. If you read the amendments which have been sought for, this will be established. As it appears from the speech of Shri Choudhary, I have great respect for him, I will say that cat is out of the bag. Now, the objective of curbing, hoarding, black-marketing, and profiteering in such commodities is going to be taken away. That has to be stopped. All are aimed at the purpose of handling by big businessmen.

With regard to Section 3, the amendment which has been sought in respect of that, I will say that deregulating such agricultural foodstuffs from the list of essential commodities will lead to every chance of hoarding than by

supplying, thereby resulting in price rise in retail, and ultimately leading to the excessive financial burden on the part of common people. Moreover, as per the amendment, even in extraordinary circumstances, the Central Government only may choose to exercise regulation. Such legislative ambiguity leads to the question of the entire exercise of introducing a particular provision. If you read the words in the amendment itself, may I say, these are extremely vague? It is stated `in case of war'. When would war be treated as declared or undeclared war? Then, it is stated `natural calamity'. If three days' floods are there in Gujarat, it would be declared as natural calamity. But 15 days floods are there in West Bengal, it would not be declared as natural calamity! Therefore, unbridled power, uncanalised power have been sought to be given by this amendment.

Sir, the amendment exempts the processor of value chain participants of agriculture produce from the regulation of the stock limit. If the stock limit of such a person does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing or the demand for export in case of an exporter, such exemptions, I may say, in terms of removal of stock limit to exporters and traders and value chain participants may not benefit farmers. Instead, it appears to have been done to benefit certain vested giants in this sector.

Sir, it is our common experience. Had it been only for the benefit of farmers, I would not have objected to it. But now because of the amendments, the middlemen will come; the middlemen will take away the benefits.

The middleman will take it. Now, the Government is regulating it. The Government is purchasing from the farmers so that the farmers get the fair price and, at the same time, the customers also get it at the fair price. Now, who will be benefited? The benefits will go in favour of the middlemen. They will hoard it. They will do black marketing.

Let us take the example of potato. Now, potato is purchased from the farmer at Rs. 18 or Rs. 19. It is sold at Rs. 25. If this legislation is implemented, the consumer has to pay for potato, at least, Rs. 50. No control is there. Sir, during COVID-19, these are the extremely bad days. We all are facing the challenge but there are middlemen who are getting benefited in COVID-19. You are taking away the power of the State Governments. That is why this is hitting the cooperative federalism in the country. I will speak for 15 or 30 minutes. I have not spoken enough.

HON. CHAIRPERSON: That is not the case. You have already spoken for seven minutes.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, give me another seven minutes.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude. That will not be possible.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, please be kind to me. Mr. P. P. Chaudhary said that the investors will come to the farmers. Yes, this is right but who are the investors? These big businessmen? The Railways will go to the big investors, telecommunication will go to the big investors and agricultural products will go to the big investors, all the private persons will come. I do not

know why this privatisation is taking place? Why are so many Ministers required when everything is getting privatised? Let there be privatisation also.

Sir, I will give two or three examples then I will conclude. During COVID-19, mustard oil in April was sold for Rs. 90/kg; in May, it was Rs. 120/kg; and in June, it was Rs. 130/kg. The State Governments had to interfere. The police have made many arrests. Now, it has come down. Soy oil was sold for Rs. 70/kg in April; in May, it was Rs. 90/kg; and in June, it was Rs. 110/kg. Sir, the interference is required. Let me talk about Chana Dal. In April, it was Rs. 62/kg; in May, it was Rs. 82/kg; and in June, it was Rs. 120/kg. Who has interfered? It was the State Government. This Act will be passed by the Central Government but on the ground, who will work? The State Government officers will work. Then, we will not see any Central Government officer there. Nobody is there to stop this black marketing. No one is there.

Everyone has to work for the benefit of the common people. If this legislation is made, the common people will suffer; the farmer will suffer. The farmer is getting a chance to enter into the market through the State Governments. Warehouses are there, but if big industrial houses step in, the prices will fall.

Thank you, Sir, for your kindness.

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairman, Sir, thanks for the opportunity given to me to speak on behalf of our DMK Party. This is a great moment for me to address the Parliament on the 112^{th} Birth Centenary of the founder of DMK Party, the man who named the State Tamil Nadu, C.N. Annadurai. I pay my tributes to him, Sir.

Sir, the Essential Commodities Act was enacted in 1955 to ensure availability of essential commodities to consumers at fair prices. Over the years, many essential commodities were added to and removed from the list. However, if you see, the cure suggested through the Essential Commodities Act has proved to be more dangerous than the disease itself. We all know that the Act at times had resulted in spiking of wholesale and retail prices instead of smoothening the same. The Act has discouraged private players to invest in the agriculture sector. Besides, it disincentivised investments in storage and warehousing infrastructure as traders were aware of the unpredictable imposition of the stock limits.

Sir, this Ordinance has to be commended. Though Agriculture is at Entry 14 of State List, Entry 33 of the Concurrent List empowers the Central Government to legislate on production, trade, and supply of foodstuff. By taking the Ordinance route, a clear attempt was made to bypass the parliamentary process. When a proposed amendment is introduced in the Parliament, it is open to debate, scrutiny, comments, and valuable inputs from the stakeholders before it is passed. A critical legislation like this should certainly have been brought before Parliament previously.

The Sarkaria Commission report on Centre-State relations pointed out that the Centre used Entry 33 disproportionately to empower itself in the sphere of agriculture. The power of Centre in agriculture management has certainly increased through this Ordinance. States like Tamil Nadu and West Bengal have repeatedly called for transfer of Entry 33 from the Concurrent List to the State List.

Tamil Nadu was the first State in India to introduce free power for agriculture, by the then ruling DMK Party, to boost agriculture and advocated for fair prices for agri produce. We have to respect and safeguard the State's interests too.

The Ordinance does not define the term 'extraordinary circumstances'. They may include war, famine, extraordinary price rise, and natural calamities of a grave nature. It is not clear. Even in the extraordinary circumstances, the Government only, they say, may choose to exercise regulations. Such legislative ambiguity makes one question the entire exercise of introducing this particular provision.

Drastic changes such as the removal of stock limits and exemption to exporters/traders and value chain participants may not help farmers directly. Big corporate houses or multinational corporations may prefer to stock up their quota at the time of harvest when the prices are low and thus would not need to buy from the farmers when the prices rise. So, at the end of the day, the farmers are going to be affected adversely. If the farmers decide to retain their produce for sale later, prices may not go up or the private sector may not enter

the market to purchase. The subjective nature of terms like horticultural produce or perishable agricultural foodstuffs, etc., is also not clear. So, you have to explain and give a detailed list to the Parliament as to what products you are going to cover under which category.

Another issue is regarding the installed capacity. The Bill does not specify the exceptions for exporters and value chain participants in terms of its capacity whether it be annual installed capacity or monthly installed capacity or daily installed capacity. It is not at all very clear. The Government should clearly mention what they mean.

India no longer faces food shortage problems, according to *The Economic Survey, 2020*. The food grain production has increased since 1950s and India is now an exporter, thereby rendering the Act anachronistic. The amendments were supposed to foster an ecosystem so that the farmers receive fair remuneration for their produce. However, these amendments have made the whole purpose ambiguous and subject to interpretation. For example, in case of exporters, will it be confirmed export order in hand or only the export orders for which LCs have been opened.

Again, all the terminologies are vague and are not clear. The Government has to responsibly clarify all the terms which have been mentioned in the Act. Besides, the major focus of the Bill has been on agricultural items but it ignored sectors like petrol, jute, essential drugs, etc. Why has this been the case?

Chairman Sir, a considerable administrative effort was utilized for the enforcement of the Act, according to the Survey. It was also pointed out that the conviction rate was an abysmal 3.8 per cent. This should, however, not be the reason for diluting the Act. Once cannot ignore the pulses scam that involved the manipulation of prices in 2015. Investigation by the Income-Tax Department found several big MNCs played a major role in spiking prices of pulses. India is still dependent on the monsoon for producing sufficient food grains. A majority of farm holding in India is small and marginal.

Another locust attack may occur in the near future. The El Nino phenomenon has hit Indian agriculture hard in the past. Given the timing of this amendment, it is likely to benefit big traders, big corporates, and MNCs, but not the farmers directly. Our policies, thus, must ensure sustainable farm growth taking into consideration factors like climate change, land holdings, consumer capacity, and farmers' interests. Like I said, India is a country where the farmers depend heavily on monsoon.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: I am concluding, Sir.

So, the price volatility is expected to happen. This situation has been topped by the Government's arbitrary import-export decisions. In this scenario, is deregulation the only step?

Structurally, farming needs to be made economically and ecologically viable in India for any real progress for farmers. The Government should take

steps so that the farmers could withstand weather shocks or crop damages against any sudden locust attacks.

More focus on the establishment of cold storages is necessary. This is an important point that I want to stress to the Government. When you talk about the goods, prices, and the supply chain, cold storages have to be given more importance. If you start making cold storage plants everywhere in India, then you do not need this Act at all. Everywhere, people can store the products and they can sell it at a good price and the farmers will be benefited. The focus of the Government should be to bridge the urban-rural divide and help farmers get their fair share.

Sir, I urge the Government to reconsider this Bill and send the same to the Select Committee and I object this Bill to be passed in this Parliament. Thank you, Sir.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, Sir for giving me this opportunity to put forth my YSR Congress Party's views and suggestions on the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020.

At the outset, Sir, I congratulate Government of India on promulgating Ordinance No. 8 of 2020 because we are living in extraordinary times. Bold decisions are needed and the Essential Commodities (Amendment) Bill is one such measure and YSRCP welcomes it. Production of face masks and sanitizers were likewise controlled by Government of India and now we are seeing the good results. We are getting N95 masks at very economical rate and India has emerged as the second largest producer of those items. I once again congratulate the Government of India and hon. Minister of Health.

This Bill primarily seeks to amend the Bill which was enacted to regulate the production and distribution of certain essential commodities. As stated in the Objects of the Bill, farmers need to get better prices and investors need easing out of restrictions and product storage, movement and pricing. In the proposed Bill, the insertion of section 1A states that supply of certain foodstuffs may be regulated only under extraordinary circumstances. It is encouraging for the entrepreneurs and we welcome it. Stock limit criteria will be imposed only when the price rise of various foodstuffs is between 50 to 100 per cent as compared to preceding twelve months of pricing. This is also a good decision and we welcome it. The processors and value chain participants are also taken care of with regard to regulating stock limit. We believe that these amendments

will definitely encourage competition among entrepreneurs and farmers are likely to get better prices for their produce.

<u>18.33 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

The Essential Commodities Act 1955 empowers the Government of India to regulate production and distribution of foodstuffs, fertilizers, drugs and petroleum products. I would like to bring to the notice of this august House the oxygen crisis which is impending on India. As a doctor of medical science, I am able to analyze the situation very easily and warn about the impending oxygen crisis which is also one of the essential commodities. Medical oxygen is a drug and an essential commodity and its rates are controlled by National Pharmaceutical Pricing Agency. The ceiling price of one cubic metre of oxygen is Rs. 17.49. If one bulk cylinder contains nine cubic metres of oxygen, it should be sold at Rs. 157, but now one bulk cylinder of oxygen is sold at Rs. 400 to 500. That is tripling of rates. Who is controlling the escalation of rates in the essential commodity which is essential in this hour? Most of us feel happy that the death rate due to COVID pandemic is less in India when compared to other countries. We should think beyond the death rate. Because of the impending oxygen crisis, the common man is forced to spend lakhs of rupees for medical treatment. If this is unchecked, many of the bankrupt families may take extreme steps like committing suicide in the coming days. As a social worker, I have observed that immediate persuading factor for most of the farmers and weavers is this persisting medical problem. If we need to prevent

suicides in near future, we need to prevent oxygen crisis now. The facilities in most of the Government hospitals are very good but we find patients getting treated in private hospitals and ending up in bankruptcy. Government of Andhra Pradesh is giving Rs. 500 per patient per day and I congratulate and thank the hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy. He stands as an example to the whole of India. I represent Kurnool district which is a backward region of Andhra Pradesh called Rayalaseema, where we do not have a single oxygen plant in four districts. We are dependent on neighbouring States like Telangana, Kerala or Bellary in Karnataka to get our oxygen. So, this issue involves three States. I request the Government of India to take necessary steps to ensure NPPA pricing to be implemented very strictly. We should note that we have seen industrial revolution; we have seen agriculture revolution; now it is time for medical revolution. We need to invest in oxygen plants; we need to invest in medical colleges and we need to incentivize rural hospitals. With regard to Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020, the Ordinance was very timely done. It was brought into force when the black-marketers were exploiting the lockdown. This prevented skyrocketing of prices. We thank the Government of India for this. Our YSR Congress Party proposes a few suggestions in this amendment Bill. We should be able to differentiate between genuine businessmen who are allowed to maintain adequate stocks or inventory and the hoarders who illegally hoard the stocks. We should modernize the post-harvest facilities in a scientific way, we should revisit the Dalwai Committee and speed up the process of implementing the so-called

report on doubling the farmers' income. In 1955, when the Essential Commodities Act was made, India was food-deficient and we were starving for food. Now we are food-surplus. So, these types of amendments are essential. We need not depend on the old Acts. So, we congratulate the Government of India for introducing this Bill and we wholeheartedly support it. Thank you.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, आवश्यक वस्तु (संशोधन), अधिनियम, 2020 को लाने का उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्मय से कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण का प्रयास करना है । ऐसी वस्तुओं को आवश्यक घोषित किया जाता है, जो पूर्व में पारित अधिनियम में घोषित की गई है, जैसा कि खाद्य पदार्थों, ऑयल, कॉटन-यार्न, पेट्रोलियम पदार्थों और सभी खाद, बीज राज्य सरकार और केन्द्र सरकार शासित प्रदेश ऐसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं। कोरोना के इस वैश्विक संकट को देखते हुए, सरकार फेस मास्क और सैनिटाजर जैसी वस्तुओं को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाई है । इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया है। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे साहब ने एक निर्णय लिया कि ऑक्सीजन का जितना भी प्रोडक्शन है, उसका 80 प्रतिशत यूज अस्पताल में होना चाहिए और 20 प्रतिशत कॉमर्शियल यूज होना चाहिए। उन्होंने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसके कारण महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की समस्या को सॉल्व किया गया है । इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपरोक्त वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, परंतु देखने में यह आया है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के नियंत्रण आदेश कई बार थोक और खुदरा कीमतों की स्थिरता को सुचारू करने की बजाय बढ़ाते हैं। कई अवसरों पर अन्य कारणों से ये प्रावधान बाजार को संकट के समय अस्थिर बना देते हैं। उन कारणों पर सरकार का अंकुश होना चाहिए और कैसे उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है।

महोदय, नियंत्रण आदेश स्टॉक होल्डिंग को सीमित करते हुए थोक विक्रेताओं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और खुदरा खाद्य श्रृंखलाओं सहित पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर समान रूप से लागू होते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने सट्टेबाजों के होल्डर्स और संगठनों के बीच अंतर नहीं किया है कि वास्तव में उनके संचालन की प्रकृति के कारण स्टॉक रखने की आवश्यकता है। आपदा के

समय स्थिति और बेकार हो जाती है, स्टॉक होल्डिंग बढ़ जाती है और कीमतों पर नियंत्रण रखना सरकार के काबू में नहीं होता है। जैसे मुझसे पूर्व भी माननीय सदस्य ने कहा है कि आपदा के समय पूरा रोष सरकार के ऊपर आता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना सरकार के काबू में नहीं होता है। इस बिल के माध्यम से अगर उसका प्रोविजन होगा तो सभी राज्य सरकारों को सपोर्ट मिल सकता है और आपदा की स्थिति में उस पर नियंत्रण करने के लिए एक कानूनी हथियार मिल सकता है। मेरा सुझाव है कि आपदा के समय के लिए बिल में ऐसे प्रावधान किए जाएं, जिनसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हो सके।

महोदय, ऐसा भी देखा गया है कि विभिन्न समय में अधिनियम द्वारा सरकार का हस्तक्षेप कृषि विपणन में निजी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों के प्रवेश को विकृत करता है। अभी प्याज का एक्सपोर्ट बंद किया गया है, जिससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट के उचित दाम नहीं मिलेंगे। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे नासिक जिले में प्याज का ज्यादा उत्पादन होता है। वहां के किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्टॉक सीमा के कारण व्यापारी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कमोडिटी की प्रस्तावित मात्रा देने असमर्थ होते हैं, जो कमोडिटी बाजार के विकास को प्रभावित करते हैं। अभी इस वैश्विक संकट के समय इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाए हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो साधन आवश्यक है, वे सभी वस्तु अधिनियम में शामिल किए गए हैं। उन पर सख्त प्रावधान किए जाएं, जिससे इस सामूहिक लड़ाई को और उचित ढंग से लड़ा जा सके। जैसा कि मैंने मास्क और सैनिटाइजर के बारे में कहा है, शुरू में पीपीई किट से संबंधित बहुत समस्याएं आई थीं। कोरोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रीकॉशन मेजर्स के लिए जो भी साधन हों, उपकरण हों, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके रेट को कंट्रोल करने के लिए, इस बिल में प्रावधान होना चाहिए।…(व्यवधान)

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपदा और वैश्विक संकट के समय आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया जाए, जिससे स्टॉक होल्डिंग और कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद

माननीय सभापति: आप संक्षेप में विषय रखें। आप घड़ी भी देखते रहें। अभी मंत्री जी का उत्तर भी होगा और कुछ वक्ता भी बचे हुए हैं।

श्री कौशेलन्द्र कुमार।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और आम जनता के हितों से इसका सीधा संबंध है। सरकार ने इसके लिए 5 जून, 2020 को एक अध्यादेश के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और 1980 में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रण करने के अधीन प्रावधान करने की व्यवस्था है। यह कृषि परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम होगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से लगातार उनका प्रयास यह है कि किसानों की आर्थिक हालत को कैसे सुधारा जाए। उसी की कड़ी में किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो, जो किसान अपना अनाज उपजाते थे और उन्हें औने-पौने भाव में बेचना पड़ता था, उन्हें इससे सहायता मिलेगी। मैं समझता हूं कि किसानों की बदहाली को पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं, मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बिहार में किसानों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि रोड मैप बनाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किया है। वे जन-जीवन और हरियाली लेकर आए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।

सरकार का यह मानना है कि संशोधन के अत्यंत विनियामक हस्तक्षेप में कमी से निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और एफडीआई बढ़ोत्तरी से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी। निवेश को प्रोत्साहित करना, मूल्यों में स्थिरता लाना एवं खाद्य पदार्थ के विनियमन के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लागू नहीं होने आदि का लाभ मिलेगा। किसी भी विशेष परिस्थिति में जिसके अंतर्गत युद्ध हो, अकाल हो, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा में इसे सरकार वापस भी ले सकती है, इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मैं कुछ आशंका की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे कि राज्य सरकार के अधिकार और शक्ति में यह कानून हस्तक्षेप करने वाला प्रतीत हो रहा है, इससे राज्य सरकारों के हाथ कमजोर होंगे, जिससे होर्डिंग और मूल्य वृद्धि के नियंत्रण में कठिनाइयां आ सकती हैं। पूंजीपति लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इस स्थिति में दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई कालाबाजारी करता है, तो उसे भी कड़े दंड का भागी बनाना चाहिए। मुझे जहां तक मालूम है, इसे विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद ही प्रारूप दिया गया है, किन्तु राज्यों के अधिकार का बेतहाशा मूल्य वृद्धि रोकना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह कानून सरकार के लिए किसी भी वस्तु के मूल्य नियंत्रण में काफी प्रभावी है।

माननीय सभापति : श्री कौशलेन्द्र कुमार जी, जल्दी कीजिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : महोदय, एक मिनट। अगर वहां कुछ कुठाराघात हुआ, तो आम जनता को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। सरकार इन पहलुओं पर अवश्य ध्यान रखेगी।

महोदय, अब अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य-तेल, टमाटर, आलू, प्याज जैसी वस्तुएं नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो किसानों को बाजार मूल्य का सीधा फायदा होगा। अब यहां एक ही आशंका है कि आम जनता इसकी चपेट में नहीं आए, क्योंकि देश में ऐसा पहले देखा गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपका धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir. I have three points to make.

The first point is this. The agricultural markets are overstrained by a web of outdated laws. These laws were codified with the food scarcity mindset. India has become surplus in most agricultural commodities. Yet, farmers have been unable to get better prices. There is very little investment in cold storage, warehouses, processing, and export because entrepreneurs get discouraged by the regulatory mechanisms that came into effect through this Essential Commodities Act, 1955.

State intervention at every step is not a smart idea and in today's time, it can often be counter-productive. There was a need to remove many restrictions on trade in agricultural commodities so as to help agricultural growth. This amendment to Essential Commodities Act does that and should, therefore, be welcomed.

The restrictions on hoarding were a legacy of the food crises of the 1950s and 1960s. We do not need these now. Barring a national food emergency, removal of these would help hoarders and stockists and may sometimes help crop prices from falling. I would urge the Government that while liberalizing the regulatory environment, it has to ensure that interests of farmers and consumers are safeguarded.

When you say that the installed capacity of a value-chain participant and the export demand of an exporter will remain exempted from such stock limit in

position, then how one is to ensure that the interest of farmers and consumers is protected.

My second point is that on 5th June this year, the Essential Commodities Ordinance, 2020 was promulgated. I remember famous farmer leader, Sharad Joshi of Shetkari Sanghatana and Mahendra Singh Tikait of Bharatiya Kisan Union who had spearheaded farmers' agitation to get free from stranglehold of the restriction that the State had imposed on farmers.

As I was leading the Pragati Odisha Krishak Parishad in Odisha, I had participated in a number of their meetings and agitations. I had interacted with Joshi Ji when he was a Member of Rajya Sabha during Atal Ji's premiership. They would have been the happiest persons to hear about the unshackling of farmers from the artificial restriction that State had imposed on them for the last six decades or so. Those who are critical of this amendment should be aware that trade and commerce of food stuff are in the Concurrent List. Yet I would ask as to why did you bring this change through backdoor and that too in dark hours of a national medical emergency. A high-powered Committee of around eight Chief Ministers starting from Shri Devendra Fadnavis, Captain Amrinder Singh, Shri Naveen Patnaik, Shri Manohar Lal Khatter, Shri Pema Khandu, Shri Vijay Rupani, Yogi Adityanath, and Mr. Kamal Nath sat twice. Of course, Mr. Narendra Singh Tomar was also a member and so also Ramesh Chand of NITI Aayog. This high-powered Committee sat twice – once in the month of July and another on August 16, 2019. They had recommended removal of stringent restrictions of stock, movement and price control of agricultural food

stuffs for attracting private investment in agricultural marketing and infrastructure. One should be clear in this perspective. This is a matter of agriculture. This reform will increase agriculture productivity and improve food markets. Do not confuse this with the increase of farmers' income. This policy change is for agriculture and not for farmers.

Lastly, I would say that the Government should have done away with export restrictions on agricultural commodities. This critical piece is missing. There has been a number of amendments to the Essential Commodities Act. Practically, 13 amendments have already been done after the Act came into existence in 1955 and the last amendment was in 2009. This will be the 14th amendment and I am sure more amendments would also come.

18.49 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Before concluding, I would say that the Green Revolution and subsequent improvement in agricultural practices have made us self-sufficient in foodgrains. Large scale export of foodgrain is not an ideal thought. It is eminently feasible and has the potential of rejuvenating the agricultural sector. We can counter China's loan diplomacy with our food diplomacy. Most of our neighbours and African countries that have become Chinese clients are perpetually short of foodgrains which we can provide at a low cost or in exchange for their products.

I support the Bill.

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यगण से मेरा आग्रह है और मेरा प्रयास रहता है कि अधिकतम माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया जाए, लेकिन समय का अभाव है और इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम इतने लंबे समय तक सत्र चला रहे हैं। आप सभी सीट को कोऑपरेट करेंगे और अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या सदन इस बात पर सहमत है?

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): सर, हम टेल-एंड पर हैं। …(व्यवधान) हम टेल-एंडर्स हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: टेल वालों को भी मौका देंगे और हैड वालों को भी मौका देंगे और राज्य सभा में बैठे सदस्यों को भी मौका देंगे, सबको मौका देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दानिश अली जी के लिए दो मिनट एलॉट कर दिए गए हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: समय को देखते हुए सबको मौका देंगे।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे 'दि एसेंशियल कमोडिटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2020' पर बोलने का मौका दिया है। चूंकि आपने समय दस मिनट से घटाकर दो मिनट कर दिया है, इसलिए मैं सीधी-सीधी बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल पूरे तरीके से किसान विरोधी है। यह बिचौलिए और जमाखोरों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। इस सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ये करना क्या चाहते हैं। हर चीज़ को बेचना, हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर के अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना और एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो और अब किसानों की जो बची-खुची किसानी बची थी, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम, कॉरपोरेट्स और मल्टीनैशल्स के हवाले करने का काम यह सरकार इस बिल के माध्यम से कर रही है। अभी सत्तापक्ष के एक साथी, चौधरी साहब बोल रहे थे कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। पता नहीं वह इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं कि कॉरपोरेट्स आएंगे, जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, किसान उनके साथ अपना अनुबंध करता है कि हम गन्ना एक्स शुगर फैक्ट्री को देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? गन्ना किसानों का एक-एक साल का पेमेंट प्राइवेट चीनी मिल्स नहीं कर पा रही हैं। मेरे स्वयं के लोक सभा क्षेत्र में एक विधान सभा क्षेत्र गढ़ मुक्तेश्वर पड़ता है। वहां एक बड़ी शुगर फैक्ट्री, सिंभावली शुगर फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पर किसानों का 380 करोड़ रुपया बकाया है। जब मैंने पिछले हफ्ते उस शुगर फैक्ट्री के लोगों से कहा कि उनको भुगतान क्यों नहीं हो रहा है तो यह सरकार किसानों के लिए इतनी सीरियस है कि वहां के जिलाधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के लिखने के बावजूद जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की रकम मिलती है, पिछले तीन सालों से वह भी नहीं दी गई है। क्या इससे किसान आत्मनिर्भर होगा? ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस आपदा के माध्यम से जो पिछले 70 सालों में इस देश में चीज़ें बनाई गई थीं, जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई गई थीं, उनको किस तरीके से बेचा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बिल पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि यह जो बिल आ रहा है, यह जमाखोरो को लाइसेंस देने वाला बिल है। हम जानते हैं कि आपकी नीयत उन्हीं जमाखोरों को फायदा पहुंचाने की है। अभी सरकार ने वायदा किया है कि इससे किसानों की आमदनी दोगुना होगी, किसानों की आमदनी किस तरह दो गुना हो रही है? किसानों को यूरिया तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बिल का भी वही हश्र होगा। जिस तरीके से नोटबंदी में एलान किया गया था कि उसका फायदा कालाधन समाप्त करने के लिए किया जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान लाइनों में लगकर चली गई।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुन: यह आग्रह है, अपील है कि ऐसे किसान विरोधी बिल पर सरकार पुन: विचार करे, इस पर दोबारा गौर करे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکرصاحب، آپ نے مجھے ایسینشیل کموڈیٹیز بِل پر بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ آپ نے وقت 10 منٹ سے گھٹا کر 2 منٹ کر دیا ہے تو اس لئے میں بھی سیدھی سیدھی بات کروں گا ۔ اسپیکر صاحب، یہ بلِ پوری طرح سے کسانوں کے خلاف ہے، بچولئے اور جمع خوروں کو فائدہ پہنچانے والا بِل ہے۔ اس سرکار کی منشا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ ہر چیز کو بیچنا، ہر چیز کو پرائیویٹائز کرکے اپنے دوستوں کے حوالے کرنا، ائرپورٹس کو بیچ دو، ریلوے کو بیچ دو، بندرگاہوں کو بیچ دو۔ اب بچا کُچا کسانی بچی تھی، ان کی آمدنی کو بھی بیچنے کا کام کارپوریٹس کے ملٹی نیشنل کے حوالے کرنے کا کام اس بِل کے ذریعہ سے یہ سرکار کر رہی ہے۔ ابھی حکمراں جماعت کے ایک معزُز رکن چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا انویسٹمینٹ آئے گا کے اس امینڈمینٹ کے ذریعہ سے پتہ نہیں وہ انویسٹمینٹ کہاں آئے گا۔ میں

کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، ایک مثال دینا چاہتاہوں کہ کارپوریٹس ملٹی نیشنلس آئیں گے وہ اس میں انویسٹمینٹ کریں گے، پرائیویٹ شوگر فیکٹریز ہیں۔ کسان اپنا معاہدہ کرتا ہے ان کے ساتھ کہ گنا ہم ایکس شوگر فیکٹریز کو دیں گے لیکن آج کیا حالت ہے، ایک ایک سال کی پیمینٹ کسانوں کی پرائیویٹ چینی مِل نہیں کر پا رہی ہیں۔ میرے خود کے پارلیمانی حلقہ میں ایک اسمبلی پڑتی ہے گڑھ مُکتیشور، بڑی شوکر فیکٹری ہے سنبھولی شوگر فیکٹری، ایک فیکٹری پر کسانوں کا 380 کروڑ روپئے کسانوں کا بقایہ ہے۔ اور جب میں نے ابھی پچھلے ہفتہ اس شوگر فیکٹری کے لوگوں کو کہا کہ کیوں نہیں بھُگتان ہو رہا ہے تو یہ سرکار اتنی سنجیدہ ہے کسانوں کے لئے کہ وہاں کے ضلع ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے لکھنے کے با وجود جو ایکسپورٹ سبسڈی کی جو رقم ملتی ہے وہ بھی پچھلے تین سالوں سے نہیں ملی ہے تو کسان کیا آتم نِربھر ہوگا آپدہ میں اوسریہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپدہ کے ذریعہ سے پچھلے 70 سال میں اس ملک میں جو چیزیں بنائی تھیں جو پبلک انڈرٹیکِنگس بنائے تھے ان کو کس طریقے سے بیچا جائے۔ میں آپ کے ذریعہ سے اسپیکر صاحب یہی کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو اس بِل پر دوبارہ سوچنا چاہیےکیونکہ یہ بِل جو آ رہا ہے یہ جمع خوروں کو لائسنس دینے والا بِل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نیعت ہے انہیں جمع خوروں کو فائدہ پہنچانے کی۔ ابھی سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ کسانوں کی آمدنی دوگنا ہوگی، کسانوں کی آمدنی کونسی دوگنا ہو رہی ہے، کسانوں کی اسپیکر صاحب یوریا تک مہیا نہیں کرایا جا رہا ہے۔ اس بِل کا بھی وہی حشر ہوگا جس طریقے سے نوٹ بندی کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس کا فائدہ کالا دھن ختم کرنے کے لئے کیا جائے گا لیکن سیکڑوں لوگوں کی جان لائنوں میں لگ کر چلی گئی۔ میری آپ کے ذریعہ سے سرکار سے دوبارہ

یہ گزارش ہے کہ ایسے کسان مخالف بِل پر سرکار دوبارہ سے غور کرے۔ بہت بہت شکریہ ۔۔

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): स्पीकर साहब, आपने मुझे एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 के बारे में बात करने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

First of all, I would like to draw your attention to some of the major deficiencies in the management of food stocks. The Government just does not know the stocks which are held by the private sector. Hence, production of each and every item must be put in public domain with location of such stocks in all parts of the country.

As we all know, in our country, the surplus of agricultural products is marginal in some regions and high in some other regions. This will give scope to the private traders to purchase these surplus agricultural products at lower prices. The private traders hoard these products with the intention of creating maximum profits. They will sell the surplus agricultural products at higher prices, depending upon the situation which will create imbalance and unnecessary problems in the market which will have impact on the common man. So as to minimize these imbalances, the Government should take precautionary measures by maintaining total information of surplus agricultural products of the country and private traders as per the Essential Commodities Act.

I would like to bring to your kind notice that the Union Government is purchasing only paddy, maize, red gram and cotton. Hence, some other food items need to be purchased from the farmers and markets. We request the Union Government to purchase some more items produced by farmers. Our

State is helping the farmers by purchasing almost all food related items from them at the field level.

Now, I can proudly say in the House that our Telangana State Government under the dynamic and able leadership of our Chief Minister Shri K. Chandrashekhar Rao is implementing magnanimous Rythu Bandhu scheme to benefit about 60 lakh farmers. It was paid in two instalments that is in Rabi and Kharif seasons before sowing by giving Rs. 10,000 per annum for each acre to timely help farmers to produce more items and also to increase their incomes to realize the goal of doubling the farmers income by 2022.

I am happy to say that our State is the largest producer of turmeric in the country. Hence, the Telangana Government is demanding the formation of Turmeric Board which was promised by the BJP Government during the 16th Lok Sabha. For name sake, the Union Government upgraded the divisional office of the Spices Board, but there was no mention of the Turmeric Board. Therefore, we are strongly demanding the establishment of Turmeric Board exclusively.

With these words, I conclude my speech.

*__SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (SATARA)__: Hon'ble Speaker Sir, I would like to thank you from the bottom of my heart for giving me this opportunity to speak in my mother tongue Marathi. I am very optimistic that we will discuss this Bill seriously as you are in the Chair.

All the crops like grains, pulses, oil seeds, vegetables onions tomato, potato and flowers etc are produced by our farmers and there is no binding for them to grow a specific crop. It is expected from the Government that a fair marketing mechanism should be developed for farmers and consumers. The onion growing farmers had much expectation this time but the Government has banned the export of onions. As a result, the onion prices in the Lasalgaon market have come down drastically and farmers have landed in trouble. I would suggest that dry onion powder should be made. Agro processing is the need of the hour. Government should focus on packaging and processing of agriculture produces.

After Second World War, the prices of jaggery were risen exponentially. Farmers had to suffer heavy losses and that helped the co-operative movement to gain momentum. Same kind of situation is now arisen in case of onions. Due to export ban, the onions in the containers are bound to get rotten as these have not been cleared at the ports. Hence, I would like to request Hon'ble Prime Minister and Agriculture Minister to take necessary steps in this regard.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

When my leader Shri Sharad Pawar ji was Union Agriculture Minister, there was no space left for storage of huge agriculture produces. Food grains were easily available for the poor people. Farmers were also fetching remunerative prices for their produces. Due to this Bill, there is a possibility of reduction in the prices of agriculture produces.

Hence, we will definitely support the Government if it is ready to push for agriculture processing. If you can ensure fair and remunerative prices for agriculture produces like turmeric, onions, cotton, sugar etc., it would help the poor and needy farmers of the country.

So, Hon'ble Speaker Sir, I would like to request you once again to give relief to the onion growing farmers of Maharashtra and Karnataka. If the farmers do not have money with them, it would affect the overall economy and other markets too. There is an urgent need to bridge the gap between producers and consumers. Thank you very much for allowing me to speak in Marathi.

19.00 hrs

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की अनुमति हो तो सभा का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी सर, बढ़ा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : पाटिल साहब महामहिम राज्यपाल भी रहे हैं।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Mr. Speaker Sir, on behalf of CPI(M), I vehemently oppose the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020. I suggest the Government to change the name of this Bill as Food Hoarding Freedom for Corporates Bill, 2020. There are reasons for me to say like this.

What does the Bill do? The Essential Commodities (Amendment) Bill removes the supply of all food commodities from regulation under Essential Commodities Act except in extraordinary circumstances. The price limits set for such extraordinary circumstances are so high that they are likely to be never triggered and even in those cases, big companies like Adanis would be exempted from any stock limits.

In the parent Act, the restriction was on the agri-business companies and traders. Now, those restrictions are being removed for all the food commodities. So, it provides them to purchase and store any quantities, hence indulge in hoarding. Therefore, it should be called as 'Food Hoarding (Freedom for Corporates) Bill. The companies like Adani Wilmar, Reliance, etc. will now have freedom to stock any amount of food commodities. This freedom was only with farmers and Food Producer Organisation until now.

They will build huge storage and processing facilities, and build complete market domination. This means that they will dictate terms to farmers which is likely to lead to less prices to farmers, and not more income. It has been established that when there is price rise in retail market, the benefit is not passed on to the farmers but when there is a price fall, the loss is passed on to

the farmers. For example, Adani Wilmar imports large quantities of oil and pulses from its holdings in other countries, including Africa.

Adani Wilmar is investing 350 million dollars in Bangladesh for setting up of a food processing industry. Since there will be no limit on stocking in India, imports by Adanis from their businesses abroad can dominate Indian market in a bigger way. The Government is willingly curtailing its power to protect the interests of most of the marginalised citizens, and protecting the interests of hoarders and big businesses.

Sir, using its powers under the Act, enables the State Governments to issue control orders, regulate the movement of goods within and across the States and fix stock limits. It could make licensing compulsory and even impose levy on production of goods. The States made full use of these powers and thousands of police cases were registered every year for alleged violations of control orders. This power of the States will cease, except in extra-ordinary circumstances. So, it needs a wide discussion. Therefore, I request the Government to consider sending this Bill to the Select Committee, and come back with a reasonable modification.

I again say, I vehemently oppose the Bill. Thank you.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. Sir, while talking about the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020, I would like to say that the intention of the Government may be good but at the same time, if you make a meticulous analysis of the Bill, you will be convinced that there are a lot of ambiguities in this. Not only that, there are loopholes which may be misused while implementing the things.

Sir, the Central Government is getting more powers in this. Of course, that may also be needed. It empowers the Government to control production, supply, distribution, trade and commerce in certain commodities. It aims to liberate regulatory system, and extend income like benefit to farmers. There intention may be that but you have to examine whether all these dreams are going to be fulfilled. That is to be analysed further.

Sir, imposition of stock limit and the conditions stipulated to it should be discussed in detail. It may have a chance of misuse. My learned friends have already explained about that, and I do not want to elaborate that.

Sir, this empowers the Government to declare a commodity as essential. Government can control the production, supply and distribution of the commodities and impose a stock limit. I apprehend that the Government is getting an extra constitutional power in this, and it may go to any extent.

With regard to its definition, there is no clarity. The clarity was there in the parent Act of 1955. When we are making a new law, I feel that the clarity should be there. There is a lack of clarity, especially in the case of definitions.

Sir, as far as India is concerned, I do not want to go into figures, we proudly say that we have achieved so much in agriculture sector. The main handicap for the farmers is marketing. So, we have to interfere in the market not only in the case of essential commodities, but also marketing is very important for all agricultural products. The Government may have very good expectations. But I would like to suggest that the Central Government should initiate consultations with State Governments to increase the number of agricultural markets and create marketing infrastructure in States which do not have APMCs.

Similarly, even in the case of markets, it was suggested in the past that there should be Gramin Haats . That is also very much necessary. My learned friends were expressing some anxiety about this measure. Who is going to be the ultimate winner here? That is a point to be discussed. When we are making such a legislation, we have to be very careful about it. You have taken the route of ordinance; I do not want to say much about it; that itself is a fault. But whatever it may be, we have to examine as to who is going to gain out of this measure. I apprehend that the big guns may fish out of troubled waters; they make use of the situation for their benefit. So, I would like to suggest that in this kind of things the ultimate benefit should go only to the farmers. My friends were talking about exploitation of farmers. Therefore, I would like to say that all these apprehensions must be addressed by the Government.

With these few words, I conclude.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बोलेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा। आप बैठे-बैठे कमेंट्स करेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्लीज़ बैठ जाइए। आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको मौका मिलने वाला है, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

…(व्यवधान)

***SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FEROZPUR):** Hon'ble Speaker Sir, the Central Government brought three Ordinances in June, 2020. It was claimed that these Ordinances are for the welfare of the farmers. We are discussing the Essential Committees Bill today. The Bills pertaining to the other two Ordinances will be discussed tomorrow. All the three Ordinances had been brought by the Central Government together.

Sir, let me say that firstly, the Ordinances should not have been brought. No discussions were held with the concerned parties and stakeholders. Farmers organizations and other parties should have been brought in the loop.

Hon'ble Speaker Sir, I, myself, am a farmer. The majority of workers of my party Shiromani Akali Dal hail from the farming community. Our leadership itself hails from the farming community and we work for the welfare of agricultural class. Shiromani Akali Dal is a 100 year old party and we have been at the vanguard during peasant movements and struggles.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बोलेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा। आप बैठे-बैठे कमेंट्स करेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्लीज़ बैठ जाइए। आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको मौका मिलने वाला है, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

…(व्यवधान)

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL : Sir, Shiromani Akali Dal has always been in favour of farmers. When we talk about peasant leaders, the names of three stalwarts flash in the mind : Chaudhary Devi lal, Chaudhary Charan Singh and Sardar Parkash Singh Badal. All the three leaders devoted their lives for the cause of the farmers. My father Sardar Parkash Singh Badal was incarcerated in jail for 16 long years. As he talked about the welfare of the poor and the farmers, the Congress party put him in jail. But, our Party never compromised on the matter of the interests of the farmers.

Sir, before bringing in these Ordinances, the Central Government should have held detailed discussions with pro-farmer parties like the Shiromani Akali Dal. Wide consultations were needed. However, Shiromani Akali Dal was not consulted regarding the merits or demerits of this ordinance. When it was placed in the Cabinet for approval, our representative had cautioned the Government and said that several apprehensions needed to be allayed. The farmers of Punjab and elsewhere were very apprehensive. We asked for delaying the Ordinance.

For the last two months, we talked to farmers and other stakeholders and came to know about their apprehensions. I am a farmer. I know about the difficulties faced by the farmers during selling and marketing. I know about the problems that arise due to MSP. I know about the problems that arise at the time of procurement.

Sir, Punjab is at the forefront when it comes to contributing food-grains in the central pool. Our land area is 2% but we contribute 50% of wheat for the central kitty. Similarly, we provide 40 to 45% rice for the central pool.

We know that all these three Ordinances have left an adverse impact on Punjabi farmers. The marketing system of Punjab and Haryana are the best. I don't know about the impact of these Ordinances on other States. But, our state Punjab has borne the brunt of these three Ordinances. The farmers of Punjab want that their apprehensions should be allayed. However, I am sorry to say that we have got no answers from the Centre.

What are the apprehensions? Earlier, in the Essential Commodities Act, there was a limit. But, now the limit has been done away with. Now, traders can purchase any amount of foodgrains etc…

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान।

श्री भगवंत मान (संगरूर): स्पीकर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट इनको बोलने दो।

श्री सुखबीर सिंह बादल : मैं एक किसान के पास गया। दो-तीन दिन पहले की बात है। मैंने उनसे पूछा कि आप इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्यों हो? एक गरीब सा किसान बैठा हुआ बोला कि जैसे जब रिलायंस जियो लेकर आया था, उन्होंने फोन मुफ्त कर दिया था। जब सारे लोग जियो फोन लेने लग गए, उनकी सारी कम्पीटिशन खत्म हो गई, तो उसने रेट बढ़ा दिए, दस गुणा कर दिए। उनके मन में है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी अभी कम करके देंगी, सब फैसीलिटीज़ देंगी, जब इनका कंट्रोल हो गया, तो कब्जा कर लेना है। मैं चाहता हूँ, हमारा शिरोमणि अकाली दल किसी के दबाव के नीचे नहीं हैं, यह हमारी पार्टी की सोच है। यह पंजाब के किसान की, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के आढ़तियों की, पंजाब के मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, उनकी भावनाएँ हैं कि इस

कानून में बहुत शंकाएँ हैं, उनकी बहुत रिजर्वेशन्स हैं । जब तक ये रिजर्वेशन्स दूर न हों, यह ऑर्डिनेंस न लाया जाए। क्योंकि यह ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई है…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): स्पीकर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपके पास स्पीच बंद करने वाली जो घंटी है, उसको न बजने की उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । सर, मैं पंजाबी में बोलूंगा, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं सीधा विषय पर आता हूँ।

Sir, Aam Admi Party vehemently opposes this lopsided Bill. This Bill provides freedom and license to black-marketers, profiteers and hoarders. I am amazed that the Akali Dal President, who considers himself the messiah of farmers, is now opposing this Bill. In Punjab, they support this Bill. But, here, they oppose this Bill. They voted for NRC here. But, in Punjab, they opposed the same Bill. He is opposing this Bill but his Party is enjoying the fruits of Ministership in this Government. They are not even ready to resign from Ministership. Now, they have the excuse that they had not read the Bill in its entirety. How is this Bill anti-farmer now? Earlier, he was courting Shri Narinder Tomar ji and took him to Chandigarh.

ये नरेन्द्र तोमर जी को लेकर चंडीगढ़ गए, इन्होंने उनसे बयान दिलवाया कि यह तो बहुत अच्छा बिल है । अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी की कि बहुत अच्छा बिल है, कमाल का फैसला है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, यह क्रान्तिकारी बिल है ।

Sir, the capitalists will have a field day. The stock-holders will exploit the farmers.

Sir, I have been a student of commerce. There is a rule of Economics: More supply, less demand; less supply, more demand. इकोनॉमिक्स का रुल है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड । सप्लाई और डिमांड जब हम उनके हाथ में दे देंगे,

---

* ……* English translation of this part of the speech originally delivered in Punjabi.

प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देंगे तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब मर्जी जिस चीज की सप्लाई कम करके वे महंगाई बढ़ाएंगे।

सर, फूड ग्रेन हमेशा से जरुरी वस्तुओं की लिस्ट में रहा है। सब कुछ बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, आप भेल बेच दो, बैंक्स बेच दो, सिर्फ किसान रह गया था, किसान भी इन्होंने बेच दिया। पंजाब में किसान सड़कों पर हैं।

सर, जमीन को माँ कहा जाता है, किसान अपनी माँ को बचाने के लिए आज सड़कों पर हैं। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। इस बिल को वापस करना होगा। सरकार इसे वापस ले।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill. The old Act which had been enacted was in 1955. The circumstance at that time was that there was scarcity in agricultural production. But right now, if you see, the agricultural scenario has changed; the circumstances are different. Now, we have an integrated market with surplus production. But the only problem we are still facing is that the farmer is not being able to benefit from whatever situation is there today. Much of it has been implied due to the Act that was there earlier which restricted the agricultural investments that have been coming into this sector. Now, the intention is to improve the investment scenario so that farmers have a choice in who to trade with and further benefit from this trading.

Before I support this Bill, I have some concerns that I would like to put forward to the Central Government. One of them, which many hon. Members have also mentioned, is the extraordinary circumstances. There is a reason that this has to be properly defined. I would like to do it with an example also. Recently, we had a locust attack in Gujarat, Punjab and Rajasthan. During this time, if you look at that attack, it does not come under war, famine, flood or any other natural calamity. So, how do these kinds of situations be addressed through this Bill is something which the Central Government should answer.

Also, there is an issue about cooperative federalism. Agriculture is supposed to be on the State List. This is something which is related to agriculture. Let us say, there is scarcity of cereals in Andhra Pradesh and not

in Punjab, then how will they discuss this scenario with the States and ensure that they also have the right in deciding whatever the regulation of the food stocks is? Hoarders and firms, because of the nature of their process, have to be defined in the original Act, which is not there. So, there is an opportunity to, at least, define the terms ‘hoarders’ and ‘firms’ in this Act, which has not been done. All the hon. Members have been mentioning as to how the private players can take this as an advantage. Though it is not an intention, yet, because of the loophole, there can be a misuse of this law so that the rich players can do lot of hoarding. So, the Central Government should ensure that, that situation does not arise.

FCI has a good mechanism of stock management system. It is a computerised system. But how will they ensure that this is also followed by the private players? How will they know how much stock is there with each company or each player present in this? That needs to be clarified.

Other than this, the installed capacity which determines the limit of stock, is it going to be based on the annual installed capacity or the monthly installed or the daily installed capacity? That is something which needs to be clarified.

With these concerns, I would like to support this Bill. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले। आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, the Bill mentioned that he had taken consultations with several States including my State, Maharashtra and the CM had agreed to this model. I would like to clarify that when I verified this, this was the earlier Chief Minister, and I came to know that the Maharashtra Government has not agreed to this model. So, I just want to ask one pointed question to the Minister whether the Agricultural Prices Commission was discussed at that particular meeting when Maharashtra had made recommendation that this Act would only trigger in a situation of a formula. That formula was not informed to our State. So, where is this 50 per cent and 100 per cent that you have come to? That was not discussed in the consultations which they had with my State. We do not support it. I am just putting that on the record. The Minister could kindly explain how will our States be protected.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): There is an adage which is very much popular in Bengal that once bitten twice shy. Bengal is such a State which had witnessed a horrendous and notorious famine which even took a toll of more than forty lakh people. So, I am very much apprehensive of the context of the legislative document whereby, by implication, hoarding will be legalised.

Sir, the Bill is replete with various ambiguities which needs to be explained by the hon. Minister. The issue is that the Bill does not define what installed capacity signifies. And on that issue, I have brought one amendment also. This leaves room for exploitation by potential hoarders and black-marketeers who can create multiple entities with installed capacities or fine and other ways to gain the system. सर, इससे जमाखोरों को आत्मनिर्भर करने का प्रयास हो रहा है। जब प्रवासी मजदूर रास्ते पर चलते-चलते मौत के शिकार होते थे तो उसके लिए सरकार कहती है कि यह भगवान का काम है। उसे 'एक्ट ऑफ गॉड' बताती है, लेकिन इस बिल में होर्डर्स के लिए आत्मनिर्भरता का प्रावधान है। This Bill is a highly centralised law. Under this law, licences are not required for farm purchases. Anyone with a valid pan card – individual or enterprise – from any part of the country can purchase the produce. Now, a capital intensive company can enter and change the market dynamics and make the market – oligopoly or duopoly – like the mobile sector, which is against the small organisation and competitive in nature of the market. Nobody can store beyond the capacity. Earlier existing has become a redundant law. But big players can have warehouses of expanding upto infinite

capacity and they can store buying the future option of foodgrains and control the demand and supply. There lies our objection.

सर, यह सरकार हर बात में ऑर्डिनैंस का सहारा क्यों लेती है? ऐसा क्या हो गया था? Is there any definite reason? Is there any reason for invoking the Ordinance? सरकार हर बात के लिए ऑर्डिनैंस लाना चाहती है। ऐसा क्या हुआ था? इस ऑर्डिनैंस के साथ पैनडैमिक का क्या रिश्ता है, सरकार और मंत्री जी दयापूर्वक इसे बताएं। ऑर्डिनैंस और पैनडैमिक के बीच क्या सम्बन्ध है?

सर, जैसा कि मैंने कहा, इस ऑर्डिनैंस का पैनडैमिक के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यह ऑर्डिनैंस सिर्फ जमाखोरों की मदद करने के लिए है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि इस सेन्ट्रलाइज्ड कानून के बदले आप सूबे की सरकारों के साथ बातचीत करके एक मॉडल एक्ट बनाने की कोशिश करें क्योंकि इसमें हिन्दुस्तान के हर सूबे का पार्टिसिपेट करना, शिरकत करना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): जी।

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, बस एक सेकेण्ड में अपनी बात कहें।

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, यहाँ अभी कोऑपरेटिव की काफी बात हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह और कमलनाथ जी, कांग्रेस के इन दो चीफ मिनिस्टर्स के अलावा वह जो कमेटी थी, जिसने यह रेकमेन्डेशन किया, यदि उन सारे मुख्यमंत्रियों का नाम ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में दे देंगे तो यह जो इतना डिस्कशन हो रहा है, शायद हम लोगों को उससे सुविधा होगी कि कौन-कौन उस कमेटी में थे और उन्होंने क्या रेकमेन्ड किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके दल के एक माननीय सदस्य को मैंने मौका दिया। आप मेरी बात सुनिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की संख्या के अनुसार वहाँ पर 10 लोगों को मौका मिलना चाहिए। आपके दल के आधार पर एक सदस्य को मौका दिया। अब आप ही बोलेंगे या आपके दल के और लोग भी बोलेंगे, इससे आप अपने दल में न्याय नहीं कर पाएंगे।

माननीय मंत्री जी।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, 19 माननीय सदस्यों ने इस बिल की चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और सपोर्ट किया।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन करने के लिए 5 जून, 2020 को अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 में एक नई उप-धारा 1(क) जोड़ी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के आवश्यक वस्तुओं को धारा 2(क) के अंतर्गत सात वस्तुओं को घोषित किया गया है। इसमें दवाई, फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थ, कपास निर्मित सूत, पेट्रोलियम पदार्थ, जूट और बीज हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केन्द्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रण करने के लिए लाइसेंस देना, खरीद और बिक्री की कीमतों पर नियंत्रण करना, सांख्यिकी आँकड़ों का संग्रहण करना और बहीखातों का निरीक्षण करना शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। गेहूँ, चावल, दालें जैसे खाद्यानों की देश में कमी थी। डिमांड और सप्लाई की चेन को ठीक रखने के लिए और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम 1955 का प्रावधान किया गया।

अध्यक्ष महोदय, जब समय-समय पर देश की कृषि उपज की स्थिति की समीक्षा की गई, तो तुलनात्मक विश्लेषण यह निर्देशित करता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 1955-56 में गेहूँ का उत्पादन केवल 100 लाख मीट्रिक टन था, जो आज वर्ष 2018-19 में 1,000 लाख मिट्रिक टन से अधिक है। यह आज दस गुना बढ़ा है। चावल का उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन था, जो आज 1100 लाख मीट्रिक टन हुआ है। यह चार गुना बढ़ा है। वैसे ही दलहन और तिलहन की भी लगभग यही स्थिति है। अगर हम इन आँकड़ों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि अब भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है। भारत में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन होने के बावजूद खाद्य महँगाई प्रमुख चिंता का विषय हमेशा से रहा है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 के उत्पादित

आँकड़ों पर प्रमुख कृषि उपज की हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान का ऑकलन किया, जिसका अनुमान 92,000 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। सबसे अधिक नुकसान फलों और सब्जियों का पाया गया है। इसको कम करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग सुविधा होनी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम का यह संशोधन इन वस्तुओं की सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। परिमाणस्वरुप कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही भंडारण सुविधाओं में विस्तार और तकनीकी सुधार के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता होगी।

अध्यक्ष महोदय, कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स द्वारा यह पाया गया है कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग आदि में निवेश की कमी के कारण बेहतर कीमतें नहीं मिल पाईं। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि इन्वेस्टर्स इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के कारण इस क्षेत्र में निवेश करने से दूर रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त बातों के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा मुख्य मंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई थी। इस पर विस्तृत चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हाजिर थे। इसकी दो बार बैठकें हुईं। समिति में पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री शामिल थे। इस समिति ने इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उस समय महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेन्द्र जी फडणवीस, एच. डी. कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, पेमा खांडू, विजय रूपानी, योगी आदित्यनाथ, कमलनाथ, नरेन्द्र सिंह तोमर और रमेश चन्द्र जी, अपने कृषि मंत्री इस समिति में शामिल थे। …(व्यवधान) उनके अर्थ मंत्री थे।…(व्यवधान) वह समिति में थे, लेकिन मीटिंग में वह थे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप मंत्री जी को गाइड मत करिए।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कमलनाथ जी भी थे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: इस समिति ने इनवेस्टर्स द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्यान्नों की आवाजाही और उनकी कीमतों पर प्रतिबंध जैसे उपायों को भी हटाने की इन मुख्य मंत्रियों ने सिफारिश की।

इसी के साथ खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट जैसे प्रतिबंधों को कीमतों के साथ जोड़ने की भी सिफारिश की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना संकट के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमें यह समझना जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की क्षमता है। इसीलिए, किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र में तत्काल निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की आावश्यकता थी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे और साथ ही सरकारी नियंत्रणों के भय को दूर करे। इस विधेयक में यह उल्लेखित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि खाद्यान्नों की आपूर्ति को केवल असामान्य परिस्थितियों में रेग्युलेट किया जाएगा, जैसे युद्धजन्य परिस्थिति है, अकाल है, असाधारण मूल्य वृद्धि है और गंभीर प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा स्टॉक लिमिट तभी लगाई जा सकती है, जब हार्टिकल्चर के उत्पादों की कीमतें 100 पर्सेंट बढ़ती हैं, खाद्यान्नों की कीमतें, जो नॉन पैरिशेबल हैं, उनकी कीमतें 50 पर्सेंट बढ़ती हैं। यह कीमतों का आकलन पिछले 12 महीने की कीमतें या पिछले 5 साल की रिटेल कीमतें, इनमें से जो भी कम हो, उस पर आधारित होगी। यह स्टॉक लिमिट प्रोसेसर या वैल्यू चैन में जुड़े निवेशकों पर लागू नहीं होगी। स्टॉक सीमा का यह आदेश प्रोसेसिंग करने वालों को उनकी स्थापित क्षमता तक लागू नहीं होगा। एक्सपोर्टर के मामले में अगर उसके पास एक्सपोर्ट का आर्डर है तो उस एक्सपोर्ट होने वाले स्टॉक पर स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, स्टॉक लिमिट का भय नहीं रहने के कारण इनवेस्टर ज्यादा माल खरीदेगा, जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी और इसकी खरीद का दाम बढ़ेगा। इस कारण किसान को उसके माल का उचित मूल्य मिलेगा। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नए प्रावधान के

कारण इनवेस्टर्स इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे जिससे किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उनकी आय बढ़ने में सहायता होगी।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा भारत सरकार देश की 130 करोड़ जनता को आत्मनिर्भर बनाने की एक विशेष पहल कर रही है। यह विधेयक कृषि क्षेत्र की सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूत करेगा। इस विधेयक से न सिर्फ किसान, बल्कि सभी उपभोक्ता और इनवेस्टर के लिए एक सकारात्मक वातावारण का निर्माण होगा, जिससे देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा।

अत्यन्त विषम परिस्थितियों में जब खाद्यान्नों के मूल्य में आसाधारण रूप से वृद्धि होगी, तब हम अपने बफर स्टॉक से खाद्यान्न बाजार में लाकर मूल्य नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी कष्ट का सामना न करना पड़े।

इसी के साथ, घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को नियंत्रित किया जा सकता है। स्टॉक लिमिट के सम्बन्ध में सरकार ने जो खुद पर मर्यादायें निश्चित की हैं, इससे इनवेस्टर्स में सकारात्मकता बढ़ेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ हमारे देश के किसानों और उपभोक्ताओं को होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी की परिस्थिति में खाद्यान्नों के दामों में असाधारण वृद्धि होने की सम्भावना थी। देश में यातायात प्रभावित होने के कारण कृषि क्षेत्र की सप्लाई चैन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था, जिसका परिणाम देश के किसानों और उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता।

किन्तु भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की, जिसके तहत देश भर में अस्सी करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से जुड़ी सप्लाई चेन पर कोई नकारात्मक परिणाम नहीं हुआ। यही नहीं इस काल में किसानों से बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई।

मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण को एक बार फिर उजागर करना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसानों की आय को दोगुनी करने का संकल्प है। इस संकल्प पूर्ति की दिशा में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में वोकल फॉर लोकल को केन्द्र बिन्दु मानकर मोदी सरकार निश्चित रूप से काम करने के लिए कटिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए।

प्रो. सौगत राय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बयान दिया, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं एक चीज उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी है। लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है। वर्ष 1951 में 360 मिलियन जनसंख्या थी, अभी जनसंख्या 1.30 बिलियन है यानी एक सौ तीस करोड़ है। आपको इतनी बड़ी जनता को खिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मैंने अपने भाषण में बोला है। हमने देखा कि कोविड के कारण कुछ लोग माइग्रेंट बन गए, उसको कितनी समस्या हुई, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, सरकार ने माइग्रेंट लेबर के बारे में कुछ नहीं किया। रावसाहेब दानवे जी, कुछ नहीं किया गया। लोग रास्ते में जाते-जाते मर गए। यह आपने देखा होगा। …(व्यवधान)। मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

वर्ष 1955 से एसेंशियल कमोडीटीज एक्ट था, इसमें तेरह अमेंडमेंट्स हुए। लेकिन इसमें पहली बार अमेंडमेंट करके आप स्टॉकिंग का डाएल्यूशन कर रहे हैं। मुझे एक सवाल रावसाहेब दानवे से पूछना है। आप महाराष्ट्र से हैं, आप प्याज की समस्या को समझते हैं। आप कह रहे हैं कि any action on imposing stock limit may be issued under this Act only when there is 100 per cent increase in the retail price of horticultural produce. महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक है, नासिक उसका केन्द्र है। आपने सौ परसेंट इनक्रीज करने के लिए बोला, यह किस बेसिस पर बोला। क्या देवेन्द्र फड़नवीस उस समय इससे एकमत हो गए थे? प्याज की प्राइस की समस्या हर साल होती है। यह पेरिशबल कमोडीटीज है, आपने उसके

बारे में सोच कर किया? सौ परसेंट कैलकुलेट करने के पहले कृषि वैज्ञानिकों से कन्सलंट किया, आपने उनसे कन्सलट नहीं किया। यह आपका एक खराब कानून है। इस कानून से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के किसान, जहां से आप आते हैं, वह सफर करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में नहीं रखा।

आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं डिवीजन नहीं मांगूगा। अदरवाइज डिवीजन मांगूगा और आपका समय बर्बाद होगा। एक मिनट में खत्म करता हूं। यह लोकतंत्र है, डिवीजन मांगना मेरा अधिकार है। बाबुल सुप्रियो जी आप चिल्ला कर मुझे रोक नहीं सकते। मैं खत्म कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन को धमकी न दें कि मैं डिवीजन मांग लूंगा !

प्रो. सौगत राय: महोदय, यह आर्डिनेंस बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है, रिलायंस और अडानी ग्रुप को वेयर हाऊसिंग में घुसने का मौका देने के लिए ऐसा किया है।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SAUGATA ROY: Yes Sir. I beg to move:

Page 1, line 11,--

after "extraordinary Price rise."

insert ",pandemic due to spread of communicable diseases". (1)

Page 2, line 6, --

for "fifty per cent."

substitute "hundred per cent.". (2)

Page 2, for lines 8 and 9, --

substitute "Over the price prevailing immediately preceding twenty-four months, or average retail price of last eight years, whichever is lower".

(3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष, मैं संशोधन संख्या 5 को ही प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि यह बड़ी एम्बीगुइटी है, इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए।

I beg to move:

Page 2, *omit* lines 10 to 13. (5)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 6 से 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 1, line 12, --

after "calamity of grave nature"

insert ",disaster, or under any other circumstances the Central Government or State Government deem Fit". (6)

Page 2, line 4, --

for "hundred".

substitute "forty". (7)

Page 2, line 6, --

for "fifty".

substitute "twenty". (8)

Page 2, line 10, --

omit "not". (9)

Sir, I did not get an opportunity to speak on the Bill. I strongly oppose the Bill and fully support the Statutory Resolution. The main aim of this Bill is to attract private investment in agricultural marketing and infrastructure and to increase the competitiveness and to enhance the farmers' income.

My only question to the hon. Minister is whether the aims and objects stated in the Statement of Objects and Reasons are being fulfilled and whether he is able to achieve them. The farmers are not being benefited. The only beneficiary of this legislation is the multi-national retailers or the big corporates. The aim stated in the Bill is to enhance the income of the farmers during the times of this COVID-19 pandemic situation. It is quite unfortunate. As per the original Act of 1955, it is a protective measure for the customers as well as the farmers. As per the original Act, it is gainful for the customers as well as the farmers. Both have benefited by the Act of 1955. But unfortunately you are taking away that regulation. Supply of goods regulation as well as the stock regulation are being taken away.

Now you are saying that if you are having 100 per cent price increase for the horticultural products for the last 12 months, then only it will be reviewed and it is 60 per cent in the case of perishable goods.

In my amendments, I am saying that let it be reduced to 40 per cent and 50 per cent.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to another very important point. It is regarding the explanation given to the expression "value chain participant". It is being stated that the distributor will also come within the purview of the "value chain participant". That means, all the retailers, including Adani, Reliance, etc. will come within the purview of "value chain participant". That is why I am saying that this is beneficial to these corporate retailers.

Therefore, I oppose the Bill and move the amendments.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन, उपस्थित नहीं।

श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN(CHALAKUDY): Yes Sir.

I beg to move:

Page 1, line 12, --

after "grave nature"

insert "and pandemic". (11)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I beg to move:

Page 2, line 4,-

for "hundred per cent."

substitute "fifty per cent.". (12)

Page 2, line 6,-

for "fifty per cent."

substitute "twenty-five per cent.". (13)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, I beg to move:

Page 2, line 8,-

for “twelve months.”

substitute “nine months”. (14)

Page 2, line 9,-

for “five years”

substitute “two years”. (15)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 और 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, उन सभी बातों को विधेयक बनाते समय ध्यान में रखा गया है।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.52 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock on Wednesday, September 16, 2020/Bhadrapada 25, 1942 (Saka)